इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014—पौष 13, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-1-71-2013-5-एक .—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2013 द्वारा श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे (1979) वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की सेवायें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फलस्वरूप आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा गया था.

(2) उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए, अब राज्य शासन आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के स्थान पर श्री आई. सी. पी. केसरी, भाप्रसे (1988) वि. क. अ. सामान्य प्रशासन विभाग, (आवासीय आयुक्त कार्यालय में संलग्न) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

क्र. ई.-5-919-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 10 से 19 दिसम्बर 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-1-321-2007-5-एक.—(1) भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2007-AIS-(I), दिनांक 26 सितंबर, 2008 द्वारा श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR:1999) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर उड़ीसा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी.

(2) तत्पश्चात् भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2007-AIS-(I), दिनांक 27 जुलाई, 2011 द्वारा श्री राजपूत की अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में 2 वर्ष की वृद्धि की गई. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR:1999) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की उक्त अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 3 नवम्बर 2013 को पूर्ण हो चुकी है.

(3) अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR:1999) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को उनके मूल संवर्ग उड़ीसा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

क्र. ई.-1-368-2013-5-एक.—श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (1997) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) तथा संचालक, वाल्मी तथा मिशन संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि की सेवायें भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, आर्थिक मामलों का विभाग, के पद पर 05 वर्ष हेतु नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-409-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982) विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 11 से 13 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ - आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-832-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस, प्रमुख सचिव "कार्मिक" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10 से 18 दिसम्बर 2013 तक नो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव "कार्मिक" मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-570-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजित केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजित केसरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजित केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजित केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजित केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, कमिश्नर, उज्जैन संभाग को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 04 जनवरी 2014 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 05 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, उज्जैन संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एम. शर्मा, कमिश्नर, उज्जैन संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-689-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस, आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म. प्र. को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय, भाप्रसे, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म.प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म. प्र. का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-736-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) तथा आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोशन लिमि. (ट्रायफेक) तथा आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-772-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री पी नरहरि, आयएएस, कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पी नरहरि की अवकाश अवधि में श्रीमती सूफिया फारूकी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी नरहरि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी, कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री पी नरहरि, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-787-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 24 जून 2013 से 2 नवम्बर 2013 तक एक सौ बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-874-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएएस, अपर कलेक्टर, गुना को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता था. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-876-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री तेजस्वी एस नायक, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस नायक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-702-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएएस, कमिश्नर, रीवा संभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे, कमिश्नर, शहडोल संभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. अहिरवार, कमिश्नर, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-794-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री रघुराज एम. आर., आयएएस, कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश अवधि में श्री संदीप कुमार माकिन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा क्लेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप कुमार माकिन, कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-768-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री संदीप यादव, आयएएस, कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में श्री शेखर वर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संदीप यादव द्वारा क्लेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-938-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-393-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा, एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बुहगुणा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-836-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस, कलेक्टर, जिला देवास को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री प्रबल सिपाहा, राप्रसे अपर जिला दण्डाधिकारी, देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रबल सिपाहा कलेक्टर, जिला देवास के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-844-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस, कलेक्टर, जिला कटनी को इस विभाग के समसंख्यक आदेस् दिनांक 23 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू. शेख, राप्रसे अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू. शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-862-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सिबी चक्रवर्ती एम., आयएएस, कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 6 जनवरी 2014 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. की अवकाश अवधि में श्री पी. के. श्रीवास्तव, राप्रसे अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-884-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे अपर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रत्नाकर झा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 20-06-ब-2-दो.—(1) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विनिता मालवीय, रापुसे. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 29-2013-ब-2-दो.—श्री इकबाल रियाज, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, भोपाल को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिवस, पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सपरिवार गृहनगर कोलम (केरल) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री इकबाल रियाज — स्वयं
2. श्रीमती दिव्या मोहन — पत्नी

क्र. एफ-1(ए) 108-1986-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को

दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत् खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार पोर्टब्लेयर (अण्डमान निकोबार) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है. नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1(ए) 120-93-ब-2-दो.—(1) श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 23 नवम्बर 2013 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1-अ-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2012 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में नियुक्त श्री पुरूषेन्द्र कौरव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27 दिसम्बर 2013 से 26 दिसम्बर 2014 तक एतद्द्वारा वृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भारत सरकार के आदेश और अधिसूचनाएं

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 7421-3637-2013-बारह-1 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर 2013

अधिसूचना

का. आ.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के ब्यौरे रेखांक संख्यांक एसईसीएल.-बीएसपी-सीजीएम (पीएलजी)/भूमि-13-441, तारीख 10 अप्रैल 2013 का निरीक्षण कलक्टर, उमरिया (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता 700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है.

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छत्तीसगढ़) से,—

(i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई या संभवतः होने वाली किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत् उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा.

अनुसूची

मालाचुआ ब्लाक, सोहागपुर क्षेत्र,
जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

[रेखांक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी/सीजीएम (पीएलजी)/भूमि/13/441, तारीख 10 अप्रैल 2013]

(क) **राजस्व भूमि :**

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जनरल संख्या	पटवारी हल्का नम्बर	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टर में)	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	औढेरा	39	40	पाली	उमरिया	305.262	754.30	भाग
2	मालाचुआ	852	41	पाली	उमरिया	467.980	1156.38	भाग
3	ब्लाक पडरी	752	42	पाली	उमरिया	106.690	263.63	भाग

कुल : 879.932 हेक्टर (लगभग) या 2174.31 एकड़ (लगभग)

(ख) **वन भूमि :**

क्र. सं.	कम्पार्टमेंट संख्या	रेन्ज	संभाग	वन का प्रकार	ब्लाक	क्षेत्र (हेक्टर में)	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	223, 225, 229, 230, 232.	घुनघुटी	उमरिया	आरक्षित वन	सोहागपुर	186.070	459.78	भाग

कुल : 186.070 हेक्टर (लगभग) या 459.78 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क+ख) : 879.932+186.070=1066.002 हेक्टर (लगभग) या 2174.31+459.78=2634.09 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा ग्राम औढेरा के पश्चिमी सीमा में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम औढेरा और मालाचुआ के उत्तरी भाग, आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 223 तथा ग्राम ब्लाक पडरी के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है.

ख-ग रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 223, 225 ग्राम ब्लाक पडरी के पश्चिमी भाग, आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 229 के पूर्वी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है.

ग-घ रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 229 के दक्षिणी भाग, आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 230 के मध्य भाग से गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है.

घ-क रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 230, ग्राम औढेरा के पश्चिमी भाग और आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 232 के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है.

(फा. सं. 43015/05/2013-पीआरआईडब्ल्यू- I)

हस्ता./-
(वी. एस. राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 20th September, 2013

NOTIFICATION

S.O. .—WHEREAS it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number SECL / BSP / CGM (PLG)/ Land 13-441, dated the 10th April 2013 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the Office of the Collector, District- Umaria (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarth).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for Coal in land described in the aforesaid Schedule.

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may—

(i) claim compensation under Section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of Section 4 of the said Act; or

(ii) claim compensation under sub-secton (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of Section 13 of the said Act,

to the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh) within a period of ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Malachua Block, Johilla Area,
District-Umaria, Madhya Pradesh

[Plan bearing number SECL/ BSP/ CGM (PLG)/Land/ 13/441, dated the 10th April, 2013]

(A) **Revenue Land :**

Sl. No.	Name of Village	General number	Patwari Halka number	Tahsil	District	Area in heactares	Area in acres	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Awdhera	39	40	Pali	Umaria	305.262	754.30	Part
2	Malachua	852	41	Pali	Umaria	467.980	1156.38	Part
3	Block Padari	752	42	Pali	Umaria	106.690	263.63	Part

Total : 879.932 hectares (approximately) or 2174.31 acres (approximately)

(B) **Forest Land :**

Sl. No.	Compartment number	Range	Division	Type of Forest	Block	Area in heactares	Area in acres	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	223, 225, 229, 230, 232.	Ghunghuti	Umaria	Reserve Forest	Sohagpur	186.070	459.78	Part

Total : 186.070 hectares (approximately) or 459.78 acres (approximately)

Grand Total (A+B) : 879.932+186.070=1066.002 hectares (approximately) or 2174.31+459.78=2634.09 acres (approximately)

Boundary Description :

A-B Line starts from point 'A' on the Western boundary of Villages Awdhera and passes through northern part of Village Awdhera, Malachua, Western part of Reserve Forest Compartment on 223, Village Block Padari and meets at point 'B'.

B-C Line passes through Western part of Reserve Forest Compartment no. 223, 225 Village Block Padari, Eastern part of Reserve Forest Compartment no. 229 and meets at point 'C'.

C-D Line passes through Southern part of Reserve Forest Compartment no 229, middle part of Reserve Forest Compartment no. 230 and meets at point 'D'.

D-A Line passes through Reserve Forest Compartment no. 230, Western part of Village Awdhera, Southern part of Reserve Forest Compartment no. 232 and meets at starting point 'A'.

(File No. 43015/05/2013-PRIW-I)

Sd/-
(V. S. RANA)
Under Secretary to the Government of India.

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 115-05-ब-2-दो.—(1) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर को दिनांक 18 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे सेनानी, 14वी, वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 272-86-ब-2-दो.—(1) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "केरल लक्ष्यद्वीप" की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री स्वर्ण सिंह,	—	स्वयं
2. श्रीमती मंजीत सिंह	—	पत्नी
3. कोमल वरूण सिंह	—	पुत्री
4. अमन वरूण पाल सिंह	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे का कार्य श्री अरूण प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एण्ड डी. एवं पुलिस मैन्यूअल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 17(ई) 515-2008-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

No. 17(E) 515-2008-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Virendra Singh, District Judge & Chairman, District Legal Services Authority, Ujjain,

Ex-Offico Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र.-19-3-2009-बारह-1.—खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उपनियम (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि 2458 वर्ग किलोमीटर के उस क्षेत्र का, जो इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 19-3-2009-बारह-1, दिनांक 1 दिसम्बर 2009 द्वारा मेसर्स नाड प्रायवेट लिमिटेड को सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के अधीन लोह अयस्क, मेंग्नीज अयस्क, टाइटेनियम, वेनेडियम एवं निकल खनिजों की सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए स्वीकृत किया गया था, उक्त नियमों के नियम 7(1)(एक)(ख) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

सारणी

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांतर (3)
ए	24° 16' 00"	81° 35' 40"
बी	24° 30' 30"	82° 43' 45"
सी	24° 15' 30"	82° 45' 30"
डी	24° 17' 25"	82° 19' 25"
इ	24° 16' 00"	82° 19' 15"
एफ	24° 09' 30"	81° 57' 50"
जी	24° 09' 30"	81° 48' 20"
एच	24° 06' 40"	81° 48' 20"
आई	24° 02' 46"	81° 35' 40"

बी से सी राज्य सीमा

यह क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन पश्चात् 90 दिन तक सर्वेक्षण अनुज्ञा की पुनः स्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. उपरोक्त क्षेत्र का रेखांक, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन" 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 19-3-2009-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 24 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. शर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th December 2013

No. 19-3-2009-XII-1.—In the exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (1) of rule 59 of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government, hereby, declare that an area of 2458 Sq. Km. which was sanctioned *vide* this Department's order F 19-3-2009-XII-1, dated 1st December 2009 to M/s NAD Private Limited for the reconniassance operations of Iron ore, Manganese ore, Titanium, Vanadium and Nickel minerals under reconnaissance permit the said area of reconnaissance permit is relinquished in accordance with rule 7(1)(i)(b) of the said rules. Details of the said areas given in the table below, namely :—

TABLE

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
A	24° 16' 00"	81° 35' 40"
B	24° 30' 30"	82° 43' 45"
C	24° 15' 30"	82° 45' 30"
D	24° 17' 25"	82° 19' 25"
E	24° 16' 00"	82° 19' 15"
F	24° 09' 30"	81° 57' 50"
G	24° 09' 30"	81° 48' 20"
H	24° 06' 40"	81° 48' 20"
I	24° 02' 46"	81° 35' 40"

B to C State Boundary

This area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette upto 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Area Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
R. K. SHARMA, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-85-10-तीन-1417.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन** के आम निर्वाचन में **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा ''**देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त**'' दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** को जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु कलेक्टर उज्जैन को दिनांक 18 फरवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखे में त्रुटि सुधार नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में किसी प्रकार का सम्पर्क किया गया है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त, आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2013 में अंकित किया गया है कि **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** द्वारा अपने व्यय लेखे में जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कोई त्रुटि सुधार नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.

विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** को दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा इस संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी ''**देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त**'' प्रस्तुत की गई है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद**

शेख को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद खाचरोद जिला उज्जैन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-85-10-तीन-1418.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन** के आम निर्वाचन में **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा ''**देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त**'' दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** को जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु कलेक्टर उज्जैन को दिनांक 18 फरवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखे में त्रुटि सुधार नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में किसी प्रकार का सम्पर्क किया गया है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त, आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2013 में अंकित किया गया है कि **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** द्वारा अपने व्यय लेखे में जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कोई त्रुटि सुधार नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.

विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** को दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती अहमद जाफरी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा इस संबंध अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी ''**देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त**'' प्रस्तुत की गई है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती अहमद जाफरी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद खाचरोद जिला उज्जैन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-68-10-तीन-1415.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् ताल, जिला रतलाम** के आम निर्वाचन में **श्री रामचन्द्र शर्मा** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्री रामचन्द्र शर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रामचन्द्र शर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री रामचन्द्र शर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री रामचन्द्र शर्मा** से जबाव (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री रामचन्द्र शर्मा** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त अभ्यर्थी ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2010 प्रस्तुत किया. अभ्यावेदन की स्वीकार्यता के संबंध में डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2013 में लेख किया है कि ''अभ्यर्थी **श्री रामचन्द्र शर्मा** निवासी ताल के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर निर्वाचन आयोग का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के पश्चात प्रस्तुत उत्तर में व्यय लेखा प्रस्तुत करते हुए विलम्ब का कारण नियमों का ज्ञान नहीं होना बताया गया, जिसके संबंध में तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी ताल द्वारा अपने प्रतिवेदन में **श्री शर्मा** के द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखा को सही होना बताया गया है किन्तु **श्री शर्मा** द्वारा आयोग के सूचना पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत उत्तर में विलम्ब का कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से अभ्यर्थी **श्री रामचन्द्र शर्मा** के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रतिवेदित किया गया है.''

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री रामचन्द्र शर्मा** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्री रामचन्द्र शर्मा** को संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम द्वारा तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी ताल के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 7 नवम्बर 2013 को कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री रामचन्द्र शर्मा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोजित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रामचन्द्र शर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद ताल जिला रतलाम** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 125-अ-82-वर्ष 2012-13—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय क़ी सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	डुंगरहो	निजी भूमि रकबा 10.625 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 11.012 हे. कुल रकबा 21.637 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पुरवा नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 131-अ-82-वर्ष 2012-13—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बनहरीकला	निजी भूमि रकबा 8.175 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 38.928 हे. कुल रकबा 47.103 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पुरवा नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 146-अ-82-वर्ष 2012-13—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पटनाकलां	निजी भूमि रकबा 95.60 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 20.16 हे. कुल रकबा 115.76 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई	पटना तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 589-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपाधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मसनहा	0.056	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	बरेठिया उमरहट मसनहट मार्ग में सतना नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 593-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपाधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बठिया	0.703	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सतना (म.प्र.).	बठिया करसरा बरेठी के निर्माण हेतु.
		करुआ	0.147		
		करसरा	1.152		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)				
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	तामोट	352/1/2/2	2.023	0.085	उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश (अधोसंरचना विकास).	राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
			352/2	3.314	0.222		
			352/1/2/1	2.023	0.077		
			327	2.088	0.417		
			328/1	0.405	0.061		
			331/2	2.023	0.283		
			324	2.428	0.227		
			331/6	1.214	0.445		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			332	2.023	0.101	
			326/2	0.939	0.174	
			622	4.613	0.777	
			621	2.023	0.186	
			625	1.623	0.417	
			631/1	0.709	0.299	
			631/4	2.545	0.138	
			640	2.664	0.081	
			632	0.158	0.158	
			631/2	1.275	0.182	
			631/3	1.275	0.304	
			659/1/2	0.79	0.344	
			659/1/3	0.798	0.304	
			326/1	1.914	0.097	
			641	1.704	0.028	
			योग . .	40.571	5.407	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1445-भू-अर्जन-पथरिया-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	फतेहपुर	1.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	फतेहपुर जलाशय योजना के दायीं तट नहर का अतिरिक्त भू-अर्जन.
		नीमी	0.10		
			योग . . 1.28		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1872.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रमगढ़ा	228 234 271	0.03 0.01 चाह 0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत वितरिका शाखा डी-4 के निर्माण हेतु.
			योग . .	0.07		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1873.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	दावरअली	556	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत आर.बी.सी. महुअर नदी पूर्व के निर्माण हेतु.
			योग . .	0.06		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. 5555-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 38-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	दन्तोड़ा	निजी 12.360 शास. 00.200 योग . . 12.560	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	थाना	7.228 योग . . 7.228	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	शीलखेड़ा	2.048	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	2.048		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	हिनोतिया माली	3.981	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	3.981		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	साड़ेर	3.523	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	3.523		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधित करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	पैगयाई	4.807	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	4.807		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	हींगली	1.665	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	1.665		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बरखेड़ा जाट	6.064	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
		योग . .	6.064		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 11066-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	दुर्गपुरा	3.053	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	दुर्गपुरा तालाब के पाल एवं डूब निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
			योग . . 3.053		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11072-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	भूमरिया	2.289	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	भूमरिया तालाब के नहर एस्केप निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		बिनायकबे	0.242		
			योग . . 2.531		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11090-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	जामोन्या	0.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	मेहनपुरा तालाब की नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		रामगंज	0.088		
		कोड़क्या	0.110		
		योग . .	0.238		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 1-अ-82-12-13-प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	सिलवानी	पोनार	30/1	0.129	0.030	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	सालाबर्रू सिंचाई योजना की आर.बी.सी., एल. बी.सी., एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.
			26	0.134	0.060		
			7	0.421	0.060		
			32	0.547	0.060		
			144, 145, 146/1	4.483	0.020		
			40/1	2.476	0.110		
			5 में से	0.421	0.060		
			9	0.140	0.018		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			46/2	2.501	0.130	
			13	0.061	0.018	
			29/1	0.397	0.036	
			8	0.139	0.030	
			46/1	2.501	0.130	
			33	0.624	0.150	
			34	4.144	0.090	
			134	7.260	0.042	
			146/1/2	0.809	0.020	
			144, 145, 146/2	0.150	0.020	
			148/1	0.200	0.030	
			148/2	0.201	0.030	
			12	0.113	0.048	
			151	0.534	0.180	
			152	0.813	0.150	
			74	0.134	0.060	
			120	0.125	0.030	
			118	0.632	0.060	
			115, 116/1	3.034	0.070	
			252/96	0.760	0.060	
			96 में से	3.237	0.720	
			115, 116/2	1.214	0.070	
			115, 116/3	0.607	0.070	
			2 में से	0.739	0.108	
			27	0.806	0.040	
			28	1.967	0.140	
			40/2	0.089	0.014	
			45, 48/1	1.339	0.060	
			45, 48/2	1.340	0.060	
			43 में से	4.073	0.160	
			29/2	0.671	0.030	
			121, 122	0.380	0.090	
			2/1/2	1.141	1.141	
			योग . .	51.486	4.445	
		चैनपुर	23	0.336	0.080	
			24	1.477	0.030	
			25	0.251	0.020	
			26	3.108	0.108	
			27	1.668	0.144	
			28	0.825	0.090	
			29/1	0.085	0.015	
			30/1	1.189	0.150	
			29/2	0.085	0.015	
			30/2	1.189	0.060	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			8/2	1.554	0.240	
			44/1	2.193	0.228	
			58/4	0.870	0.130	
			42, 43	3.366	0.510	
			41	1.371	0.080	
			45	3.106	0.100	
			40/2	1.214	0.120	
			34/1/2	4.211	0.220	
			34/1/1	0.809	0.070	
			36/2	0.809	0.060	
			91 में से	0.733	0.090	
			37	0.656	0.080	
			85/2	0.409	0.090	
			167/1	0.214	0.018	
			167/2	0.845	0.060	
			166	0.291	0.060	
			53, 54, 86/4 में से	1.246	0.150	
			योग . .	34.110	3.090	
		सिमरिया	62/2	2.468	0.120	
			62/1	2,468	0.040	
			62/4/1/1	3.440	0.125	
			62/4/1/2	0.440	0.020	
			65/1/2	1.528	0.060	
			65/1/1	1.416	0.040	
			65/2/1/1	0.615	0.040	
			65/2/1/2	1.214	0.040	
			66	5.930	0.200	
			13/3/2, 15/3, 48/3	1.011	0.090	
			13/3/2/3,15/3 48/2	1.011	0.090	
			49	1.157	0.080	
			योग . .	22.698	0.945	
		खमरिया खुर्द	24/1	2.760	0.080	
			23/1	1.862	0.120	
			22	1.125	0.100	
			23/2	0.809	0.060	
			24/2	0.809	0.060	
			3/1	2.711	0.120	
			3/3/1/2	3.358	0.095	
			3/3/1/3/1	3.642	0.090	
			3/3/1/1	4.828	0.095	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			15 में से	3.557	0.200	
			7	3.052	0.220	
			14	1.023	0.080	
			18	3.355	0.200	
			योग . .	32.916	1.520	
		बघबाढ़ा	91/1	5.232	0.120	
			91/2/1/1	1.995	0.090	
			91/2/1/2	0.809	0.090	
			91/2/2	2.428	0.100	
			89/1	6.734	0.110	
			89/2	1.214	0.050	
			90/1/1/1	1.513	0.080	
			योग . .	19.925	0.640	
		चंद्रपुरा	18	1.113	0.150	
			19	0.283	0.030	
			24	0.534	0.030	
			25	2.278	0.360	
			26	2.785	0.330	
			17 में से	3.487	0.150	
			योग . .	10.480	1.050	
		पोड़ी	52/1	4.850	0.090	
			52/2	8.962	0.300	
			124/49	0.405	0.120	
			48	1.979	0.015	
			47/2	0.405	0.060	बांध के डूब क्षेत्र एवं
			5	0.829	0.020	वेस्ट वियर हेतु.
			6	0.334	0.014	
			101/1/1	1.023	0.120	
			101/1/2	1.000	0.120	
			101/2/4	0.607	0.120	
			101/2/2	0.607	0.120	
			101/2/1	0.607	0.120	
			47/1	1.558	0.060	
			50, 51	2.290	0.090	
			41/53/1	2.994	0.120	
			41/53/2	1.984	0.120	
			95/121/96	4.322	0.420	
			14 में से	5.139	0.300	
			8 में से	3.816	0.104	
			7 में से	2.763	0.110	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			4	1.652	0.020	
			3/1	0.651	0.032	
			3/2	0.652	0.032	
			3/3	0.652	0.032	
			20/1	1.703	0.040	
			20/2	0.809	0.052	
			20/3	1.703	0.060	
			योग . .	52.215	2.811	
		पिपलिया खास	192	5.070	0.114	
			272/118	0.405	0.090	
			156	0.445	0.180	
			161	0.231	0.012	
			119/5	0.316	0.012	
			119/4	0.304	0.150	
			119/6	0.202	0.018	
			157	0.567	0.024	
				2.065	0.396	
			67	0.773	0.090	
			68	1.428	0.090	
			252/202/1	0.178	0.075	
			252/202/2	0.178	0.075	
			176/1	0.332	0.180	
			155/1/1	1.214	0.294	
			155/1/2	1.214	0.294	
			160/1	0.445	0.120	
			160/2	1.169	0.180	
			16	5.244	0.228	
			17	6.366	0.330	
			20	4.727	0.030	
			64	0.656	0.060	
			21	2.063	0.210	
			22	2.541	0.150	
			69	0.421	0.012	
			79	0.369	0.096	
			80	2.221	0.120	
			119/2, 118/2	0.539	0.060	
			119/3, 118/3	0.380	0.024	
			65 में से	4.056	0.162	
			योग . .	12.590	3.510	
		सालाबर्रू	97/3	0.125	0.125	
			97/4	1.287	0.640	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			93	0.113	0.113	
			95	0.251	0.251	
			96	0.518	0.250	
				2.294	1.379	
			88/5	1.003	0.500	
			योग . .	3.297	1.879	
			महायोग . .	239.717	19.890	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-13-14—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	बाडी	कोड़री	6/1/2	4.77	0.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	गुंदरई तालाब की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
			6/2	9.54	0.39		
			6/3	9.55	0.39		
			6/4	9.55	0.39		
			योग . .	33.41	1.87		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 11352-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—मडुआढाना ब. नं.-222 प.ह.नं.-02 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 06.317 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जानी वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 1896-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	बघरासाजौर	31	0.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	महुअर मध्यम परियोजना की बायीं तट नहर की उप शाखा क्र. 1 एवं 2 की सब-शाखा क्र. 1 एवं 1 के निर्माण कार्य हेतु.
			65	0.26		
			67	0.03		
			110	0.05		
			111	0.23		
			112	0.20		
			124	0.02		
			207	0.30		
			473	0.02		
			476	0.15		
			477	0.10		
			482/मिन 2	0.14		
			599	0.15		
			1048/1	0.11		
			1049	0.10		
			1053/1	0.01		
			1054	0.09		
			1055	0.05		
			1056/1	0.03		
			1070	0.05		
			1071	0.09		
			1077/1	0.27		
			1090	0.04		
			1091	0.02		
			1092	0.02		
			601	0.17		
			602/मिन. 2	0.14		
			603	0.11		
			604/मिन. 1	0.24		
			607	0.14		
			कुल योग . .	3.48		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1897-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	बरोदी	75	0.02	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी,जिला शिवपुरी (म.प्र.).	महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर की उप शाखा क्र. 3 आर की सब-शाखा क्र. 1 एल एवं 2 एल के निर्माण कार्य हेतु.
			76	0.04		
			81	0.02		
			82	0.05		
			83/1	0.03		
			83/मिन.-2	0.03		
			85	0.06		
			88	0.04		
			96	0.09		
			113/2	0.02		
			114	0.03		
			115	0.05		
			116	0.10		
			118	0.04		
			119	0.09		
			122	0.01		
			123	0.17		
			125	0.06		
			129	0.05		
			135	0.07		
			139/मिन-1	0.01		
			140	0.14		
			141	0.02		
			151	0.01		
			152/1/मिन-2	0.07		
			152/2	0.07		
			152/1/मिन-3	0.07		
			152/3	0.07		
			153	0.08		
			154	0.14		
			155	0.02		
			164	0.06		
			165/मिन-1	0.19		
			193	0.05		
			194	0.01		
			274/4	0.07		
			367	0.05		
			कुल योग . .	2.20		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 10750-भू.-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—माण्ड़ाखेड़ा, लाड़नपुर, मोहनपुरा टाण्ड़ी, नाईहेड़ा, उद्पुरिया, कोलूखेड़ा एवं शाहपुरिया जागीर.

(घ) क्षेत्रफल—2610.181 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
ग्राम-माण्ड़ाखेड़ा	
11/2	1.240
20/4	0.215
112/5	0.126
113	0.228
114/1	0.026
134/1	0.200
149/1	0.063
159	0.190
220/1	0.150
235/2	0.013
309/1	0.025
310	0.101
47/2	0.090
167/2	0.266
16/3	4.553
10/1/2	0.291
12/1/2	0.449
12/4/2	0.500
22/2/2	0.651
66/4	0.657
65/4/2	1.046
89/1/2	0.379
281/4	0.260
305/2	0.130
6/10	0.885
10/2	1.972
17/4	0.489
27/3/1	1.012
90/2	0.215
91/2	0.051
169/1	0.329
169/3	0.164
72/412	0.531
6/7	0.316
6/9	0.696
17/1/1	1.644
17/1/2	1.644
26/1/2	0.253
362/2	2.529
362/1/3	1.000
362/1/6	1.000
377/2	2.000
377/6	1.000
377/8	0.500
377/9	1.600
377/10	1.600
377/11	0.280
377/13	1.600
377/14	1.600
377/15	1.600
29/2	0.528
29/4	0.263
358	0.670
336	0.051
359/1	2.504
367/19	5.059
361	0.266

(1)	(2)
23/2/2	0.594
244/2/2	0.076
247/2/1/2	0.208
262/2/2	0.133
246/2/1/2	0.332
2/9	1.626
62/1	3.192
63/1/1	0.632
106/2	0.100
109/2	0.213
110/2	0.170
150/2	0.064
154/2	0.030
221/2	0.095
334/2	0.057
48/2	0.100
19/2	0.649
62/2	3.191
63/1/2	0.632
106/3	0.100
110/3	0.170
109/3	0.213
154/3	0.030
221/3	0.095
234/3	0.057
48/3	0.100
19/1	0.649
106/5	0.066
109/5	0.142
110/5	0.114
154/4	0.026
154/5	0.026
48/5	0.100
318	0.051
63/2/1	1.265
63/2/2	1.206
160/2	0.120
8/3	0.253
9/4	0.506
17/2	2.655
194	0.949
195	1.278
196	0.266
200	0.089
288	0.253

(1)	(2)
32	2.162
22/1	1.303
23/1/1	0.873
237	0.076
244/1	0.152
245	0.215
246/1/1	0.570
247/1	0.348
248	0.266
4/4/2	0.569
189/2	0.556
4/5	1.341
70/2	0.316
6/1/5	0.759
8/1	2.086
9/1	0.646
27/4	1.581
91/3	0.025
90/3	0.113
215	0.076
17/3	2.719
84	0.632
85	1.189
385/1/5	1.000
385/5	0.873
386/4	1.896
385/6	3.667
385/8	1.496
385/10	1.545
385/11	1.737
385/12	1.463
383/2	1.287
379/398/2	0.785
379/399/1	5.060
367/23	0.506
2/1	1.142
2/3	0.759
2/4/1	0.348
3/5/2	0.095
5/6/1	0.190
5/7/2	1.518
65/5	1.580
92/1	0.205
292	0.202
300	0.063

(1)	(2)	(1)	(2)
304/2	0.118	370/1/4	0.754
317	0.051	11/6	0.784
321	0.266	86	0.051
325	0.797	289/2	0.051
332	1.012	70/1/1/2	1.871
333	0.607	6/15	1.494
334	0.519	2/10	2.000
335	1.240	57	1.985
338	0.164	58	0.177
367/12	0.379	59	0.190
367/13	0.405	267	0.253
442	0.316	6/12	0.506
319/1/6	1.000	377/7	0.550
48/4	0.200	372/2/3/2	1.035
4/1/1	1.517	63/7	0.186
26/1/1	0.291	3/10	1.711
27/1	1.099	6/1/3	1.000
28/1	0.127	6/1/4	0.828
78	0.253	92/2	0.205
80	0.177	92/4	0.200
82/1	1.947	98/1	0.212
83/1	1.821	100/2	0.260
122/1	0.330	99/1	0.512
129/2	0.891	100/7	0.060
130	1.088	162/2	0.100
139	0.304	163/2	0.020
155/1	0.152	171/3	0.178
156	0.089	171/7	0.440
157	0.205	24/3	0.009
173	0.645	260/1	0.038
174/2	0.025	11/7	0.448
188	0.240	20/2	0.316
189/1	0.051	108	0.139
257/1	0.822	112/1	0.063
269	0.430	112/3	0.033
311/6	5.438	114/2	0.632
311/9	6.507	19/3	0.649
327	1.455	106/6	0.066
328	1.448	119/6	0.142
362/1/1	2.000	110/6	0.114
362/1/2	1.247	203	1.037
101/389	0.152	349/1/4	1.000
153/390/1	0.030	48/6	0.100
311/11	2.400	2/4	0.980

(1)	(2)	(1)	(2)
3/5/1	0.095	109/1	0.426
5/6/2	0.190	110/1	0.342
65/4/4	1.047	118/3	1.265
281/3	0.025	150/1	0.100
305/1	0.012	151	0.025
379/398/1	0.632	154/1	0.051
379/398/2	0.785	238	0.076
63/5	0.253	249/2	1.060
64/3	3.035	249/4	2.000
8/2	0.190	263	1.012
9/2	0.379	45	0.139
9/3	0.190	47/3	0.174
118/1	0.051	48/1	0.298
82/2	1.746	46/5	0.102
83/2	1.821	131/1	1.315
116	0.215	136	0.835
117/1	0.226	132/1	0.076
121	1.808	133/1	0.126
129/1	0.892	149/2	0.042
155/2	0.177	220/3	0.092
157/2	0.200	309/2	0.051
167/1	0.266	46/2	0.316
174/1	0.026	10/1/1	0.291
175	0.455	11/1	0.175
290/1	0.076	4/2	2.250
294	0.810	12/1/1	0.448
20/3	0.215	12/4/1	0.500
220/2	0.150	22/2/1	0.651
235/1	0.013	23/1/2	0.316
47/1	0.090	23/2/1	0.594
2/5	0.632	27/3/2	0.506
362/1/5	0.759	244/2/1	0.076
2/6	0.632	246/2/1/1	0.553
370/3/1	1.518	247/2/1/1	0.348
4/1/2	1.063	262/2/1	0.132
5/8	0.379	66/1	0.547
15	0.405	100/6	0.060
16/1	0.518	162/3	0.100
51	0.329	163/3	0.020
52	1.695	171/2	0.178
53	0.038	171/5	0.440
54/2	2.592	240/1	0.010
106/1	0.194	260/5	0.038
110/1	0.342	92/3	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
20/1	0.152	5/12	1.265
107	0.063	64/5	1.657
112/2	0.038	26/2	0.531
112/4	0.025	27/2	0.924
114/3	0.126	28/2	1.480
132/2	0.063	246/2/2	0.221
311/1	5.690	247/2/2	0.139
311/7	4.616	6/8	0.253
312	0.582	6/13/1	0.253
313	0.089	5/10/2	0.253
314	0.126	64/1/2	0.253
315	0.152	65/1	0.620
311/10	1.118	76	1.644
70/1/1	4.945	137	0.405
168	0.063	187	0.304
265	0.126	191	0.130
266	0.316	208	1.215
273	0.708	212	0.089
297/1	0.164	219	0.089
307	0.430	131/2	0.580
316	0.063	183	0.190
339	0.051	94/2	0.291
340	0.190	96/2	0.082
344	0.215	97/2	0.398
11/3	0.990	101/2	1.136
70/1/1/2	1.871	160/1/2	0.060
65/3	0.506	166/2	0.120
73/1	0.246	172/1/2	1.450
87/1	0.070	241/2	0.025
88	0.683	259/2	0.095
95	0.392	133/2	0.042
140/2	0.380	149/3	0.021
141	0.089	235/3	0.025
147/2	0.188	46/1	0.063
147/4	0.015	44/1	0.253
179/1	0.050	2/2	0.316
207/2	0.029	6/5	0.696
31/3	0.683	3/4	0.506
4/4/1	0.482	5/2	0.379
70/1/2/1	2.365	368/12	0.379
185/2	0.026	357/4	0.190
186	0.291	370/4	0.506
210	0.152	17/5	1.684
5/1	0.359	367/1/4	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
6/4	0.696	181/2	0.026
367/6	0.974	206/2	0.057
3/3	0.632	13	0.544
67	1.240	18/1	0.266
367/11	0.885	221/5	0.063
157/5	0.088	362/1/4	0.190
2/8	0.379	65/4/3	0.795
3/6	0.190	89/1/1	0.480
367/5	1.708	16/2	3.036
5/5	0.569	63/4	0.082
3/2	0.632	6/3	0.253
5/10/1	0.126	5/3	0.696
367/10	0.658	5/4	0.506
17/6	1.760	367/17/1	0.316
123	1.063	367/1/11/1	1.000
270/1	0.151	170	0.126
270/2	0.164	286/1	0.089
274	0.164	280/387	0.025
350	0.405	289/1	0.215
351	0.379	5/7/1	2.529
24/2	0.538	284	0.190
25/2	1.106	65/4/1	0.654
93/2	0.658	89/2/1	0.621
102/1	0.158	281/2	0.025
142/1	0.108	260/3	0.038
143/1	0.265	2/7	0.253
145/1	0.082	6/2	0.316
146/1	0.101	3/1	0.759
164/2	0.088	357/3/3	0.264
165/1	0.076	385/1/3	0.506
177/1	0.044	385/2	0.379
181/1	0.025	367/9	0.696
206/1	0.057	65/6	0.506
24/1	0.537	87/2	1.170
25/1	1.107	103	0.392
93/1	0.253	147/1	0.187
102/2	0.158	147/3	0.015
182/2	0.107	148	0.051
143/2	0.266	179/2	0.051
145/2	0.082	207/1	0.085
146/2	0.101	31/2	0.683
164/1	0.038	3/9	1.696
165/2	0.025	63/6	0.080
177/2	0.045	64/4/1	1.205

(1)	(2)	(1)	(2)
352	0.329	163/1	0.036
353	0.569	171/4	0.030
354	0.266	171/6	0.500
356	0.658	240/2	0.009
160/1/1	0.060	341/1	0.164
166/1	0.120	367/1/1	0.500
172/1	0.575	367/18/1	0.750
241/1	0.026	324/1	0.386
259/1	0.095	322	0.025
367/1/3	0.253	322/388	0.025
357/3/4	0.253	324/2	0.386
385/9	1.518	291	0.164
360	0.291	301	0.051
362/1/7	1.279	320	0.253
202	0.013	329/2	0.463
204	0.645	336/2	0.461
205	0.240	341/2	0.169
216	0.873	367/1/12	0.363
295	1.366	367/18/2	0.750
296	0.051	330/1	0.086
77	2.744	349/1/1	1.000
138	0.392	331/1	0.327
182	0.215	383/3	1.936
184	0.190	275	0.114
185/1	0.025	66/2	0.822
192	0.063	69	3.111
213	0.253	21	0.898
122/2	0.113	105	0.240
124	0.038	111	0.430
125	0.632	115	0.683
126	0.468	132/3	0.127
128	0.392	133/3	0.174
268	0.164	134/2	0.167
303	0.101	152	0.051
12/3	1.000	153	0.139
6/1/2	0.828	236	0.063
65/2	0.316	4/3	0.885
66/3	0.885	117/2	0.697
100/5	0.060	172/3	0.379
98/2	0.636	54/1	1.518
99/2	0.513	6/14	1.626
100/1	0.100	64/4/2	0.318
100/3	0.180	100/4	0.317
162/1	0.205	161	0.051

(1)	(2)
171/1	0.178
171/8	0.560
240/4	0.010
260/4	0.038
261	0.101
64/2	1.265
90/1	0.330
91/1	0.088
169/2	0.506
6/11	1.494
18/2	3.465
60	0.885
61	0.443
71	1.278
311/8	1.265
319	0.139
135	0.519
209	0.025
211	0.051
29/1	0.235
31/1	0.266
140/1	0.468
158	0.051
176	0.051
217	0.051
212	0.089
29/3	0.528
215	0.076
221/4	0.095
246/1/2	0.537
247/1/1	0.348
262/1	0.266
379/4	2.000
249/3	2.000
30/1	0.594
30/2/1	0.418
44/3	0.379
250	0.076
251	0.089
252/1	0.987
349/3	1.012
252/2	1.265
260/2	0.038
252/3/1	0.844
252/3/2	0.843
252/3/3	0.843
252/4	2.529
372/2/1	1.265
276	0.076
280/1	0.063
281/1	0.025
277/1	0.013
277/2	0.113
278/1	0.013
278/2	0.088
282	0.101
283	0.089
299	0.051
302	0.038
377/4	1.000
279	0.202
280/2	0.063
367/2	3.794
286/2	0.013
289/1	0.202
377/2	2.000
293	0.278
304/1/2	0.118
367/7/1	0.695
367/18/3	1.147
343/1	0.114
298	0.063
337/2	0.513
367/7/2	0.696
367/18/4	1.147
343/2	0.114
308	0.164
311/2	4.805
311/3	4.566
311/4	4.490
311/5	0.190
311/404	0.822
72	0.835
74	1.050
75	1.493
178	0.089
197	0.089
198	0.253

(1)	(2)	(1)	(2)
199	0.582	385/8	1.496
201	0.038	385/10	1.545
347/2	1.500	385/11	1.737
347/3	0.500	385/12	1.463
377/3	1.000	383/2	1.287
347/4	2.000	383/1	2.000
347/5	0.817	379/399/1	5.060
377/5	1.183	386/1	1.000
349/1/2	1.241	386/2	0.506
349/1/3	2.000	386/3	2.530
349/1/5	1.000	367/14	0.468
349/2	2.024	386/5	1.205
367/20	3.036	386/6	1.205
349/4	0.379	367/1/5	0.500
385/7	1.664	367/1/6	0.500
355	0.164	367/1/7	0.378
357/3/2	0.253	367/1/8	0.759
367/1/3	0.253	367/1/9	0.500
357/3/4	0.253	323	0.379
357/6	0.278	326	0.797
385/9	1.518	330/2	0.424
370/2	1.518	331/2	2.000
50/2/1	0.190	337/1	0.512
360	0.291	374/1	2.000
362/1/7	1.279	374/3/2	0.500
367/16/1	2.228	347/1	1.000
362/2	2.529	368/2	0.759
362/1/3	1.000	367/4	0.569
257/2	0.013	367/16/2	0.013
271	0.266	367/17/2	0.671
290/2	0.139	368/1/1	0.226
297/2	0.076	368/1/2	2.000
304/1/1	0.118	368/3	2.466
324/1	0.386	369/2/1	0.563
336/1	0.462	370/1/5	2.000
329/1	0.549	369/2/2	0.453
377/14	1.600	369/2/3	0.759
377/15	1.600	370/1/2	2.000
29/2	0.528	370/1/3	2.000
29/4	0.263	50/2/2	0.860
385/1/2	1.000	370/5	3.794
385/1/5	1.000	370/6	2.529
385/5	0.873	372/2/2	1.265
885/6	3.667	374/6	1.530

(1)	(2)
372/2/3/1	0.228
372/4	1.220
372/5	1.080
372/6	0.450
372/7	0.735
374/3/1	0.500
374/4	1.000
374/5	1.000
362/1/6	1.000
377/9	1.600
377/10	1.600
377/11	0.280
367/1/10	0.500
367/15	0.316
364/2	0.088
368/8	0.632
370/2	2.000
379/3	1.500
367/21	2.370
377/13	1.600
योग . .	541.773

ग्राम-लाड़नपुर

320/15	1.000
320/16	1.500
180/1	0.240
180/2	0.241
180/4	0.240
68	0.490
82/1	0.772
83/2	0.958
174/3	4.566
183	0.848
184/2	0.586
69/2/1	0.072
154/1	0.464
168/2	0.131
170/2	0.310
177/2	0.535
294/1	0.129
69/2/2	0.143
145/1	0.194
145/2	0.097
153	0.240
154/2	0.687
167	0.063
168/1	0.198
170/1	0.613
177/1	1.072
294/2	0.258
312/2	0.245
288/2	0.442
37/1	0.120
38/1	0.057
41/1	0.088
42/1	0.107
133/1	0.424
97/1	3.055
92/130/1	1.379
176/1	0.126
5	1.050
126	0.316
171/1	1.202
171/2	0.835
172/1	0.273
172/4	0.500
320/6	0.258
320/8	0.742
67	0.760
127	0.645
186/1	0.696
191	0.215
192	0.392
190/3	3.331
197	0.379
199/1	0.465
199/2	0.063
320/2	1.000
172/2	1.223
176/2	0.253
185/2	0.373
152	0.090
157	0.126
159	0.417
160	0.126
163	0.000
164	0.000
165	0.366
291	0.619

(1)	(2)	(1)	(2)
292	0.202	30	0.025
293	0.039	31	0.089
314	0.670	32	0.354
293	0.392	33	1.012
292	0.253	181	1.695
156	0.190	86	0.632
166	0.051	87	0.329
178	1.366	88	0.392
179	0.051	89	0.405
81	0.544	91	0.316
195/1	0.201	186/3/1	0.303
196/2	0.265	185/1	0.879
196/1	0.064	137/2	0.272
301/1	0.721	138/2	0.012
83/3	1.726	50/2	0.019
190/2	0.833	273/6	0.885
70	0.164	274/3	3.920
80/1	0.071	12/2	2.782
80/2	0.071	22	0.089
80/3	0.070	23	0.013
80/4	0.071	24	0.354
290	0.291	25	1.391
11/1	0.139	26	0.342
273/5	3.288	45	0.025
90/5	3.250	62	0.038
147	0.253	63	0.240
150	0.569	64	0.640
151	0.190	128	0.329
212	0.468	139	2.213
9/2	1.951	140	5.210
90/4/2	0.337	269/3/1	5.364
90/4/4	0.337	269/3/2	1.214
9/1	0.022	11/2/1	1.012
12/1	0.026	44/4	0.004
277/2	0.266	132/2	0.025
274/2	1.518	135/1	0.424
276/3	2.529	136/1	0.068
21/2	0.222	141/2/1	0.787
82/2	0.778	141/7	1.000
83/1	0.958	155	1.164
184/1	1.172	182/1	0.408
27	0.051	141/6	1.000
28	0.152	60	0.152
29	0.051	61	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
281	4.743	180/3	0.240
80/5	0.071	309/2/2	0.085
172/3	0.922	90/3	3.035
195/3	0.266	190/1	0.832
196/2	0.265	277/1/2	1.000
19/64	0.265	320/3	1.000
71	0.025	321/2	0.480
72	0.013	269/7	2.000
74	0.240	273/1	1.321
75	0.240	273/4	3.288
76	0.417	273/3	1.265
77	0.076	274/5	1.442
78	0.342	275/2	2.530
158	0.101	305/2	1.112
16/2	0.287	304	0.740
149	0.607	284/2	0.050
9/3	1.444	4/2	0.911
90/6	1.000	4/1	5.007
320/5	1.000	90/4/1	0.675
320/12	1.221	90/4/3	0.675
320/4	1.000	17	0.190
320/9	1.000	18	0.025
276/2	1.075	34	0.379
302	0.689	35	0.139
320/10	1.000	39	0.266
288/1	0.734	40	0316
320/14	0.800	46	0.051
141/3	1.639	47	0.063
134/2	0.038	130	0.658
136/4	0.020	131	0.797
135/3	0.036	137/1	0.272
141/2/3	0.787	138/1	0.013
185/3	0.506	11/2/2	1.012
137/1	0.129	44/3	0.003
11/2/4	1.012	129/1	0.670
301/2/4	0.084	132/3	0.500
186/3/2	0.304	135/2	0.020
329/6/1	0.084	136/2	0.068
143	0.455	141/2/2	0.787
144	0.367	182/2	0.408
269/5	2.000	182/3	0.408
84/5	0.500	317/3	0.129
90/2	2.030	11/2/3	1.012
141/5	1.674	14	1.089

(1)	(2)
15	0.396
16/1	0.190
21/1	0.221
44/2	0.003
129/2	0.690
44/1	0.003
129/3	0.670
134/1	0.038
136/3	0.046
141/2/4	0.787
317/2	0.130
69/1	0.215
79	0.051
73	0.012
148	0.101
84/2	1.000
6/2	0.728
7/2	0.447
19	0.025
20/2	0.101
36/2	0.063
37/2	0.057
38/2	0.057
41/2	0.089
42/2	0.108
65	1.341
133/2	0.250
97/2	3.055
92/130/2	1.378
6/1	0.727
7/1	0.223
20/1	0.101
132/1	0.298
84/3	1.000
योग . .	187.150

ग्राम-मोहनपुरा

193/2/3	1.000
32/2/8	1.000
170/3	0.057
183/2	0.016
34/2	0.882
35/2	0.582
35/5	1.505
37/1	0.405

(1)	(2)
296	0.215
300/1	2.719
121/2	0.025
278/2	0.093
189/3	0.506
189/5	0.310
202/2	0.468
98/1	0.468
202/2	0.468
32/2/6	1.000
170/4	0.057
183/1	0.015
189/4	0.506
189/6	0.390
98/4	0.468
125	0.114
127	0.089
134	0.038
33	2.137
142	0.493
146	0.114
188	0.228
198	1.391
199	0.632
225	0.190
1/23	3.794
270/1	1.549
271/1	0.189
272/1	0.392
292/1	0.323
34/4	3.000
35/6	0.750
35/8	0.215
37/2	0.253
38	0.038
40/1	0.289
40/3	0.235
87/1/1	0.547
39/3	0.329
87/3/1	0.193
109/4/2	0.051
136/2/1	0.029
209/2/2	1.075
252	0.152
26/1	0.200

(1)	(2)
26/5	0.050
209/1	1.000
32/2/7	1.000
170/1	0.057
183/3	0.016
189/1	0.525
139	0.291
170/1	0.057
98/2	0.467
270/2	1.549
271/2	0.190
272/2	0.392
292/2	0.322
50/1	1.479
197	0.835
1/26/1	0.478
99/15	3.794
32/2/3	1.000
193/2/1	0.619
28	1.480
65	0.595
69	0.746
91/1	0.124
95/1	2.053
104/2	1.379
106/1	0.202
181	0.089
299/2	0.051
32/4	0.400
123	0.076
124	0.152
129	0.139
133	0.013
226	0.089
229	0.089
230	0.253
245	0.038
99/5	0.900
99/17	1.629
100/3	1.028
121/1	0.025
122	0.063
132	0.139
135	0.025

(1)	(2)
231	0.190
240/1	0.048
246	0.025
278/1	0.092
298	0.164
299/1	0.051
300/2	1.265
190/4	0.500
211	1.190
212	0.506
289	0.025
290	0.051
291	0.252
293	0.089
296	0.139
210/8	0.095
221/1	0.259
136/4/1	0.181
209/2/3	1.075
275/4	0.126
276/1	0.026
26/3	0.050
26/6	0.200
34/3	1.195
34/5	0.139
35/7	1.290
39/2	0.239
40/2	0.235
87/2/1	0.243
109/4/3	0.100
136/3/1	0.067
167	0.291
209/2/1	1.075
26/4	0.050
34/1	0.474
35/1	0.253
35/3	0.909
35/4	0.443
39/1	0.341
109/4/1	0.051
136/1/1	0.015
174	0.038
177	0.266
178	0.101
209/4/2	1.075

(1)	(2)	(1)	(2)
274/2	0.060	268/1	0.126
275/2	0.100	32/2/10	1.000
26/2	0.500	109/3	0.190
165/3	0.013	234	0.152
57	0.164	306/2	1.328
62	2.402	36	0.784
184	0.089	103	2.200
186	0.329	112	0.354
187	0.316	138	0.392
50/2	0.759	143	0.481
1/18/1	3.094	171	0.379
73	0.126	172/1	0.013
81	4.760	194	0.278
82	0.266	201	0.051
84/1	0.066	205	0.860
118/1	1.041	206/1	0.266
119	0.569	206/2	0.013
193/2/4	1.000	232	0.190
32/12	0.795	262	0.278
32/13	0.800	263	0.417
32/9	0.100	264	1.455
241/2	0.004	265	0.822
32/5	0.800	266	6.285
99/1/1	1.052	307	4.338
99/3	2.908	71	0.051
99/8	3.035	114	0.443
99/9	3.794	190/3	0.800
126	0.089	42	0.253
130	0.139	43	0.089
210/5	0.531	64	0.379
228	0.215	75	0.177
238/1	0.076	76	0.111
188	0.228	77	0.038
189	0.025	78	0.038
32/6	0.800	79	0.076
100/2	1.027	80	1.252
283	0.304	32/2/1	2.000
295	0.215	111	0.139
193/4	1.232	277	0.076
215	0.038	285	0.013
239/2	0.025	20	0.253
244/1	0.019	15	1.341
250/1	0.063	145	0.051
267/2	0.392	209/5	0.557

(1)	(2)	(1)	(2)
32/2/5	1.000	210/4	0.696
141/2	0.237	213	0.038
22/2	0.096	214	0.177
23/1	1.169	105/1/1	0.485
163	0.228	106/2	0.107
180/2	0.063	109/2/2	0.158
200	0.848	110/1/1	0.466
204/1	0.714	195/1	0.100
255/1	0.088	195/3	0.235
256/1	0.126	242/2	0.038
256/3	0.038	66	0.051
261/2	0.304	67	0.038
260/2	0.304	68	0.038
116/1	1.271	70	0.076
180/1	0.063	89/1	0.200
204/2	0.171	90/1	0.074
255/2	0.304	92	0.329
256/2	0.127	32/1	1.015
256/4	0.051	19/4	0.545
260/1	0.158	32/10	1.560
222	0.291	190/2	1.000
223	0.253	210/2	0.506
233	0.304	241/1	0.054
259	0.316	32/8	0.100
280	0.278	32/2/4	1.000
286	0.025	32/2/2	2.000
287	0.152	32/2/9	1.640
99/12/1	1.111	12	0.392
170/2	0.057	44	0.645
182	0.025	45	0.645
183/4	0.016	46/2	0.114
189/2	0.506	48	0.152
189/7	0.309	140	0.291
98/3	0.468	156	0.190
147	0.152	157	0.228
109/1	0.063	158	0.051
219	0.354	175	0.510
32/11	1.145	209/2/4	1.075
19/3	0.550	209/3	2.529
121/3	0.026	258/2	0.051
278/3	0.093	209/4/1	0.695
284	0.164	275/3	0.537
299/3	0.051	276/2	0.063
193/5	0.089	25	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
261/1	0.158	105/3/1	0.561
99/2	0.506	110/3/1	0.370
99/4/2	1.138	113	0.569
99/1/3	1.000	115	0.101
99/1/2	0.350	159	0.342
99/4/1	1.138	160	0.089
99/6	3.883	176	0.038
99/16	0.038	161	1.139
99/7	1.518	162	0.139
99/10	2.529	164	0.152
99/11/1	0.127	251	0.144
99/11/2	2.022	165/2	0.013
99/13	5.311	165/4	0.013
99/14	2.529	166	0.152
100/1	1.027	191/1	0.045
100/5	0.514	191/3	0.063
128/2	0.095	191/6	0.012
131/1	0.069	191/5	0.025
210/9	0.177	192/2	0.120
221/2	0.260	210/7	0.095
239/1	0.026	240/2	0.030
244/2	0.019	267/1	0.392
250/2	0.063	268/2	0.127
210/6	0.253	193/2/5	1.000
104/1	1.378	27	1.202
179	0.417	29	8.096
202/1	0.468	30	0.013
105/2/1	0.430	46/1	0.076
306/1	0.569	168	0.177
11/1	2.528	258/1	0.063
1/24/1	2.294	47	0.190
16	0.683	52	1.025
11/2	0.013	185	0.089
13	0.949	235	0.038
22/1	0.633	236	0.190
32/7	0.800	53	6.766
193/2/2	1.000	54	1.429
305/1	1.896	55	0.278
106/3/1	0.086	56	0.430
109/2/1	0.140	58	0.202
110/2/1	0.432	59	0.645
195/2	0.335	60	0.569
227	0.051	61	0.885
242/1	0.051	101	1.833

(1)	(2)
102	0.999
141/1	0.790
165/1	0.630
165/5	0.013
63	0.620
274/1	0.089
275/1	0.211
74	0.076
1/13/1	0.632
1/2/2	1.264
1/13/2	0.633
1/3	2.529
1/12	1.265
1/4	2.529
1/8	2.529
17	1.227
118	0.240
1/19/1	2.381
21	1.493
23/2	1.929
311	1.303
313	0.367
314	2.972
317	0.342
318	0.202
319	1.640
320	0.089
321	0.304
322	0.531
323	0.202
324	0.430
1/1/1	0.458
1/1/2	1.000
208/1	0.158
208/2	0.158
208/3	0.253
216	0.455
217	0.164
218	0.228
220	0.607
224	0.354
1/22	4.110
241/3	0.005
249/1	0.025
253	0.177
257	0.215
1/7/1	2.466
1/16	1.265
1/17/2	0.126
279	0.051
282	0.101
1/11	1.265
1/5	2.529
1/15	1.265
1/6	2.529
1/14	1.265
1/9	2.529
1/20	1.138
1/25	2.668
1/17/1	2.404
1/21	2.529
1/24/2	1.500
96	2.871
310	1.240
9/1	0.430
10/1	0.227
305/2	0.417
1/1/3	1.000
1/2/1	1.265
योग . .	315.523

ग्राम—टाण्ड़ी

139/1	0.172
254	0.063
255/2	0.044
152/2	0.253
302/1	0.569
303/2	0.105
316/1	0.105

(1)	(2)
317/2	0.368
320/2	0.379
321/2	0.127
2/2	0.165
64/2	0.031
123/1	0.019
265/2/2	0.019
47/1	0.269
51/1	0.500
280/1	0.032
286/1	0.279
300	0.215
301	0.164
323/1	0.500
325/1	0.019
328	0.038
329/1	0.077
332/1	0.158
333/1	0.323
334/1	0.063
343/1	0.038
350	1.795
351	0.063
352	0.392
353	0.330
354	1.632
358/381	0.443
7/1	0.260
11	0.025
12/2	0.031
18/2	0.570
52/2	0.120
240/2	0.785
242/1	0.196
275/1	0.057
265/3/2	0.013
305/1	0.120
306/2	0.455
307/2	0.045
308/2	0.101
305/2	0.120
2/1	0.165
64/1	0.032
123/2	0.019

(1)	(2)
265/2/1	0.019
265/3/1	0.012
306/1	0.456
307/1	0.044
308/1	0.101
107	0.025
250	0.177
251	0.215
40/1	0.038
119	0.038
133	0.038
162	0.664
228	0.164
229	0.531
235	0.215
236	0.342
258	0.051
282/1	0.051
227	0.430
3/2	0.302
61/2	0.348
67	0.089
69	0.101
129/2	0.038
130	0.013
344/1	1.708
344/2	1.063
28	1.164
35	0.177
39	0.949
80	1.849
85	0.569
86	0.278
87	0.025
88	0.392
89	0.025
90	0.051
91	0.013
92	0.430
97	0.266
98	1.415
99	0.721
100	0.013
101	0.025

(1)	(2)
102	0.051
103	0.139
114	0.379
118	0.737
121	0.291
122	0.177
140	0.190
141	0.089
148	0.392
224	1.455
268	0.228
288	0.228
289	0.063
294	0.051
326	0.013
276/1/2	0.226
290/1	0.051
292/1	0.246
293/1	0.411
339/1	0.152
340/1	0.405
7/2	0.259
12/1	0.032
18/1	0.057
20	0.228
52/1	1.200
74	0.038
75	0.038
76	0.076
77	0.025
78	0.164
79	0.152
81	0.443
242/2	0.196
275/2	0.057
276/1/1	0.266
290/2	0.050
292/2	0.247
293/2	0.411
340/2	0.860
248	0.164
255/1	0.045
277	0.101
279	0.101
367/1	0.494
5	2.161
8/1	0.999
45	0.126
46	0.658
143	0.076
57	0.215
244/2	0.101
247	0.405
263	0.089
267/2	0.031
143/387	0.240
1	0.860
110	0.126
111	0.519
112	0.445
113	0.240
116	0.101
125	0.038
126	0.126
164	0.898
260	0.126
261	0.114
297	0.663
19/1	0.202
21/1	0.300
22	0.518
24	0.051
27/1	1.398
43	0.164
44	0.013
259	0.013
336	0.164
83	0.202
84	0.089
364	0.114
158	0.076
159	0.038
163/1	0.531
330	0.342
341	0.139
342	0.083
365	1.138
366	1.354

(1)	(2)	(1)	(2)
370	0.961	25	0.089
119/382	2.023	27/2	0.223
339/2	0.139	47/2	0.300
335	0.025	51/2	0.411
13/1	0.190	280/2	0.031
15	0.253	286/2	0.278
16/1	0.026	323/2	0.735
38/2	0.550	325/2	0.019
124/1	0.126	329/2	0.100
124/2	0.114	348	0.430
40/2	0.266	276/2	0.063
41	0.430	285	0.202
6	0.342	59	0.253
54	0.240	295	0.190
55	0.089	137	0.051
56	0.076	283	0.177
73	0.025	324/1	0.696
271	1.063	60	0.164
272	0.063	63	0.164
274	0.114	142	0.202
302/2	0.569	146/2	0.114
32/1	0.142	3/1	0.301
33/1	0.011	58	0.177
36/1	0.123	61	0.348
37	0.152	68	0.215
245	0.468	129/1	0.038
246/1	0.228	243	0.342
30/2	0.026	244/1	0.101
32/2	0.022	246/2	0.405
48/1	0.532	262	0.076
49/1	0.835	267/1	0.032
50	0.025	4	0.772
269	0.139	367/3	0.012
337	0.126	8/2	0.506
347	1.720	13/2	0.284
48/2	0.379	16/2	0.025
49/2	0.126	38/1	0.551
296	0.632	14	0.051
298	0.114	17	0.013
299	0.822	29	0.177
19/2	0.203	30/1	0.176
21/2	0.269	31	0.177
23	1.164	156	0.278
26	0.013	157	0.342

(1)	(2)
160	0.063
161	0.076
163/2	0.165
284	0.133
252/1	0.045
253/1	0.110
303/1	0.104
33/2	0.002
36/2	0.016
252/2	0.006
253/2	0.016
303/3	0.069
316/2	0.034
317/3	0.186
53	0.013
62	0.531
93	0.089
94	0.354
95	0.101
96	0.051
144	0.089
145	0.139
367/2	1.189
105	0.013
106	0.013
108	0.240
109	0.051
135/2	0.089
138	0.038
146/1	0.303
147	0.063
149	0.101
150	0.126
151	0.266
152/1	1.214
153	0.126
154	0.455
155	0.063
65	0.025
66	0.025
266	0.051
304	0.101
309	0.266
310	0.089
311	0.089
312	0.190
313	0.215
314	0.493
135/1	0.632
359	0.658
360	1.695
361	0.089
363	0.481
71	0.013
72	0.139
82	0.126
134	0.038
176	0.329
227	0.129
237	0.076
238	0.228
317/1	0.192
265/1	0.051
282/2	0.025
320/1/1	0.152
321/1/1	0.101
320/1/2	0.317
321/1/2	0.367
369/2	2.023
योग . .	98.855

ग्राम—नाईहेड़ा

182/1/1	1.311
232	0.354
233	0.051
337	0.202
338	0.164
339	0.278
367	0.038
370	0.076
373	0.291
208	0.038
209/1	0.215
345	0.063
448	0.089
456	0.089
498	0.177
544	0.367

(1)	(2)	(1)	(2)
578	0.784	301/1/2	0.089
579	1.607	305	0.253
581	0.923	276	0.341
582	0.190	390	0.190
182/1/1/2	1.312	395	0.011
236	0.759	590	0.079
335	0.094	280	0.240
102/1	1.354	329	0.367
102/2	0.784	351	0.101
275	0.392	353	0.126
279	0.557	331	0.405
484	0.190	356	0.062
93	1.708	365	0.051
99	0.336	366	0.101
100	1.202	386	0.101
101	0.405	421	0.152
103	0.190	438/1	0.089
237/1	0.241	444	0.063
458	0.923	447	0.013
108/2	0.390	450	0.126
140/4	0.237	452	0.342
125/1/2	0.200	460	0.772
226	0.481	488	0.202
229	0.038	494	0.152
230/2	0.046	496	0.152
586/2	0.015	511	0.076
230/3	0.046	515	0.190
586/3	0.015	516	0.114
7/3	0.152	577	0.885
27/3	1.007	636	0.253
51/3	0.258	638	0.278
195	0.051	39	2.162
378/3	0.038	72	1.986
379/3	0.026	73	0.822
583/3	0.304	219	0.051
274/2	0.483	410	0.152
286/1	0.246	454	0.278
287/2	0.010	40	0.063
297/1	0.348	573/2/1	2.119
398/3	0.038	210	0.076
301/1	0.088	282	0.645
303	0.240	313	0.063
274/3	0.483	424	1.695
297/2/1	0.095	484	0.190

(1)	(2)	(1)	(2)
94/1	0.081	555	0.190
230/1	0.046	590	1.581
27/1	0.352	591	0.089
60	0.497	600	0.253
62	1.022	607	0.089
84	0.810	646	0.822
113	0.177	587	0.371
426	0.139	598	0.120
485	0.013	589	1.204
495	0.228	592	0.013
502	0.051	599	0.769
512	0.076	597	0.689
514	0.215	64	0.304
521	0.215	68/7	2.276
182/1/2	2.622	654/15	0.379
4/1/2	0.636	53/1	0.048
459	0.797	94/2	0.317
274/1	0.967	17/1	0.537
223	0.114	17/3	0.537
368	0.430	41	0.873
277	1.607	91	0.898
284	0.152	382	0.076
312	0.202	383	0.202
319	0.317	532	0.177
323	0.152	584	0.177
455	0.144	547	0.089
457	0.114	562	1.391
342	0.214	563	0.759
347	0.038	568	0.468
600	0.025	42/1	0.389
63	1.890	43/1	0.130
54	2.263	44/1	0.452
181/9	0.126	45/1	0.467
190	0.354	148	0.164
197	0.114	361/1	0.063
240	0.746	434/1	0.082
250	0.316	435/1	0.029
251	0.089	436/1	0.042
253	0.025	437	0.013
291	0.101	541/1	0.075
314	0.114	42/3/1	0.247
493	0.317	43/3	0.129
520	0.089	44/3	0.452
541/3	0.074	45/3	0.467

(1)	(2)	(1)	(2)
360	0.025	24/2	0.853
261/3	0.063	53/1	0.578
362	0.013	53/3	0.483
375	0.152	153	0.101
435/3	0.028	211/1	0.025
445	0.038	97	0.728
42/3/2	0.123	149/1	0.120
81/1	0.433	169/1	0.026
81/3	0.433	187/2	0.392
334/2	0115	248/3	0.089
334/1	0.115	503/2	0.089
125/1/1	0.180	4/2	2.941
12	1.063	5	1.935
125/1/5	0.136	517	0.101
125/1/4	0.180	518	0.240
584/1/4	0.200	528	0.329
125/1/3	0.180	550	0.139
584/1/3	0.200	551	0.152
130	0.076	7/1	0.151
68/2	0.759	51/1	0.257
129	0.038	378/1	0.038
126	0.063	379/1	0.025
128	0.278	679/2	1.012
586/1	0.015	684/5	2.339
106/3	0.445	7/2	0.152
108/3	0.557	27/2	1.007
109	0.493	51/2	0.257
110	0.468	378/2	0.038
105/2	0.139	379/2	0.025
173/2/1	0.756	586/2	0.304
234	0.007	8	1.366
235	0.046	679/1	3.035
336	0.396	9/1	0.388
33/2	0.095	46/1	0.386
215/3	0.038	78/3	0.986
317	0.114	46/2	0.386
318	0.354	78/2	0.987
333	0.190	47	0.949
565/3	0.329	440	0.076
231	0.063	48	0.076
340	0.159	49	0.696
377	0.089	161	0.051
33	0.177	272	1.138
22/1	0.007	357	0.051

(1)	(2)	(1)	(2)
358	0.240	123	0.051
442	0.025	124	0.013
443	0.228	127	0.051
487	0.202	112/1	0.381
55/1	0.500	112/2	0.327
55/4	0.500	341	0.087
584/1/7	0.400	133	0.114
55/2	0.500	134	0.013
55/3	0.500	343	0.190
55/5	0.500	344	0.253
55/6	0.500	348	0.152
55/7	0.500	372	0.126
55/8	0.500	433	0.266
55/9	0.500	76/2	0.561
55/10	0.500	82/3	0.695
55/11	0.500	115	0.126
55/12	0.500	122	0.101
55/13	0.500	170	0.051
55/14	0.500	173/6	0.025
584/1/5	0.250	531/1	0.063
55/15	0.500	9/2	0.388
55/16	0.101	76/3	0.561
56	0.126	82/2	0.695
35/1	0.067	160/1	0.045
29	0.304	193	0.038
215/1	0.032	531/2	0.063
376	0.025	614/18	1.000
377	0.089	9/3	0.387
504	0.291	76/1	0.560
513	0.468	82/1	0.696
565/2	0.999	160/2	0.044
566/1	1.587	191	0.215
566/2	1.587	531/3	0.064
106/2	0.709	10	0.987
107	0.292	12	1.518
11	0.860	672/4	3.794
142/2	0.013	17/2	1.075
106/1	1.568	42/2	0.760
108/1	0.368	43/2	0.259
28/2	1.166	44/2	0.904
131	0.152	45/2	0.936
124	0.013	53/2	0.961
6	1.088	81/2	0.867
121	0.089	159	0.076

(1)	(2)	(1)	(2)
213	0.101	4/1/1	4.303
361/2	0.127	14	1.429
434/2	0.165	216	0.253
295/2	0.228	380	0.089
431	0.152	419	0.038
57/1/1	1.518	522	0.304
57/1/2	0.770	173/1/1	0.756
363	0.114	206/2	0.038
364	0.051	248/2/1	0.146
387/1	0.089	420	0.076
387/2	0.088	661/2/1	0.404
394	0.076	662	0.531
400/1	0.082	664	0.406
408	0.126	665	0.810
409	0.038	666/1/1	0.958
416/1	0.101	682/1	0.790
417	0.126	173/12/3	0.250
418	0.139	177	0.568
57/2	0.759	176/2	0.379
58	0.936	178	0.164
68/3	1.265	176/1	1.012
87	0.329	173/2/2	0.708
68/1/1	2.668	173/2/3	1.417
68/1/2	1.518	182/2	1.805
155	0.101	183	0.466
156	0.025	184	1.058
68/4	2.539	185	3.022
68/5	2.539	435/2	0.057
68/6	4.047	436/2	0.082
88	0.317	439	0.051
68/8	1.770	18/2	2.024
70/1/1	0.400	59	0.810
70/1/12	0.500	298/2	0.309
70/1/2	0.300	299	0.759
70/1/12	0.500	434/2	0.165
70/1/3	0.300	526	0.253
70/1/4	0.500	19	0.304
453	0.063	80/2	0.140
485/3	1.328	674/2	1.213
2	0.860	21/1	0.105
218	0.810	22/2	0.160
381	0.114	24/1	0.506
3	1.543	21/2/1	0.217
13	1.088	181/5/1	1.357

(1)	(2)	(1)	(2)
21/2/2	0.217	77/1/2	0.500
181/5/2	1.357	181/7/1	1.012
21/2/3	0.217	78/1	0.429
181/5/3	1.357	79	0.559
21/3	0.652	334/3	0.165
22/3	0.006	509	0.253
24/3	0.853	510	0.126
211/2	0.026	224	0.063
21/4	0.107	227	0.114
22/4	0.190	228	0.101
24/4	0.506	382	0.076
211/3	0.025	393	0.230
26	0.961	396	0.049
164	0.278	397	0.003
165	0.013	384	0.003
500	0.203	98	0.139
28/1	1.227	369	0.101
70/1/14	0.500	371	0.023
70/1/5	0.400	89	0.326
70/1/6	0.100	23	0.015
584/1/1	0.150	20	1.821
70/1/7	0.500	89	1.632
70/1/16	1.000	212	0.038
70/1/8	0.500	499	0.202
70/19	1.000	608	1.316
70/1/9	0.500	609	0.860
70/1/10	0.500	611	0.051
70/1/13	1.000	612	0.607
70/1/15	0.500	613	0.708
584/1/19	0.400	119	0.025
70/1/17	1.000	614/16	1.000
70/1/18	1.000	132	0.076
70/1/20	0.500	136	0.025
70/1/21	0.500	222	0.025
70/1/22	0.500	406	0.013
70/1/23	0.215	407	0.025
614/6/2	0.254	139	0.025
71	1.986	140/1	0.237
74	0.240	140/2	0.238
216	0.253	140/3	0.237
321	0.177	140/5	0.013
330	0.253	527	0.557
77/1/1	0.500	559/2	2.624
584/1/2	0.250	28/3	1.987

(1)	(2)	(1)	(2)
30	1.075	546	0.126
31	1.012	118	0.139
220	0.038	191/2	1.618
315	0.417	536	0.202
400/2	0.132	541/2	0.142
653	1.796	575	0.822
654/16	0.506	596	0.544
38	0.519	597	1.531
83	0.746	186	1.505
85	0.139	187/1/1	0.253
114	0.164	187/3	0.228
154	0.051	243	0.772
214	0.063	647	0.202
661/2/2	0.405	654/14	1.947
666/1/2	0.958	660/2	0.253
173/3	3.023	661/1	0.810
173/5	0.051	666/2	0.958
534	0.152	682/3	0.396
615/8	2.530	683	0.493
654/7/2	2.023	684/8	3.794
173/8	0.243	191/1	0.430
173/9	0.126	142/1	0.012
684/3	3.794	594	0.253
173/10	0.253	595	0.822
173/12/1	0.500	147	0.114
173/12/2	0.500	149/2	0.120
173/13	1.260	150	0.228
173/14	0.460	173/7	0.126
173/15	0.140	508	0.152
584/1/6	0.360	672/2/1	1.059
173/16	0.038	151	0.076
80/1	1.794	152	0.063
86	2.415	157	0.202
402	0.013	158/1	0.038
405	0.405	162	0.063
414	0.329	273	0.557
422	1.670	352	0.076
92	0.240	446	0.063
95	1.341	486	0.139
96	1.012	635	0.557
501/2	0.050	158/2	0.025
105/1	0.392	159/2	0.012
116	0.139	163	0.266
120	0.063	194	0.126

(1)	(2)	(1)	(2)
614/11	1.000	400/1	0.038
614/12	1.000	497/1	0.127
614/25	1.000	191/3	1.012
169/2	0.025	198	0.013
172	0.076	207	0.253
173/4	0.101	497/2	0.126
176	0.038	199	0.126
668/2	0.760	256	0.076
669	0.089	261	0.126
670	0.228	270	2.061
671	1.025	292	0.152
173/17	0.063	324	0.265
173/18	0.039	328	0.152
173/19	0.500	553	0.063
173/20	0.500	556	0.240
173/21	0.500	557	0.417
173/22	0.500	576	0.683
181/1/1	2.024	587	0.742
564/2	1.442	598	1.202
181/1/2	2.024	599	0.961
181/2	1.012	634	0.632
260	0.253	645	0.797
289	0.215	648	0.696
181/3	5.059	649	1.063
181/6	1.012	200/1	0.038
615/4	0.885	203	0.089
654/17	2.086	237	0.265
181/7/2	1.011	268/2	1.593
181/8	1.619	637/1	0.803
181/10	0.278	644/1	0.423
187/1/2	0.253	202/2	0.019
188	1.732	205/2	0.050
189	0.089	258	0.215
204/1	0.038	259	0.342
242	0.114	268/1	0.759
249	0.215	173/1/2	1.511
254/1	0.107	206/1	0.038
266/1	0.101	248/2/2	0.145
239/1	1.038	262	0114
271/2	1.012	263	0.164
293	0.089	349	0.190
359	0.215	601/1/1	1.044
388	0.101	605	1.214
389	0.126	606	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
607/1	0.506	237/3	0.265
201	0.089	239/2	0.025
287/1	0.019	246	0.228
288	0.987	247	0.063
306	0.152	248/1	0.202
307	0.063	264	0.202
309	0.342	265	0.152
325	0.329	350	0.076
326	0.152	489	0.101
327	0.089	490	0.025
137	0.063	601/2	1.043
151	0.114	657	0.632
252	0.101	658	0.632
256	0.101	660/3	0.253
294	0.329	663	0.454
640	0.794	430	0.038
641	1.012	637/2	0.297
642	1.164	639	0.506
643	0.430	644/2	0.424
655	0.101	652/2	0.361
204/2	0.051	200/3	0.019
266/2	0.101	205/1	0.025
269/2	0.632	519	0.202
354	0.013	589	1.417
355	0.240	592	0.253
401/2	0.038	255	0.177
403	0.190	290	0.137
404	0.342	295/1	0.228
441	0.089	286	0.303
505	0.013	271/1	1.011
506/1	0.046	278	0.772
506/2	0.055	283	0.089
507	0.025	281	0.152
525	0.265	492	0.190
535	0.089	491	0.101
215/2	0.031	667	1.695
529	0.114	285	0.228
530	0.250	296	0.860
549	0.152	297/2/2	0.253
565/1	0.999	346	0.317
237/2	0.379	523	0.304
302	0.215	524	0.190
308	0.342	298/1	1.037
310	0.329	300	0.126

(1)	(2)	(1)	(2)
304	0.152	254/2	0.072
571	0.860	254/3	0.036
572	0.342	614/7	1.000
316	0.342	614/8	0.500
320	0.190	614/9	0.500
423	1.416	614/10	1.000
429	0.126	614/13	2.000
432	0.304	614/14	1.000
451	0.190	614/15	0.500
564/1	0.442	614/19	0.500
580	0.405	614/20	1.000
681	1.025	614/22	1.000
398	0.051	614/23	1.500
411	0.304	614/24	2.000
412	0.228	167/1	0.228
413	0.076	614/21	1.000
415	0.240	615/1	0.253
569	0.734	615/9	0.506
570	0.885	654/4/1	2.361
416/2	0.101	684/1	1.518
614/17	1.000	615/2	0.253
427	0.303	654/3	1.012
428	0.101	672/1	2.023
603	0.379	676	0.860
604	0.417	615/6	3.829
434/3	0.008	615/7	1.265
436/3	0.040	481	0.139
449	0.202	652/1	0.360
560	1.960	654/4/2	1.180
501/1	0.051	332	1.113
503/1	0.088	322	0.152
553	0.063	16	1.972
533/1	0.126	385	0.164
558/2	0.323	390	0.190
533/2	0.500	391	0.089
552	0.038	392	0.013
558/1	0.322	679/7	0.759
537	0.051	679/4	2.276
538	0.202	679/5/1	0.935
666/3	0.958	679/5/2	1.518
682/2	0.395	679/6	0.582
241	0.051	680	3.465
244	0.190	684/2/2	0.823
245	0.051	684/6	1.265

(1)	(2)
684/7	0.569
685/1	0.949
685/2	0.733
686/1	3.337
686/2	0.696
686/3	0.039
584/1/16	3.000
584/1/17	0.500
584/1/18	0.500
614/2	2.000
614/3	2.000
614/4	1.049
614/5	1.150
614/6/3	0.500
614/6/4	0.500
614/6/5	0.500
614/6/6	0.500
614/6/7	1.000
673	0.144
539	0.076
540	0.114
545	0.228
561	2.213
654/12	1.391
654/13	0.632
573/1	2.023
554/10	1.265
573/2/2	2.181
573/3	0.734
584/1/8	0.400
584/1/9	0.300
672/5/3	1.922
654/5	0.885
654/6	1.644
672/6	1.518
654/7/1	0.506
654/8	2.529
654/9	5.564
684/2/1	0.442
668/1	0.252
672/2/2	0.482
679/3	1.518
672/2/3	2.000
672/5/1	0.595
672/5/2	0.759
674/1/1	0.380
674/1/1	0.380
674/1/2	0.506
675	1.518
678/1	1.100
678/2	1.265
284/1/10	0.300
584/1/11	0.500
584/1/12	0.490
584/1/13	0.500
584/1/14	0.500
584/1/15	0.500
योग . .	514.965

ग्राम-उद्पुरिया

3/4/1	2.000
79/1	0.341
3/8/1	2.415
76/1	0.329
3/8/2	1.000
3/13	0.506
108/26	2.744
3/14/1	2.100
3/19	3.035
36	0.101
44	0.050
56	0.063
125	0.569
170	0.253
171	0.126
11	0.089
12	0.152
18	0.101
193	0.417
194	1.353
198	1.607
60	0.051
3/4/2	0.149
3/17	0.506
122	0.063
199	0.860
13	0.101
108/5/6	1.600

(1)	(2)	(1)	(2)
207	0.013	72	0.126
208	1.290	74/1	0.196
108/5/1/7/5	0.150	92/1	0.114
108/5/1/7/10	0.110	94/2	0.038
108/5/1/7/2	0.250	96/2	0.012
108/5/1/7/1	0.250	101/3	0.174
3/15	3.288	127/1	0.930
8	0.215	128/2	1.524
147/1	0.012	129/3	0.177
184/2/1	0.109	138/1	0.329
3/10	2.276	147/3	0.013
15	0.063	184/4	0.221
108/7	0.329	9	0.114
108/8	0.291	19	0.164
108/9	0.759	31	0.051
111/3	0.543	58	0.051
111/7	0.253	62	0.114
117	0.405	66	0.164
119	0.114	80	0.151
120	0.202	82	0.202
123	0.492	136	1.203
124	0.202	141	0.101
210/1	0.059	142	0.114
237/1	0.185	156	3.465
16	0.190	162	0.329
32/1	0.033	163	0.987
230/1	0.418	164	0.696
106/2	0.082	185	0.569
108/3/1	1.200	186	0.038
108/3/2	1.200	215	0,721
108/5/7	1.700	216	0.885
108/16	2.023	223	0.531
108/17	1.518	246	2.010
108/5/1/3	2.000	250	0.582
108/5/10	1.400	108/5/1/4	1.500
108/20	3.832	108/5/1/5	1.500
22/1	0.025	135/2	0.203
22/2	0.051	217	0.506
29/1	0.095	233/1	0.157
30/3	0.147	105/3	0.089
63/1	0.013	109	0.139
69/1	0.025	112/3	0.333
70/2	0.051	33	0.279
71/1	0.012	75/2	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
81/1	0.013	101/2	0.174
140/1	0.051	108/5/1/1	2.000
146	0.063	127/4	0.930
154/2	1.674	128/1	1.524
166/2	0.030	128/4	1.524
167/2	0.821	129/4	0.177
168/2	0.150	138/2	0.329
169/1	0.397	147/4	0.013
178/2	0.657	184/3	0.221
181/2	0.025	221/1	0.466
190/2	0.215	224/2	0.220
191/1	0.177	225	1.265
241/2	0.189	226/2	0.310
245/2	0.260	235/2	0.272
20	0.215	118	0.999
35	0.139	134/5/1	0.237
81/2	0.253	3/7	2.276
140/2	0.050	4	0.038
154/1	1.673	5	0.013
167/3	0.700	6	0.164
168/3	0.018	10	0.126
169/3	0.680	37	0.101
191/2	0.392	87	0.202
192	0.873	88	0.126
241/3	0.191	102	1.885
245/3	0.262	108/1	2.276
106/1	0.082	131	0.152
200/1	0.392	177	0.645
219/1	0.341	189	0.607
220	0.835	108/21/1	1.771
224/1	0.113	111/8/1	0.190
226/1	0.310	3/5	1.771
227	0.442	79/2	0.190
228	0.506	108/6	0.190
28	0.126	111/2	0.379
29/2	0.095	134/3	0.708
63/2	0.012	134/4	0.328
69/2	0.026	242	1.176
71/2	0.013	247/2	0.089
73	0.127	108/2	0.559
74/2	0.196	11/4	0.253
89	0.304	130/1	0.695
91/1	0.171	111/6	0.759
93/2	0.044	3/12	1.075

(1)	(2)	(1)	(2)
108/5/12/1	0.849	210/2	0.295
32/2	0.033	108/5/12/2	0.527
34	0.253	76/3	0.089
75/1	0.253	108/25	2.605
90	0.253	3/6	3.857
139	0.089	23/1	0.025
148	0.063	23/2	0.089
154/3	1.674	24	0.430
166/1	0.008	51	0.114
167/1	0.350	52	0.051
168/1	0.200	53	1.922
169/2	1.110	54	0.240
178/1	0.594	59	0.304
181/1	0.089	61	0.126
190/1	0.392	76/4	0.101
241/1	0.189	107	1.316
245/1	0.261	3/16	3.035
108/5/1/7/17	0.240	108/5/1/6	1.000
108/5/1/7/18	0.240	108/5/1/2	2.000
3/18	3.288	126	0.443
39	0.063	3/20	1.025
172/1	0.219	30/2	0.148
205	0.063	43	0.038
209	0.884	64	0.013
38	0.076	94/1	0.038
47	0.038	95/1	0.095
55	0.063	96/1	0.013
98	0.101	101/4	0.174
108/13	1.012	11/9	1.075
46	0.038	129/2	0.177
130/2	1.265	147/2	0.013
218	0.354	180	0.379
79/3	0.506	184/1	0.222
84	0.114	221/2	0.267
85	0.266	222/1	0.699
108/5/9	1.700	231	0.076
57	0.089	232	0.126
108/5/5/1	0.324	235/4	0.370
134/1	0.506	233/2	0.020
201	0.405	108/5/11	1.700
108/15	1.012	3/14/2	0.410
134/2	0.898	111/5/1	0.506
202	1.012	3/14/3	0.411
204	0.101	11/5/2	0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
3/11	3.630	108/29/1	0.506
30/1	0.147	108/28/2	0.500
48	0.101	108/29/2	0.500
49	0.126	108/30	0.506
50	0.089	115	0.089
172/2	0.110	114/2	0.505
3/9	2.276	134/5/3	0.122
214	0.455	111/1	0.700
127/3	0.929	70/1	0.050
108/5/1/7/6	0.150	91/2	0.171
108/5/1/7/4	0.150	101/1	0.174
108/5/2	1.375	129/1	0.177
108/5/1/7/7	0.250	108/5/1/7/11	0.110
108/4/1	0.180	108/5/1/7/12	0.240
42/1	0.038	108/5/1/7/14	0.110
108/5/5/2	0.325	108/5/1/7/15	0.110
108/22/4	0.200	108/5/1/7/19	0.500
134/1/2	0.505	108/5/4	0.100
108/5/1/7/1	0.240	108/5/5/3	0.325
108/5/1/7/8	0.110	108/22/3	0.201
42/2	0.040	108/10	0.518
108/5/5/4	0.325	108/11	0.500
134/1/4	0.506	108/12	0.139
108/22/4	0.200	134/6	0.708
108/5/1/7/16	0.240	108/14	0.500
108/5/8	1.600	108/18	1.500
121	1.316	108/21/2	1.000
17	0.190	133	0.101
27	0.443	187	0.342
99	0.114	188	3.377
100	0.165	203	0.164
104	1.606	236	0.481
145	0.127	237/2	0.092
149	0.051	238	0.228
151	0.076	239	0.051
153	1.921	240	0.600
111/8/2	0.189	243	0.430
112/1	0.333	244	0.544
113	0.165	247/1	1.159
114/1	0.500	248	0.101
134/5/2	0.236	249	0.822
108/22/2	0.500	108/22/1	0.500
108/24	1.000	108/4/2	0.180
108/28/1	0.253	108/4/3	0.155

(1)	(2)
108/5/1/7/3	0.250
108/5/1/7/9	0.110
योग . .	208.643

ग्राम-कोलूखेड़ा

465/2	1.264
3/2/1	1.012
3/3/1	0.753
464	0.379
465/1	0.885
410/2/1	0.030
220/2/2	0.057
336/2/2	0.118
157/2/5	0.061
220/2/5	0.056
196/2/2	0.073
197/2/2	0.010
198/2/2	0.004
249/2/2	0.098
320/2/2	0.041
3/3/3	0.590
277/3	0.084
278/3	0.449
279/3	0.253
280/3	0.000
285/3	0.337
288/3	0.078
299/3	0.226
302/2	0.063
378/3	0.384
379/3	0.070
395/3	0.100
396/2	0.012
397/2	0.043
292/2	0.333
235/3	0.500
275/2/1	1.067
423/2	1.018
424/2	0.089
264/2	0.105
3/8/2	0.158
6	1.531
7/2	0.310
364/1	0.036

(1)	(2)
266	0.051
3/4	0.506
3/8/1	0.158
5	0.873
221/2/5	0.015
335/2/4	0.046
336/2/4	0.118
339/2/4	0.148
340/2/4	0.068
342/2/4	0.062
343/2/4	0.024
368/2/5	0.240
385/2/5	0.045
410/2/4	0.027
368/2/5	0.240
201/3	0.034
207/3	0.034
311/2	0.577
475/3	0.078
476/1/3	0.401
476/2/3	0.126
475/3	0.078
151/1/1/3	0.139
151/2/3	0.545
65/3	0.177
68/3	0.110
207/4	0.034
311/3	0.577
475/4	0.068
376/1/4	0.402
476/2/4	0.127
474/2	0.411
331/2/2	0.164
332/2/2	0.029
334/2/2	0.481
403/2/2	0.023
43/4	0.180
44/3	0.183
45/1	0.050
47/1	0.089
128/1	0.586
129/1/1/1	0.375
129/1/1/5	0.100
129/1/1/10	0.063

(1)	(2)
129/2/1	0.348
129/3/1	0.215
136/2	0.758
333/2/2	0.261
149/4/2/2	0.759
4/487/1	0.361
314/1	0.212
369	1.349
466	1.417
467/1	1.101
467/2	1.943
468	1.265
300/1	2.023
295/3	1.070
51	0.063
56	0.051
7/1	0.311
264/3/2	0.096
417/14	0.253
129/488/1	0.506
129/488/2	4.237
54/3	0.030
347/2	0.439
314/2/2	0.037
9	0.544
10	0.342
12/1	0.400
13/1	0.401
61	0.126
162/2	0.120
54/485	0.089
166/1/2	0.027
312/2/1/2	0.485
456/1/2/2	0.152
456/2/2/2	0.063
470/1/2	0.160
153/5/2	0.127
166/1/3	0.028
312/2/1/3	0.485
456/1/2/3	0.152
456/2/2/3	0.063
470/1/2	0.160
153/2/1	0.506
153/5/2/3	0.126

(1)	(2)
151/1/1/4	0.140
151/2/4	0.548
53/2	0.164
64	0.013
65/2	0.177
68/2	0.110
119/1	0.331
151/1/1/2	0.278
151/2/2	0.593
53/1	0.164
65/1	0.177
68/1	0.109
69	0.025
74/1	0.221
201/1	0.033
151/1/1/1	0.278
151/2/1	0.843
207/1	0.067
311/1	0.894
389/1	0.072
475/1	0.136
476/1/1	0.402
476/2/1	0.253
155/2	0.506
156	0.721
159/1/1	0.133
306	1.505
401/1	0.034
57	0.025
162/1	0.171
421/11	1.265
379/491	0.784
254/1	0.019
421/7	3.035
164/3	0.009
330/2	0.879
338/1/2	0.253
338/2	0.759
187/2/1	0.060
188/2/1	0.035
189/2/1	0.009
190/2/1	0.015
191/2/1	0.016
192/2/1	0.015

(1)	(2)
196/2/1	0.072
197/2/1	0.009
198/2/1	0.003
249/2/1	0.098
320/2/2/1	0.041
331/2/1	0.165
332/2/1	0.028
334/2/1	0.480
307/1	0.775
314/2/1	0.175
333/2/1	0.261
149/4/2/1	0.759
166/2	0.082
167/2	0.006
312/2/2	1.454
456/1/1	0.455
456/2/1	0.190
470/2	0.481
473	0.164
235/4	0.552
238	0.089
239	0.076
240	0.202
423/1	2.036
424/1	0.089
423/1	1.018
235/1/1	0.417
236/2	0.645
273/2	0.057
274	0.557
275/1	0.100
352/2	0.506
422/1	2.331
236/1	0.645
421/14	1.839
422/2/1	1.825
472/484	0.607
273/1	0.057
233	0.379
235/2	0.200
251/2	0.078
259/2	0.133
376/2	0.430
382/2	0.829
457/2	1.966
458/2	0.481
3/9/2	2.529
452/2	0.284
401/3/1	0.013
251/1	0.078
259/1	0.133
376/1	0.430
382/1	0.828
457/1	1.966
474/1	0.411
452/1	0.285
3/9/1	2.530
206	0.367
208	0.658
209	0.013
210	0.013
211	0.089
216/1	0.141
216/2	0.141
245	0.152
316/1/1	0.346
316/1/3/2	0.160
319/2	0.253
403/1/1	0.022
333/1	0.461
164/2	0.009
187/1	0.120
189/1	0.019
190/1	0.032
191/1	0.031
192/1	0.032
196/1	0.146
191/1	0.019
198/1	0.006
249/1	0.196
320/2/1	0.082
329/3	0.359
330/1	0.879
331/1	0.329
332/1	0.057
149/4/1	1.517
199	0.139
303/1	0.759

(1)	(2)	(1)	(2)
316/2	0.506	335/2/5	0.046
338/1/3	0.506	336/2/5	0.118
157/2/4	0.061	339/2/5	0.148
220/2/4	0.056	340/2/5	0.068
221/2/4	0.015	342/2/5	0.062
336/2/3	0.118	343/2/5	0.024
339/2/3	0.148	368/2/6	0.240
340/2/3	0.068	385/2/6	0.045
272/1	0.737	410/2/5	0.027
422/3/1	1.825	166/1/1	0.027
391	0.139	312/2/1/1	0.484
151/4/1	2.845	456/1/2/1	0.152
163/1	0.111	456/2/2/1	0.063
296/3/2	0.227	470/1/1	0.160
316/1/3/1	0.185	153/5/2/1	0.127
264/3/2	0.131	172/2	0.013
373/3/2	0.119	105/2	0.158
374/3/2	0.023	106/3	0.006
375/3/2	0.010	108/2	0.013
364/1	0.261	111/3	0.042
373/1	0.438	342/2/3	0.060
374/1	0.047	343/2/3	0.004
375/1	0.021	368/2/4	0.240
59/1	0.118	385/2/4	0.045
60/1	0.245	410/2/3	0.026
75/1	0.222	248	0.405
77/1	0.042	322	1.859
309/3/1	0.506	323	0.114
157/3	0.120	372	1.708
214/3	0.003	455	2.327
220/3	0.116	157/2/3	0.060
221/3	0.101	220/2/3	0.056
335/3	0.000	221/2/3	0.015
336/3	0.307	335/2/2	0.046
337/3	0.071	339/2/2	0.148
339/3	0.246	340/2/2	0.068
319/4	0.581	342/2/2	0.062
388/1	0.067	343/2/2	0.024
388/2	0.072	368/2/3	0.240
404	0.101	385/2/3	0.045
405	0.114	410/2/6	0.027
157/2/6	0.061	221/1	0.054
220/2/6	0.056	223/1	0.060
221/2/6	0.015	224/1	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
225/1	0.057	243/2	0.082
227/2	0.016	244/1	0.038
228/2	0.133	315/2	0.122
230/2/4	0.073	317/2	0.403
340/3	0.116	380/2	0.172
342/3	0.172	386/2	0.051
343/3	0.038	387/2	0.146
368/3	0.480	390/2	0.032
385/3	0.090	392	0.177
410/3	0.038	298/3	0.337
136/4	0.519	315/3	0.122
15/1/1	0.095	317/3	0.403
214/1	0.003	351/2	0.551
220/2/1	0.116	440/3	0.300
221/1	0.027	187/2/2	0.060
335/1	0.074	188/2/2	0.034
336/1	0.307	421/3/4	0.695
337/1	0.071	421/5/3	0.458
339/1	0.246	52	0.076
340/1	0.116	54/1	0.080
342/1/1	0.120	159/2	0.158
343/1/1	0.033	314/3	0.212
368/1	0.480	369/1	1.349
385/1	0.090	11	0.038
410/1	0.038	12/2	0.410
157/2/1	0.117	13/2	0.200
214/2	0.007	14/1	1.000
221/2/1	0.020	58/1	0.101
335/2/1	0.065	141/1	0.420
337/2	0.073	143/1	0.020
339/2/1	0.248	144/1	0.554
340/2/1	0.124	145	0.063
120/2	0.595	314/3	0.212
121/2	0.088	13/3	0.386
126/2	0.100	14/2	1.237
127/2	0.253	16	0.064
298/1/1	0.313	58/2	0.101
315/1	0.121	141/2	0.428
317/1	0.403	142	0.506
345/1	0.058	143/2	0.069
346/1/1	0.403	144/2	0.053
347	0.114	377/1	0.332
440/1	0.301	378/1	0.400
242/1	0.165	204	0.721

(1)	(2)
342/2/1	0.170
343/2/1	0.032
368/2/1	0.483
385/2/1	0.094
18/1	0.426
20/2	0.016
28	0.253
29/3	0.253
462/2	2.422
175	0.013
176	0.051
177	0.051
178	0.031
180	0.152
3/12	5.311
295/2/1	2.330
393/1	0.375
298/2	0.337
315/4	0.122
317/4	0.404
351/1/1	0.480
297	1.214
398/1	0.363
399	0.063
400/1	0.049
2/1/1	0.357
3/16/1	2.622
149/3	2.807
189/2/2	0.010
190/2/2	0.016
191/2/2	0.016
192/2/2	0.016
230/2/2	0.073
421/3/2	0.696
222/4	0.054
202/3	0.369
258/3	0.063
327/2	1.000
480/1	0.476
481	1.500
479/2	0.929
202/1	0.256
247	0.114
271/1	0.532

(1)	(2)
454	1.341
480/2	1.547
481/2	0.359
454	1.341
260	0.076
360	1.594
425	0.063
428/1	1.795
428/492/1	0.063
202/5/1	0.185
257/1/1	0.016
261/1	0.050
460	0.038
463/2	0.120
15/4	0.275
17/1	0.034
348	0.076
349	2.187
229/3	0.500
282/4	0.350
284/4	0.215
283/490/4	0.269
215	0.468
282/1	0.402
284/1	0.215
283/490/1	0.269
219	0.316
229/1	0.200
282/2	0.401
284/2	0.215
283/490/2	0.269
229/2	0.500
282/3	0.402
284/3	0.215
283/490/3	0.268
308	1.265
338/1/1	1.416
341/1	2.051
427	0.835
429/2/2	0.671
438	0.999
440/4	0.300
433/2/1	0.026
434/2	0.354

(1)	(2)	(1)	(2)
462/1	2.422	417/11/4	0.632
463/1	0.120	165	0.342
106/1	0.007	202/4	0.369
107/1	0.025	257/2	0.031
111/1	0.100	271/2	0.189
113	0.190	370	1.670
114	0.025	469	2.580
126/1	0.379	417/4	2.466
55	0.202	277/2	0.086
408	0.114	278/2	0.149
409	0.873	279/2	0.271
413	0.291	280/2	0.251
414	2.757	285/2	0.337
415	0.139	288/2	0.079
416	1.328	290/1	0.885
154	0.772	299/1	0.226
304/1	1.197	302/1	0.063
303/2/1	1.420	378	0.385
122	0.038	379/2	0.071
183	0.063	395/2	0.101
222/3	0.054	396/1	0.013
223/3	0.060	397/1	0.053
224/3	0.031	174/1	0.076
227/3	0.016	352/1/1	2.060
270/1	0.196	213	0.038
271/3/1	0.120	253	0.025
367/1	0.942	277/4	0.085
401/2	0.035	278/4	0.178
417/3/1	3.161	279/4	0.538
304/1	1.197	285/4	0.338
202/5/2	0.184	288/4	0.079
257/1/2	0.016	299/2	0.326
261/2	0.051	302/3	0.063
270/2	0.196	378/2	0.383
271/3/2	0.120	379/4	0.070
367/2	0.942	395/4	0.100
417/3/2	3.162	228/3	0.133
267/1	0.112	231	0.164
269/1	0.094	421/3/3	0.696
381/3	0.241	223/4	0.060
394/3	0.028	224/4	0.031
431/1	0.386	226	0.013
432/4	0.756	227/4	0.016
417/10/2/3	0.404	228/4	0.133

(1)	(2)	(1)	(2)
94	0.152	319/1/3	0.422
95	0.316	324/2/3	0.101
96	0.240	325/1/3	0.195
97	0.013	328/2	0.554
99	0.063	396/3	0.011
100	0.013	397/3	0.043
130	0.354	371	0.139
134	0.164	33	0.063
138	0.342	184	0.013
139	0.506	27	0.304
140	1.442	92	0.051
133/2	0.316	93	1.493
295/4/1	1.500	3/10/5	0.758
3/1/8	1.625	421/9/5	0.810
72	0.063	453/5	0.567
73	0.266	432/473/5	0.164
254/2	0.019	292/3	0.111
421/13	2.023	421/4/2/4	0.125
63	0.190	70/2	0.082
200	0.164	71/2	0.045
263	0.076	75/2	0.221
309/1	4.679	353	1.214
212	0.025	362	0.961
217	0.253	363	0.595
218/1	0.013	83	0.202
229/1	0.608	84	0.025
281/1	0.066	85	0.228
283/1	2.220	87	0.114
431/2	0.386	98	0.063
432/2	0.755	102	0.152
417/10/2/1	0.404	103	0.304
417/11/2	0.632	104	0.013
433/1/2	0.253	286	0.835
3/1/10	2.000	287	0.253
277/1	0.132	365/1	1.435
278/1	0.275	76	0.481
279/1	0.400	256/1	0.018
280/1	0.250	326/1/1	0.058
285/1	0.506	453/1	0.566
288/1	0.118	256/3	0.018
299/4	0.342	3/10/1	0.759
279/1	0.105	421/9/1	0.809
295/1	0.158	430/1	0.674
268/3	0.074	453/1	0.566

(1)	(2)	(1)	(2)
432/473/1	0.165	115	0.038
268/2	0.073	116	0.076
319/1/2	0.422	131	1.240
324/2/2	0.101	132	0.670
325/1/2	0.195	133/1	0.253
328/1	0.635	451	1.884
328/2/2	0.169	185/1	0.026
430/2	0.674	185/2	0.025
3/10/2	0.759	412/2	0.253
256/2	0.018	354	0.949
268/2	0.073	101	0.139
319/1/2	0.422	264/1	0.105
324/2/2	0.101	146	0.152
325/1/2	0.195	147	0.430
328/1	0.635	148/1	1.703
428/2/2	0.169	173	0.013
329/2	0.081	19	0.114
428/2/3	0.169	105/3	0.079
430/3	0.675	106/4	0.006
453/3	0.567	108/3	0.012
326/1/3	0.057	110	0.013
3/10/3	0.759	111/4	0.083
421/9/3	0.809	112	0.025
453/3	0.567	120/3	0.202
432/473/3	0.164	121/3	0.089
256/4	0.018	123	0.013
268/4	0.074	124	0.038
320/1/2	1.081	126/3	1.115
324/2/4	0.101	430/2	0.674
325/1/4	0.196	453/2	0.566
383/2	0.512	326/1/2	0.058
384/2/1	0.059	421/9/2	0.809
384/3	0.118	453/2	0.566
411/3	0.033	432/473/2	0.165
412/1/2/1/2	0.008	267/4	0.112
412/13	0.068	269/2	0.095
453/4	0.567	325/2/1	0.379
326/1/4	0.057	381/2	0.240
3/10/4	0.759	394/2	0.029
421/9/4	0.810	429/1	0.506
453/4	0.567	86/1	0.044
432/473/4	0.164	43/1	0.181
256/5	0.018	44/4	0.183
268/5	0.073	45/3	0.376

(1)	(2)	(1)	(2)
46	0.051	227/1	0.015
48/3	0.021	228/1	0.132
49/3	0.059	230/2/1	0.072
128/2	0.500	421/51/1	0.695
129/1/1/2	0.375	421/5/4	0.459
129/1/1/6	0.100	39/1	0.747
129/1/1/9	0.063	41/1	0.993
129/2/4	0.348	42/1	0.228
129/3/2	0.215	267/2	0.130
149/2/1	0.274	269/4	0.095
4/487/3	0.361	381/4	0.240
43/3	0.180	394/4	0.028
320/1/1	1.081	431/4	0.850
324/2/5	0.101	432/1	1.135
325/1/5	0.196	417/11/1	0.633
383/1	0.513	421/8	1.012
384/1	0.118	267/3	0.112
384/2/2	0.059	269/3	0.095
411/1	0.034	325/2/2	0.035
411/2/2	0.017	381/1	0.240
412/1/1	0.067	394/1	0.028
412/1/2/3	0.008	431/3	0.383
453/5	0.567	432/3	0.756
326/1/5	0.057	433/2/2	0.417
336/2/6	0.118	44/2	0.184
349/2/6	0.148	45/4	0.375
340/2/6	0.068	47/3	0.044
342/2/6	0.062	48/2	0.021
343/2/6	0.024	49/2	0.059
367/2/7	0.240	128/4	0.500
385/2/7	0.045	129/1/1/4	0.375
410/2/7	0.027	129/1/1/8	0.100
169	0.126	129/1/1/12	0.062
202/2	0.704	129/2/3	0.347
203	0.266	129/3/4	0.215
258/2	0.034	149/2/3	0.274
321	2.000	4/487/2	0.360
327/1	0.934	89	0.013
478	0.468	90	0.632
151/6/1	4.799	91	1.682
222/2	0.053	117	0.759
223/2	0.060	135	0.708
224/2	0.032	119/2/1	0.656
225/2	0.057	151/3/1	0.253

(1)	(2)	(1)	(2)
417/6/4	0.379	292/1	0.075
151/3/2	0.506	294/2	0.200
309/4/1	2.000	421/4/2/2	0.125
54/2	0.156	295/5/1	1.470
70/1	0.082	153/4	0.253
71/1	0.044	417/12	1.265
310	0.632	421/6	0.443
475/2	0.135	437	1.480
417/7/1	4.969	296/2	0.455
417/9	4.047	316/1/2	0.346
479/1	0.437	364/2	0.261
455/494	0.949	373/2	0.439
171	0.164	373/3/1	0.320
305/1	0.810	374/2	0.046
313	4.642	375/2	0.021
309/2	0.759	412/1/2/1	0.051
172/1	0.012	59/2	0.118
105/1	0.079	60/2	0.245
106/2	0.006	77/2	0.042
107/2	0.013	309/3/2	0.506
108/1	0.013	476/1/2	0.402
109	0.025	476/2/2	0.253
111/2	0.041	201/2	0.034
120/1	0.202	207/2	0.067
121/1	0.089	74/2	0.222
125	0.051	155/1	0051
127/1	0.126	82	0.481
153/1/2	1.518	157/2/2	0.060
149/1/7/1	0.760	221/2/2	0.015
182	0.063	368/2/2	0.240
194	0.493	385/2/2	0.045
195	0.114	410/2/2	0.027
242/2	0.164	157/2/7	0.061
243/1	0.082	220/2/7	0.056
244/2	0.038	221/2/7	0.015
298/4	1.011	335/2/6	0.046
326/2	0.092	40/2	0.247
417/10/2/2	0.404	78	0.354
417/11/3	0.632	79	0.101
428/492/2	1.265	80	0.025
291/1	0.375	421/4/1	3.035
294/1	0.008	429/2/1	0.379
452/1	0.285	433/1/1	0.190
291/2	0.283	434/1	0.354

(1)	(2)
444	1.354
458/1	0.480
3/5/1	5.221
6	1.531
315/5	0.487
317/5	1.612
318	0.190
346/2/1	0.590
380/1/1	0.151
386/1	0.050
387/1	0.146
390/1	0.031
440/2	0.300
440/5	1.201
250	0.126
433/3	0.732
435	0.506
436/1	6.486
262	0.051
361	0.455
129/3/3	0.215
149/2/2	0.274
4/487/4	0.360
59/3/2	0.059
60/3/2	0.122
77/3/2	0.021
309/3/4	0.253
119/2/2	0.301
119/2/3	0.356
136/1	0.494
137	0.278
149/1/1/1	1.440
296/3/1	0.228
364/3/1	0.131
374/3/1	0.023
375/3/1	0.011
59/3/1	0.059
60/3/1	0.122
77/3/1	0.021
309/3/3	0.253
365/2	0.499
366	0.936
389/2	0.004
62	0.152

(1)	(2)
34	0.089
35	0.215
36	0.114
37	0.683
417/1/5	1.000
417/1/6	1.500
417/1/7	1.000
417/1/8	1.000
417/1/9	1.000
417/1/10	1.000
417/1/11	1.000
417/1/3	1.000
417/1/14	1.500
417/10/1	0.053
417/5/3	1.750
417/5/4	1.846
7/3	0.310
8	1.075
3/6/4	2.277
15/1	0.275
17/2	0.034
18/2	0.426
20/1	0.035
23/3	0.231
2/1/1	0.357
15/2	0.276
17/3	0.033
18/3	0.426
21/1	0.494
22/1	0.044
23/2	0.232
24	0.013
29/1	0.253
31/1	0.114
38/1	0.234
2/1/4	0.357
15/3	0.275
21/2	0.493
22/2	0.045
23/1	0.463
29/2	0.253
31/2	0.114
38/2	0.234
118	0.013

(1)	(2)
459	1.075
423/2	2.036
3/1/1	1.978
3/1/4	1.526
3/1/5	1.526
3/1/6	1.625
3/1/7	1.625
3/1/9	1.000
3/6/1	1.264
421/12	0.253
3/6/2	1.012
3/7/2	1.897
3/7/1	1.897
3/11/1	1.463
3/11/2	1.463
3/11/3	1.463
3/13	6.070
153/2/2	0.506
472	0.481
470/495/2	0.537
153/5/1	0.379
153/3	1.518
129/1/17	0.100
421/1/2	2.000
421/1/3	2.000
421/1/5	1.500
421/1/6	0.500
417/13	1.770
417/5/5	1.628
417/6/1	0.633
417/6/2	0.632
417/6/3	0.632
417/8	4.047
421/4/2/3	0.125
421/10/1	1.349
421/10/2	1.349
421/10/3	1.349
421/15	5.059
422/2/2	0.506
422/3/2	0.506
184/489	2.402
470/475/1	0.537
3/15	5.059
3/17/1	0.684
149/1/2/1	1.250
149/1/3	1.000
149/1/4	1.000
149/1/5	1.000
459/1/6	1.000
149/1/8/2	1.420
151/5	2.782
417/1/1	1.000
417/1/2	1.000
417/1/3	1.500
417/1/4	1.000
42/2	0.227
2/1/2	0.357
25	0.642
26	0.164
30	0.559
39/2	0.746
40/1	0.246
41/2	0.992
129/1/1/11	0.062
129/2/2	0.348
436/2	1.265
2/1/5	0.708
2/2	0.721
3/3/2	0.590
3/6/3	0.253
3/11/4	1.465
3/14	3.351
129/1/1/3	0.375
86/2	0.045
43/2	0.180
44/1	0.184
45/2	0.375
47/2	0.044
48/1	0.021
49/1	0.059
128/3	0.500
योग . .	532.380

ग्राम-शाहपुरिया जागीर

17/2/1	0.139
17/2/3	0.379
16/2	1.265
17/4	2.276
18	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
19	1.012	172	0.063
51	3.035	174/1	0.519
53	0.784	175	0.607
103/1/12	0.558	178	0.544
150	0.063	179	0.126
168	0.278	191	0.379
169	0.569	192	0.051
173	0.190	31/1/1	1.575
180	1.265	186	0.076
181	0.089	103/1/1	0.563
183	0.506	103/3	1.770
184	0.190	174/2	0.253
185	0.500	33/1/5	1.778
7/1/1	0.987	193/1/2	1.746
10/3/5	1.265	32/2/2	0.759
7/1/2	3.308	103/1/8	0.558
10/3/7	2.500	103/1/2	0.558
39	2.086	125/2	0.177
127	0.164	14/4	1.644
128	0.190	42/4	0.506
129	0.266	52/2	0.342
7/2	0.506	61	0.812
23/1/2	0.636	62	0.101
24	0.215	154	0.089
25/1	0.506	162	0.101
26	0.772	163	0.367
27	0.190	165	0.025
167	0.164	33/1/3	1.224
176	0.367	36/1/2	1.012
7/3	0.809	103/4	0.722
73/2	0.190	103/2	1.720
77	0.215	35/3	1.772
79	0.172	38/1	0.506
80	0.064	40	0.608
81	0.094	42/2	0.506
110	0.291	9/1	0.395
142	0.405	9/2	0.478
146	0.139	10/4	0.411
147	0.190	11/2	0.804
151	0.772	12/2	0.101
171	0.025	9/3	0.530

(1)	(2)	(1)	(2)
10/1	0.842	152	0.063
10/2	0.196	156	0.202
12/3	0.605	158	0.114
12/4	0.506	103/1/4	0.058
13/2	0.435	103/1/6	0.558
13/3	0.122	103/1/7	0.558
9/4/1	1.283	103/1/9	0.558
9/4/2	0.600	57	0.139
9/4/3	1.200	58	0.266
9/4/4	0.491	65	0.316
9/4/5	1.200	67	0.405
9/6	0.577	153	0.063
9/17	0.137	159	0.190
10/7	0.379	160	0.126
11/1	0.658	170	0.177
12/1	0.101	14/2/2	1.232
12/5/2	4.000	196/1/5	1.555
13/1	0.036	12/5/1	2.070
9/15	0.922	14/2/1	0.127
12/6	0.632	125/1	0.177
14/3	1.455	23/2	2.529
31/1/4	1.771	134	0.063
32/1	5.059	135	0.051
32/2/1	0.759	137	0.051
33/1/1	1.575	138	0.114
33/1/2	1.575	190	0.266
33/1/4	1.224	196/1/3	0.553
33/1/6	1.695	96/1/14	0.553
33/1/7	2.000	9/8	0.152
33/1/8	2.000	9/10	0.152
33/2	2.528	9/12	0.152
181/2	1.395	9/13	0.152
35/5	1.770	9/14	0.152
35/6	1.070	9/16	0.152
36/1/1	1.012	10/3/2	1.000
36/2	2.276	10/3/3	1.000
42/3	0.506	10/3/4	1.000
103/1/10	0.537	10/3/6	3.035
68	0.262	11/3/2	1.000
76	0.126	11/3/3	3.794
123/1/11	0.558	12/5/3	6.070

(1)	(2)
13/4/2	1.417
13/4/3	2.024
14/1/1	6.070
14/1/2	6.070
14/2/3	0.253
14/5	1.265
16/5	2.783
16/3	4.793
20	1.973
35/8	5.000
37	2.289
45	0.379
46	0.063
47	0.215
48	0.013
60	0.334
63	0.089
70	0.569
74	0.810
106	0.538
104/1	0.044
105/1	0.089
107/1	0.041
108/1	0.139
111/1	0.063
104/2	0.133
105/2	0.265
107/2	0.123
108/2	0.443
111/2	0.190
121/1/2	1.000
121/2	1.742
123	0.278
136	0.152
140	0.051
141	0.126
193/1/3	1.807
195/1	1.770
96/1/2	1.518
196/1/7	0.434
29	0.356
23/2	0.759
122	0.518
133	0.089
30	0.418
38/2	2.668
42/1	1.113
35/7	4.553
196/1/6	0.532
35/4	2.023
196/1/8	0.434
31/1/3	0.906
182/1	0.818
7/4	0.759
9/5	0.706
9/7	0.364
17/2/2	0.417
103/1/5	0.558
17/2/4	0.330
22/2	0.632
10/5	0.190
10/6	0.095
13/6	0.607
13/7	0.202
13/8	0.126
52/1	1.770
59	0.025
64	1.518
71	0.379
72	0.190
75	0.126
9/9	0.653
9/11	0.455
5	3.650
योग . .	210.892
कुल योग . .	2610.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—मोहनपुरा वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में द्वितीय भाग के 08 ग्रामों की प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10752-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कलालपुरा, अभयपुरा, बख्तावरपुरा, सूरजपुरा, रायपुरिया घाटा, करनवास, झुमका, बाईहेड़ा, डूंगरपुर, बलवीरपुरा, नेशबोरदा, घोघड़िया जागीर, बीरमपुरा एवं समेली.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1444.747 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में.)
(1)	(2)
ग्राम-कलालपुरा	
2/1	0.405
3/4	0.377
3/5	0.371
3/1	0.620
2/2	0.405
3/2	0.377
3/3	0.377
योग :	2.932
ग्राम-अभयपुरा	
65	0.493
117	0.658
146	0.367
111/2	1.265
69	0.126
70	0.152
85	0.228
86	0.531
114	1.670
125	0.543
66	0.391

(1)	(2)
157/4	0.842
157/2	0.842
33	0.949
35	0.455
68	0.644
84	0.430
38	1.062
27/2	1.396
57	0.683
50	0.303
54	1.518
59/1	0.063
60/1	0.133
61/1	0.260
62/1	0.177
75/3	0.131
115	0.885
142/1/1	0.682
142/1/2	0.683
126	0.051
28/2	1.049
158/2	0.797
109/2	0.126
110/3	0.885
143	4.818
151/1	2.010
152	1.492
157/5	0.842
163	3.188
74	0.442
1/1/3	0.923
82	0.468
81	0.923
120	0.708
107/2	1.251
110/2	3.212
71	0.316
72	0.076
73	0.392
97	0.051
113	0.999
127	0.405
128	0.253
144	0.063

(1)	(2)
102	0.051
76	0.595
119	1.568
129	0.316
130	0.443
131	0.278
75/1	0.130
94	0.568
132/2	0.323
134/2	0.335
142/2	0.885
41	0.797
92	0.347
93	1.770
135	1.783
136	0.190
138	0.481
139	3.174
150	0.595
48	0.506
52	0.164
26/2	1.379
157/6	2.000
123/2	0.025
124/2	0.228
1/1/1	1.084
1/1/2	1.084
157/1	0.842
1/1/4	1.084
105/3	1.349
1/1/5	1.000
105/2	1.061
28/3	1.517
32	1.075
34	0.215
40	0.530
27/3	0.632
53	0.632
59/2	0.164
113/6	1.137
49	0.253
106/1	0.750
110/1/1	2.000
106/2	1.554
110/1/2	0.327
56	0.443
64	0.455
100	0.063
121	0.468
122	0.076
116	1.290
42	1.012
58	2.340
60/2	0.133
61/2	0.259
62/2	0.177
75/2	0.139
77	0.455
78	0.468
79	0.126
95	0.567
101/2	0.089
25	0.032
132/1	0.322
133	0.403
134/1	0.335
148	0.070
104/2	0.607
46	0.379
118/1	2.378
107/3	0.823
156	0.152
155	1.012
44	0.316
51	0.316
154	0.228
103	0.051
1/206/1	0.153
1/206/2	0.153
105/4	1.349
170/2	2.000
170/3	2.000
55	0.202
98	0.076
140	2.036
141	0.632
145	0.582
170/4	2.000
111/1	1.454
योग :	110.144

(1)	(2)
ग्राम-बख्तावरपुरा	
59/10	2.806
59/16	1.600
4/10	1.750
59/12	1.000
4/1/7	1.000
4/1/8	1.000
4/12	2.000
56/3	1.628
59/14	1.000
4/1/2	0.300
4/1/9	0.300
4/1/13	0.200
4/1/11	0.300
59/11	1.000
59/15	0.704
1	1.316
4/1/12	0.200
56/4	1.569
4/11	0.012
56/5	0.678
57/1	0.879
7/2	0.759
57/6	0.851
22/2	0.136
23/2	0.038
24/2	0.139
25/2	0.104
27/2	0.316
28/2	0.152
29/2	0.202
31/2	0.399
38/2	0.373
39/1/2	0.535
41/3/2	1.331
42/2	0.241
43/1/2	0.116
44/2	0.104
49/2	0.073
50/2	0.086
4/1/3/3	0.188
4/1/4/3	0.063
4/4/3	0.473
20/3	0.854
21/3	0.496
22/3	0.136
23/3	0.038
39/1/4	0.534
41/3/4	1.330
42/4	0.240
43/1/4	0.117
44/4	0.104
49/4	0.072
50/4	0.085
51/4	0.114
55/3/4	0.274
4/1/6	0.250
4/1/10	0.100
4/1/14	0.100
4/15	0.100
4/2	1.897
4/3	0.946
34/1	0.632
34/2	3.794
34/3	1.644
4/5	2.530
36/2	1.688
41/2	0.316
45	0.228
52	0.025
57/8	1.543
57/9	1.628
4/1/3/1	0.188
4/1/4/1	0.063
4/4/1	0.673
20/1	0.854
21/1	0.496
22/1	0.136
23/1	0.038
24/1	0.138
25/1	0.104
26	0.013
27/1	0.317
28/1	0.151
29/1	0.202
31/1	0.398
38/1	0.376
39/1/1	0.534
41/3/1	1.331
42/1	0.240
43/1/1	0.116

(1)	(2)
44/1	0.105
49/1	0.073
50/1	0.086
51/1	1.114
55/3/1	0.273
4/1/3/2	0.188
4/1/4/2	0.063
4/4/2	0.473
20/2	0.854
21/2	0.496
24/3	0.140
25/3	0.104
27/3	0.316
28/3	0.152
29/3	0.203
31/3	0.398
38/3	0.377
39/1/3	0.534
41/3/3	1.331
42/3	0.240
43/1/3	0.117
44/3	0.104
49/3	0.073
50/3	0.085
51/3	0.114
55/3/3	0.273
4/1/3/4	0.188
4/1/4/2	0.063
4/4/4	0.473
20/4	0.854
21/4	0.496
22/4	0.136
23/4	0.038
24/4	0.140
25/4	0.105
27/4	0.316
28/4	0.152
29/4	0.202
30	0.126
31/4	0.399
38/4	0.376
54/2	0.196
4/6	2.530
4/7	1.897
34/4	5.539
34/5	3.161
34/6	0.632
35/1	0.645
37/2	0.386
39/3	1.069
43/2	0.065
46/2	0.088
53/1	0.386
55/1	0.202
58/2	0.506
35/2	0.645
36/1	1.000
37/1	0.386
39/2	1.000
41/1	0.316
46/1	0.380
53/2	0.386
54/1	0.196
55/2	0.202
48	0.228
56/2	4.047
58/1	0.506
58/3	0.215
59/8	0.126
58/4	1.012
58/5	0.214
58/6	0.343
57/4	0.800
57/7	0.565
17/1	0.443
17/2	1.202
17/4/1	0.601
59/13	1.000
7/1	0.425
57/2	0.600
57/3	0.600
59/6	1.000
59/1/1	0.253
59/1/2	0.253
59/2	0.835
59/3	0.822
योग :	106.357

ग्राम-सूरजपुरा

7/8	1.000
14	0.658

(1)	(2)
16	1.328
60	0.164
72	0.253
104	0.708
7/9	0.564
112/1	0.500
19/1	1.012
19/2	0.759
19/11	0.100
19/12	0.069
73/2	0298
19/3	0.759
19/10	0.500
19/13	0.170
19/4	1.518
19/6	0.353
19/8	0.613
68/2	0.329
73/1	0.297
19/5	0.658
19/7	0.613
64/1	0.399
71/1/2	0.202
22/2	1.000
35/2/1	0.600
33/1	0.040
38	1.278
40	0.772
41	1.720
76	1.821
34/2/2	0.695
56/2	0.136
114/2	0.593
34/1	1.075
87/3	0.506
34/126	0.987
34/2/3	0.696
56/3	0.136
114/3	0.593
35/1/1	0.372
35/1/2	1.000
35/2/2	1.012
36/1	3.478
36/2	2.529
87/2	1.265

(1)	(2)
44	1.214
62	0.329
63	0.038
89/2	0.044
90/1	1.138
90/2	2.529
90/3	1.884
93	1.909
99	1.467
103	1.467
102	0.228
121/1	1.214
108	1.518
109/3	1.500
110/1	1.350
110/2	0.348
112/2	0.938
110/3	1.350
112/3	1.850
116/1	0.379
116/2	1.770
116/3	1.770
116/4/1	1.012
116/4/2	0.490
116/5	1.518
116/8	3.541
116/9/1	1.265
91/1	0.443
75/2	1.239
19/9	0.300
19/14	0.088
64/2	0.398
75/1	1.239
119/127	0.531
119/128	0.632
20/129	0.089
21	0.417
23	0.228
24	1.543
25/1	1.025
25/2	0.025
26	2.466
35/3	4.085
48	0.379

(1)	(2)
49	0.304
54	0.050
65	0.443
66	0.468
69	0.291
45/1	0.954
55/1	0.373
45/2	0.955
55/2	0.373
56/1	0.136
114/1	1.483
56/4	0.136
114/4	1.483
58	0.013
61	0.164
68/1	0.329
71/1/1	0.038
77	1.265
79	0.645
80	0.392
82/2	0.386
81/1	0.139
86/1	0.190
70	0.316
71/2	0.063
81/2	0.708
85/1	0.176
82/1	0.386
84	1.518
85/2	1.000
86/2	0.506
87/1	0.455
87/4	0.253
88	2.225
91/2	0.890
91/3	1.354
89/1	0.045
100	2.605
105	2.061
107	2.693
113	1.240
115	1.075
20	0.645
95	1.670
97	3.630
योग :	121.839

ग्राम-रायपुरिया घाटा

174	0.089
377/18	0.158
86	0.038
88	0.013
383/2	0.114
89	0.152
99	0.152
100	0.190
157	0.116
252	0.053
259	0.012
267	0.126
268	0.045
392/2	0.042
378/1	0.405
378/2	0.202
379	0.600
389/2	0.569
102	0.101
135	0.114
165	0.191
173	0.101
388	0.164
111	0.025
133	0.870
136	0.051
139	0.600
189	0.063
206	2.010
249	0.063
377/10	0.506
377/11	0.506
317	0.500
337	0.013
338	0.417
342	1.376
399/6	1.627
16/1	0.316
16/2	0.316

(1)	(2)
105	0.070
377/17	0.160
106	0.091
377/16	0.405
336/2	0.418
377/7	0.202
344	0.360
368	0.190
343/2	0.185
350/2	0.168
377/15	0.225
377/4	0.506
377/1/2	0.200
377/1/6	0.200
377/13	0.557
377/14	0.784
153	0.145
162	0.069
156	0.013
389/1	1.163
392/3	0.012
399/1/1	0.010
399/2	0.076
399/4	0.228
399/5	0.252
399/8	0.253
374/1	0.230
375	0.139
370	0.277
373	0.190
103	0.101
121	0.102
171	0.177
134	0.139
166	0.051
169	0.076
170	0.025
175/1	0.025
181/1	0.055
193	0.228
196	0.114
198	0.177
199	0.051
200	0.152
201	0.038

(1)	(2)
203	0.063
250	0.038
251	0.190
254/3	0.011
255	0.002
142	0.183
143	1.231
144	0.194
158	0.228
159	0.228
251	0.190
191	0.329
192	0.327
132/2	0.133
132/3	0.090
168	0.063
175/2	0.025
181/2	0.054
254/2	0.011
256	0.001
197/1	0.046
131	0.035
132/1	0.103
132/4	0.090
104	0.025
164	0.038
181/3	0.055
254/1	0.010
197/2	0.047
101	0.177
172	0.126
161	0.025
151	0.202
155	0.022
154	0.215
204	0.038
118	0.215
320	0.051
328	0.569
183	0.063
185	0.031
83	0.044
84	0.030
86	0.089
87	0.063
88	0.013

(1)	(2)
89	0.063
148	0.076
149	0.051
152	0.202
184	0.215
207	0.506
109	0.202
110	0.076
112	0.159
113	0.316
114	0.089
117	0.126
121	0.114
253	0.022
115	0.139
122	0.063
124	0.051
128	0.126
129	0.025
130	0.051
376	1.346
197/3	0.047
167	0.025
270	0.196
330	2.658
350/1	0.112
333/1	0.878
361	0.063
331	0.051
186	0.063
194	0.177
195	0.114
182	0.304
187	0.020
120	0.013
271	0.240
318	0.708
319	0.190
336/1	0.096
364	0.089
380	1.075
387	0.096
365	0.114
381	0.170
386	0.051
385	0.139
329	0.898
366	0.104
382	0.632
383/1	0.282
392/1/2	0.900
82	0.266
205	0.025
150	0.063
323/2	0.367
399/1/2	0.220
399/7	0.126
324/2	0.835
377/9	0.202
374/2	0.038
371	0.468
333/2	0.438
335	0.329
341	0.066
343/1	0.553
377/12	0.531
119	0.228
367	0.063
351	0.957
377/8	0.202
123	0.038
125	0.095
126	0.063
127	0.013
128	0.126
130	0.056
376	2.477
225	0.041
377/6	0.404
377/5	0.202
377/1/1	0.125
392/1/1	0.883
399/1/3	0.500
93/1	0.061
399/9	0.100
377/1/4	0.200
146	0.051
377/1/5	0.050
377/1/3	0.200
योग :	54.493

(1)	(2)
ग्राम-करनवास घाटा	
529/2/43	1.900
529/2/41	2.000
529/2/42	1.900
529/2/40	2.000
529/2/39	1.800
529/2/36	1.524
529/3/35	0.503
529/2/26	0.634
529/2/25	0.320
529/2/24	0.519
529/2/27	0.667
529/2/28	0.624
529/2/30	0.500
529/2/29	0.523
529/2/34	0.224
529/2/4	0.755
529/2/5	0.755
529/2/6	0.517
529/2/7	0.832
529/2/8	0.832
योग :	19.329
ग्राम-झुमका	
3/1	0.069
358/1	0.479
360/3	0.079
411	0.101
413/515	0.025
479/2	0.310
19/4	0.136
52/3	0.320
53/4	0.053
71/4	0.115
72	0.038
125/4	0.284
474/4	0.059
475/4	0.063
476/4	0.363
477/4	0.278
21	0.329
22	0.063
23	0.215
362	0.281
400	0.013
276	0.006
415	0.013
7/3/6	0.026
31/1/4	0.152
37/2	0.018
38/4	0.002
392/2	0.076
393/2	0.013
394/1/2	0.114
394/2/2	0.094
339	0.063
207/2/1	1.269
208	0.582
209	0.063
3/2	0.070
358/2	0.432
359/2	0.051
360/2	0.079
410	0.030
14/1	0.557
15	0.051
74/1	0.101
76/1	0.038
87/2	0.601
122	0.607
124/3	0.253
31/1/3	0.152
37/1	0.019
38/3	0.002
392/1	0.076
393/1	0.012
394/1/1	0.114
394/2/1	0.095
7/3/5	0.026
78	0.607
84	0.860
89	0.848
140	0.519
366	0.278
364	0.291
361	0.278
49	0.392
50/2	0.114

(1)	(2)
55	0.291
56	0.253
363	0.228
59/1	0.069
60/1	0.089
110/1	0.133
486/1	0.085
389	0.126
31/3	0.420
139/3	0.186
365/2	0.118
367/1	0.135
371/1	0.190
7/2	0.151
68	0.139
69	0.025
93/1	0.207
116/3	0.626
120	0.544
357	0.746
387	0.291
397	0.304
401	0.038
340	0.215
368	0.025
395	0.215
422	0.415
478/2	0.026
479/1	0.291
139/1	0.185
367/2/1	0.045
371/3/1	0.031
383/1/1	0.021
7/3/1	0.025
31/1/1	0.141
7/3/3	0.020
38/1	0.002
367/2/3	0.135
371/3/3	0.095
383/1/3	0.063
31/1/2	0.142
38/2	0.002
367/2/4	0.045
371/3/4	0.032

(1)	(2)
383/1/4	0.021
7/3/4	0.025
82/2	0.253
88/2	0.405
95/2/2	0.239
127/2	0.576
144/2/2	0.522
119	0.392
380	0.352
9	0.101
379/1	0.253
10	0.114
12	0.164
13/1	0.240
388	0.342
28	0.139
44	0.063
91/2	0.063
111	0.354
112/1	0.095
118	0.177
117	0.190
85/1	0.100
102/1	0.167
103/2	0.100
104/5	0.273
105/5	0.139
448/4	0.086
101/2	0.110
105/6	0.418
396	0.228
448/2	0.086
31/2	0.270
139/2	0.186
365/1	0.236
370	0.089
371/2	0.190
383/2	0.127
7/1	0.152
341	0.392
367/2/2	0.045
383/1/2	0.021
7/3/2	0.025
124/2	0.253
19/1/1	0.045

(1)	(2)
45/1/2	0.107
53/1/1	0.018
71/1/2	0.050
80/1/1	0.140
125/1	0.254
474/1/3	0.020
475/1/2	0.021
476/1/2	0.121
477/1/2	0.093
57	0.266
19/1/3	0.046
45/1/1	0.106
53/1/3	0.018
71/1/1	0.051
80/1/2	0.196
474/1/1	0.020
475/1/1	0.021
476/1/3	0.121
477/1/1	0.093
409	0.113
59/2	0.070
60/2	0.088
110/2	0.133
486/2	0.085
412	0.114
413	0.025
25	0.379
26	0.557
482	0.063
59/3	0.139
60/3	0.177
110/3	0.265
486/3	0.170
13/2	0.560
14/2	0.667
74/2	0.063
76/2	0.038
92	0.607
379/2	0253
13/2	0.503
74/3	0.038
76/3	0.076
87/1	0.601
379/3	0.253
14/3	0.723

(1)	(2)
64/1	0.023
85/6	0.119
86	0.481
100/1	0.658
108	0.974
138/3	0.175
138/7	0.175
416/1	0.050
417/1	0.035
480/3	0.256
61/2	0.402
65/2	0.111
93/2/1	0.434
420	0.266
421/2	0.066
61/3	0.402
65/3	0.111
93/2/2	0.434
421/1	0.318
61/1	0.436
64/2	0.230
65/1	0.347
27	0.114
43	0.164
90	0.392
91/1	0.063
112/2	0.095
113	0.531
18	0.848
19/1/2	0.045
45/1/3	0.106
53/1/2	0.018
71/1/3	0.050
80/1/3	0.252
474/1/2	0.020
475/1/3	0.021
476/1/1	0.121
477/1/3	0.093
70/1	0.114
145/1	0.822
146/1	0.607
70/2	0.114
145/2	0.595
146/2	0.607

(1)	(2)
83/1	0.279
97/3	0.205
98/1	0.173
99/1	0.025
356/4	0.023
382/2	0.098
390/3	0.082
106/1	0.310
107	0.240
356/2	0.500
46	0.100
83/2	0.206
97/2	0.173
98/2	0.025
99/2	0.595
121	0.632
126	0.023
356/5	0.023
390/2	0.082
47	0.443
97/4	0.206
98/3	0.173
99/3	0.026
356/3	0.570
382/4	0.099
390/4	0.083
382/1	0.147
48	0.205
81	0.310
97/1	0.405
106/2	0.569
115	0.392
356/1	0.114
390/1	0.082
96	0.013
19/2	0.136
45/2	0.124
52/1	0.195
53/2	0.054
71/2	0.151
80/2	0.588
125/2	0.029
474/2	0.060
475/2	0.063

(1)	(2)
476/2	0.363
477/2	0.278
19/3	0.136
52/2	0.320
53/3	0.054
71/3	0.152
80/3	0.588
125/3	0.285
398	0.114
399	0.025
474/3	0.060
475/3	0.063
476/3	0.363
477/3	0.278
114	0.531
142	0.759
141	0.291
143	0.658
483	1.556
485	1.086
290	0.024
82/1	0.253
138/1	0.175
138/5	0.175
416/2	0.020
417/2	0.064
480/2	0.426
405	0.177
381	0.076
123/1	0.227
384/1	0.056
385	0.051
124/1	1.403
29	0.202
30	0.455
42	0.076
94/2	0.759
95/1/2	0.269
127/1	0.575
144/1/1	0.522
391/1/2	0.101
289	0.152
342/1/2	0.031
343/1/2	0.110
5/3	1.360

(1)	(2)
5/2	1.507
2	0.722
207/2/2	2.521
4	0.114
359/1	1.075
360/1	0.158
404	0.101
404/516	0.114
85/2	0.100
102/2	0.167
103/1	0.113
104/4	0.273
105/4	0.139
402/4	0.012
403/4	0.033
448/3	0.086
291/2	0.030
85/3	0.100
101/5	0.075
102/3	0.167
103/3	0.040
104/3	0.273
105/3	0.139
402/3	0.013
403/3	0.054
448/5	0.086
384/2	0.088
95/2/1	0.269
130/2	0.575
144/2/1	0.521
391/2	0.202
408	0.008
338/2	0.114
342/2	0.063
343/2	0.222
144/1/2	0.521
50/1	0.392
51	0.582
94/1	0.759
95/1/1	0.268
130/1	0.576
391/1/1	0.101
423/1	0.126
338/1	0.114
291/1	0.030
116/1	0.317
478/1	1.259
138/2	0.175
138/6	0.175
416/3	0.019
417/3	0.065
480/1	0.425
85/5	0.100
101/3	0.110
102/5	0.167
104/1	0.274
105/1	0.139
402/1	0.013
403/1	0.054
448/7	0.082
116/2	0.313
109	1.126
448/1	0.490
342/1/1	0.032
343/1/1	0.111
योग :	94.836

ग्राम-बाईहेड़ा

42/1	0.139
463/1	0.957
47/1	0.246
48/1	0.101
311/1/3	0.047
280/2	0.059
282/2	0.027
283/2	0.138
266/2	2.225
266/1	1.619
280/1	0.059
386/4	0.097
386/5	0.097
412	0.063
442/4	0.139
3/2/5	0.555
3/1/6	1.000
30/1	0.600
31/1	1.675
111/1	0.904

(1)	(2)	(1)	(2)
115/1	0.095	371/2/1	0.323
312/1	0.196	30/2	0.095
380/5	0.141	31/2	1.676
385/3	0.202	36/2	0.499
386/6	0.097	111/2	0.904
416/1	0.091	115/2	0.095
442/3	0.138	312/2	0.196
3/1/10	1.000	371/2/2	0.322
49	0.266	313	0.291
50	0.063	346	0.025
52	0.278	352	0.304
51	0.013	356	0.114
55	1.765	372	0.987
282/1	0.380	430	1.821
283/1	0.027	32/487	1.682
3/1/7	1.000	27/1/4	1.506
345/1	0.013	266/3	1.214
3/1/8	1.013	280/3	0.059
298	0.076	281	0.455
252	0.316	284/2	0.619
253	1.840	404/1	0.151
406	1.063	404/2	0.140
308	0.126	376	0.291
391	0.038	377	0.493
392	0.405	387	0.405
3/1/5	1.000	388	0.658
27/1/5	1.500	403/1	0.253
294/2	0.190	27/1/1/4	1.763
341/2	0.283	136/3	1.686
401/2	0.620	146	0.754
306	0.291	295	0.228
445/2	0.455	57	0.101
401/1	0.645	58	0.025
167/1/4	0.121	59	0.051
114	0.177	60	0.076
155/1	0.076	61	0.164
156/1	0.139	3/1/11	0.608
297/2	0.031	3/1/9	2.000
407/2	0.487	3/1/4	2.000
445/1	0.455	3/1/3	1.700
3/1/17	1.500	3/1/2	1.400
3/1/12	1.477	3/13	0.658
112/1	0.987	3/15	4.643
307	0.126	3/1/13	1.000

(1)	(2)
3/1/16	0.500
27/1/1/1	2.000
27/1/1/2	2.000
29	0.430
32	3.592
42/2	0.139
47/1	0.246
463/2	0.057
48/2	0.101
113	0.304
116/2	0.246
117/2	0.177
137/1/4	0.560
288	0.025
289	0.114
138/1	0.247
466/1	0.082
469/1	0.216
394	0.481
3/2/1	0.980
112/2	0.506
380/1	0.142
385/1	0.203
386/1	0.097
408	0.215
380/2	0.942
385/2	0.203
386/2	0.097
409	0.126
3/2/2	0.555
361	0.101
371/1	0.506
400/1	0.493
400/2	0.481
411	0.198
3/2/3	0.555
278/1	0.164
458/1	0.991
277/1	0.070
380/3	0.142
385/4	0.202
386/3	0.097
410	0.038
429/2	0.076

(1)	(2)
442/2	0.139
3/2/4	0.555
380/4	0.141
385/5	0.202
385/6	0.202
149/2	0.165
152/2	0.785
153/2	0.171
157/2	0.253
158/2	0.253
167/3/2	0.310
353/2	0.177
354/2	0.019
355/2	0.051
395/2	0.993
432/2/2	0.354
268/2	0.942
153/1	0.171
157/1	0.253
158/1	0.253
167/2	0.620
268/1	0.341
353/1	0.177
354/1	0.019
355/1	0.050
395/1	0.992
432/2/1	0.354
359	0.961
360	0.367
27/1/1/3	2.000
271	1.227
272	0.291
278/2	0.165
277/2	0.069
276	0.510
461	0.240
470/2/1	0.664
479/1	0.481
479/2	0.481
466/2	0.082
469/3	0.216
470/2/2	0.664
141	0.202
254	0.822
142	0.291

(1)	(2)	(1)	(2)
143	0.354	452/2	0.127
147	0.202	472/2	0.921
145	0.595	477/2	0.645
303	0.076	478/2	0.221
302	0.089	27/1/1/5	1.667
150/1	0.392	27/1/1/6	1.549
151/1/1	0.797	27/1/1/7	1.594
151/1/2	0.367	27/1/1/9	2.850
164/2	0.633	27/1/1/8	0.850
427/2	0.683	462	0.544
436/2	0.038	473	0.569
438/2	0.714	474	0.708
459/1	0.285	294/1	0.190
150/2	0.392	344	0.013
151/2	1.163	401/3	0.607
159/2	0.411	291	0.013
160/2	0.032	343	0.063
161/2	0.095	270	0.949
162/2	0.537	402/1	1.518
300/2	0.076	402/2	1.505
301/2	0.050	475	0.089
208	0.304	476	0.291
453/2	0.082	274	0.177
454/1/2	0.305	275	1.038
460	0.746	397/1	1.012
155/2	0.076	397/2	0.499
156/2	0.133	398	0.531
166/2	0.537	457	2.360
297/1	0.032	273	0.228
405/2	0.405	279	0.228
407/1	0.487	131	0.177
27/1/3	1.000	311/2	0.190
159/1	0.411	351	0.266
160/1	0.538	311/1/2	0.095
161/1	0.095	449/1	0.291
162/1	0.538	450/1	0.298
300/1	0.076	453/1	0.082
301/1	0.051	454/1/1	0.305
132/1	0.158	449/2	0.291
133/1	0.513	450/2	0.298
132/2	0.158	299	0.304
133/2	0.512	342	0.190
440/2	0.284	384	0.443
442/1	0.921	435	0.835

(1)	(2)
439	0.038
382	0.443
369	0.417
343	0.063
219	0.240
220	0.379
286	0.089
293	0.266
305	0.430
373	0.459
374	2.187
378	0.253
294/3	0.190
340	0.215
430/481/1	0.525
430/481/2	0.525
431	0.784
432/1	0.379
436/1	0.038
3/1/18	0.772
440/1	0.285
441/1	0.727
452/1	0.126
472/1	0.221
477/1	0.645
478/1	0.222
76/2	0.234
311/1/1	0.047
309	0.177
379	0.468
389	0.215
390	0.379
414	0.278
443	0.632
310	0.202
393	0.481
56	0.101
78/4	1.025
76/1	0.234
46/2	0.146
369	0.417
400/3	0.493
399/1	0.755
399/2	0.756
399/3	1.511
375	0.455
357	0.253
358	1.341
314/3	0.240
345/2	0.012
27/1/14	0.176
3/3	0.205
467	0.670
445/3	0.468
446	0.480
447	0.278
448/1	0.070
451/1	0.200
454/2/1	0.050
41/1/1	0.007
448/2	0.208
451/2	0.594
454/2/2	0.150
41/1/2	0.019
464	0.304
योग :	174.369

ग्राम—डूंगरपुर

63/1	0.146
64/1	0.146
66/4	0.329
109/1	0.114
111/1	0.041
183/3	0.041
209/3	0.019
232/3	0.016
244/3	0.016
268/2/4	0.506
314/3	0.057
316/2/3	0.026
374/3	0.186
377/4	0.661
378/4	0.070
380/3	0.199
249/3	0.016
183/1	0.041
209/1	0.019

(1)	(2)
232/1	0.015
244/1	0.015
249/1	0.016
268/291	0.506
314/1	0.057
316/2/1	0.025
374/4	0.186
377/1	0.300
377/5	0.361
378/1	0.040
378/3	0.056
380/4	0.200
68/3/1	0.469
83/2/1	0.203
110	0.114
329/2	0.051
329/3	0.013
334	0.063
335	0.114
336/2	0.038
164/1/1	0.606
347/1	0.025
351/3/2	0.025
355	0.114
371/1	0.456
300/1	0.487
85/1	0.142
98	0.177
101	0.076
125	0.152
126	0.304
127	0.012
63/2/1	0.158
64/2/1	0.082
66/1/1	0.218
70/1	0.218
95/2/1	0.025
104/1/1	0.016
183/4/1	0.010
209/4/1	0.015
249/4	0.079
268/2/1/1	0.126
314/4/1	0.015

(1)	(2)
374/1/1	0.036
377/2/1	0.165
377/8/1	0.165
378/2/1	0.018
380/1/1	0.049
260/1/3/1	0.079
128	0.164
131	0.089
133	0.152
153	0.304
154	0.304
172	0.307
222	0.025
327	0.038
365	0.538
372/1/2	0.982
29	0.530
53	2.010
28	0.316
155	0.506
164/1/2	0.913
223	0.038
231/3	0.038
346	0.051
331/4	0.759
200	1.065
252	0.835
19	0.101
22	0.215
23	0.114
25	0.202
26	0.114
12	0.342
231/4	0.013
21	0.405
27/1	0.176
27/2	0.176
58	0.493
59	0.139
76/8	2.000
54	0.658
30/1	2.946
76/4	2.000
250/2	0.064

(1)	(2)	(1)	(2)
130/2	0.493	50/1/1	1.000
158/2	0.449	52	0.734
169	0.405	51	0.139
205/2	0.089	150	0.202
288/2	2.746	175/2	0.632
291	0.430	176	0.025
322/2	0.481	225/2	0.126
152/4	0.063	226/1	0.026
181	0.152	226/2	0.025
260/3/2	0.569	235	0.051
273/2/1	0.159	283/2	0.506
284/3	0.791	303/12	0.102
292/16/3	0.190	328/1/1/2	0.084
330/4	0.146	328/2	0.101
366	0.379	50/4	0.569
338/1	0.221	62/2	0.759
269/2	3.035	105	0.051
193	0.304	106	0.164
194	0.063	107	0.153
204	0.278	75/2	0.500
205/1	0.088	119/2	0.029
240	0.013	303/8	0.152
241	0.051	303/16	0.141
242	0.051	303/18	0.074
247	0.038	303/20	0.072
308	0.721	354/2	0.082
369	0.746	358/2	0.013
76/13	1.200	359/2/2	0.653
162	0.417	372/2	1.441
359/1	0.430	301	2.402
76/6	1.600	266	4.565
178	0.146	220	0.076
221	0.026	213	0.063
224/2	0.019	173	0.038
225/1/2	0.133	124	0.139
167/1	0.379	130/1	0.494
167/2	0.380	129	0.051
168/1	0.045	157/2	0.213
170	0.215	158/1/2	0.242
171	0.443	288/1	0.871
83/1	0.253	303/17	0.142
164/2	0.263	322/1	0.480
259/2/1	0.733	354/1	0.082
75/4	2.000	358/1	0.013

(1)	(2)
359/2/1	0.650
292/7/2	0.506
287/2/1	1.265
68/3/2	0.468
68/4	0.506
189/1	0.019
190/1	0.038
191/4	0.016
72/1/1	1.000
195/1	0.105
196/2	0.012
199/1	0.146
168/2	0.044
283/1	1.037
333/2	0.253
76/11	1.240
76/12	1.240
197/1/1	0.003
197/2/1	0.003
206/1/2	0.039
292/5/3	0.253
309/3/2	0.151
309/1/2	0.152
309/2/2	0.152
309/4/2	0.152
319/2/3 एवं 319/4/3	0.290
341/1/1	0.032
341/2/3	0.031
350/1/1	0.017
350/2/3	0.016
72/1/3	1.000
189/4	0.019
190/4	0.038
191/1	0.015
192/1	0.060
199/2	0.155
253/1/1	0.032
254/4/1	0.108
264/4	0.265
265/4	0.183
269/1/1	1.233
292/4/2	0.632
302/4	0.348
357/3	0.054

(1)	(2)
75/3	1.326
119/3	0.030
303/9	0.132
303/1	0.132
303/11	0.132
303/14/1	0.132
303/19	0.074
357/2	0.055
203	0.038
120/1	0.045
303/2	0.400
303/6	0.400
356/1	0.082
236/2	0.069
113/1	0.708
184	0.025
185	0.013
186	0.076
234/2	0.257
317/4	0.695
317/6	0.358
375/1	0.341
379/2	0.734
379/3	0.400
198	0.063
63/4	0.591
64/4	0.145
66/2	0.329
109/2	0.114
111/2	0.013
207	0.076
253/1/2	0.032
254/4/3	0.107
264/3	0.266
265/3	0.184
265/7	0.184
292/4/1	0.633
302/2	0.347
340/2	0.086
342/2	0.051
348	0.089
370/2/1	0.123
262	0.304
259/2	0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
56	0.544	209/4/2	0.090
292/9	1.202	232/4	0.016
292/15/1	0.380	76/4	2.000
292/15/2	0.379	268/2/1/2	0.126
99/1/2	0.044	314/4/2	0.014
100/2	0.171	374/1/2	0.046
151/1/2	0.253	377/2/2	0.083
286/1/2	0.329	377/8/2	0.082
324/2	0.107	378/2/2	0.180
307/4	0.781	380/1/2	0.050
318/2	1.006	76/14	1.000
351/3/1	0.007	254/3, 254/2	0.430
315	0.835	195/2	0.211
316/1	0.088	253/2	0.128
317/3	0.013	196/1	0.013
323	1.366	306/2	1.065
328/1/2	0.025	306/4	1.066
340/4	0.085	331/3	0.101
342/4	0.050	370/1	0.365
370/2/2	0.124	256	0.101
72/1/4	1.000	86	0.164
189/2	0.019	87	0.240
190/2	0.038	92	0.164
191/3	0.016	97	0.215
253/1/4	0.031	102	0.038
254/1/4	0.108	144	0455
254/4/4	0.108	146	0.228
264/1	0.266	156	0.190
265/1	0.183	166	0.772
265/5	0.183	177	0.304
269/1/2	1.233	255	0.658
302/3	0.348	257	0.568
340/1	0.085	282	1.202
349	0.013	285/1	0.591
370/2/4	0.124	163/2	0.449
292/4/4	0.632	113/2	0.107
63/2/2	0.148	234/1	0.057
64/2/2	0.037	236/1	0.070
66/1/2	0.082	317/1	0.695
95/2/2	0.025	317/5	1.044
104/1/2	0.015	375/2	0.342
157/1	0.053	379/1	0.560
158/1/1	0.200	379/4	0.683
183/4/2	0.010		

(1)	(2)	(1)	(2)
76/3	2.000	310/2/1	0.102
50/3	1.590	311/1	0.038
115	0.153	313/1	0.025
121	0.139	318/3	0.300
134	0.051	318/5/1	0.690
135	1.050	325/1/1	0.021
147	0.164	325/4	0.041
149	0.215	344/1/1	0.016
159	0.493	351/1/1	0.016
165	0.873	336/1	0.038
117	0.038	347/2	0.215
69	0.734	361	0.013
93	0.076	250/1	0.405
94	0.025	68/2	0.720
263	1.467	79/2	0.291
329/1	0.240	81/2	0.228
161	0.379	82/2	0.012
160/2	0.483	116/2	0.060
259/2/2	0.766	118/2	0.070
259/1	0.506	122/2	0.056
76/10	1.744	123	0.051
211	0.013	137/1	0.107
136/2	0.531	131/1	0.025
148/2	0.076	239/2	0.031
152/3	0.057	248/2	0.044
227/2	0.070	363/2	0.367
229/2	0.042	163/1	0.449
284/1	1.169	68/1	0.720
292/16/2	0.411	79/1	0.291
330/1	0.145	81/1	0.227
360/1	0.400	82/1	0.013
360/3	0.250	116/1	0.007
76/9	1.600	118/1	0.069
180/2/1	0.076	122/1	0.058
218/2/1	0.006	137/2	0.108
219/2/1	0.015	231/2	0.025
50/2	5.058	238	0.038
292/6/1	0.671	239/1	0.038
292/6/2/1	0.354	248/1	0.045
304	0.430	363/1	0.367
305/1	0.152	217	0.013
305/2/1	0.286	108	0.063
307/1	0.781	321	0.834
307/2/1	0.391	182	0.455

(1)	(2)
210	0.051
214	0.025
215	0.038
216	0.025
362	0.885
368	1.025
293	0.190
60/3	1.501
75/1	0.500
119/1	0.030
303/5	0.132
303/7	0.132
303/13	0.132
303/14/2	0.132
303/15	0.132
357/1	0.055
76/7	2.000
120/2	0.044
303/4	0.152
303/10	0.390
356/2	0.082
99/2	0.318
151/2	0.506
175/1/2	0.247
326	0.304
286/2	1.770
85/2	0.142
351/4	0.031
180/2/2	0.076
218/2/2	0.006
219/2/2	0.015
292/6/2/2	0.251
305/2/2	0.287
307/2/2	0.390
310/2/2	0.102
311/2	0.038
313/2	0.026
318/5/2	0.690
325/1/2	0.020
344/1/2	0.016
351/1/2	0.016
260/1/2	1.195
331/1/2	0.405
178/2	0.145

(1)	(2)
180/1	0.152
218/1	0.013
219/1	0.008
292/6/3	0.704
307/3	0.781
310/1	0.100
318/1	0.505
318/4	0.401
325/2/1	0.020
344/2	0.031
351/2	0.032
260/1/4	1.500
197/1/3	0.003
197/2/3	0.003
206/2	0.057
292/5/4	0.253
309/1/4	0.152
309/3/4	0.152
309/2/1	0.151
39/4/1	0.152
319/1/2	0.006
319/2/4 & 319/4/4	0.290
206/1/1	0.018
341/1/3	0.032
341/2/4	0.032
350/1/3	0.017
350/2/4	0.014
63/3	0.591
64/3	0.145
66/3	0.329
95/1	0.101
104/2	0.038
183/2	0.041
209/2	0.019
232/2	0.016
244/2	0.016
249/2	0.016
268/2/3	0.506
314/2	0.057
316/2/2	0.025
374/2	0.186
377/3	0.300
377/7	0.361
378/5	0.069

(1)	(2)
380/2	0.199
75/6	1.300
85/3	0.142
136/1	0.531
148/1	0.076
152/2	0.057
229/3	0.036
260/3/3	0.569
284/2	1.169
330/3	0.145
360/2	0.311
338/2	0.411
60/2	1.501
174	0.342
359/1	0.430
85/4	0.142
90	0.063
192/1	0.051
227/1	0.600
260/3/4	0.568
228	0.025
229/1	0.036
251	0.164
267	0.076
273/2/2	0.600
284/4	0.791
292/16/1	0.411
330/2	0.146
112	0.051
114	0.139
138	0.316
139	0.139
140	0.063
141	0.658
142	0.013
143	0.038
145	0.038
70/2	0.655
260/1/3/2	0.367
96	0.202
103	0.630
63/2/3	0.148
64/2/3	0.036
66/1/3	0.082

(1)	(2)
95/2/3	0.025
183/4/3	0.010
244/4	0.016
268/2/1/3	0.126
314/4/3	0.014
316/2/4/1	0.013
374/1/3	0.047
377/2/3 & 377/8/3	0.165
202	0.202
368/2/3	0.017
380/1/3	0.050
63/2/4	0.158
64/2/4	0.036
66/1/4	0.083
95/2/4	0.026
184/4/4	0.011
268/2/1/4	0.127
314/4/4	0.014
316/2/4/2	0.013
374/1/4	0.047
377/2/4	0.085
377/8/4	0.083
378/2/4	0.017
380/1/4	0.050
50/1/1/1	1.000
189/3	0.019
190/3	0.038
191/2	0.016
192/3	0.060
72/1/2	1.000
253/1/3	0.031
254/1/1	0.054
254/4/3	0.054
258	1.176
264/2	0.266
292/4/3	0.632
302/1	0.348
340/3	0.086
342/3	0.310
370/2/3	0.123
83/2/2	0.202
197/1/2	0.030
197/2/2	0.003
201	0.051

(1)	(2)
320	3.667
331/1/1	1.550
371/2	0.227
372/1/1	0.500
75/5	2.000
376	0.987
99/1/1	0.043
100/1	0.171
151/1/1	0.253
286/1/1	0.328
324/1	0.108
333/1	0.051
72/3/1	0.379
72/2/1	0.633
13	1.752
175/1/1	0.247
224/1	0.019
225/1/1	0.133
260/2	1.518
292/3	0.759
328/1/1/1	0.084
268/1	2.567
292/6/4	0.704
325/3	0.041
292/9	1.202
309/2/4	0.152
309/4/4	0.152
319/2/1	0.291
341/1/2	0.032
341/2/1	0.032
343/1/1	0.017
350/1/2	0.018
350/2/1	0.014
197/1/4	0.040
197/2/4	0.040
292/5/2	0.253
309/1/3	0.152
309/3/3	0.152
309/2/3	0.152
309/4/3	0.151
319/1/1	0.143
341/1/4	0.032
341/2/2	0.031
350/1/4	0.017
350/2/2	0.015
292/5/1	0.253
306/1	1.066
306/3	1.065
309/1/1	0.152
309/3/4	0.152
योग :	227.471

ग्राम-बलवीरपुरा

11/5	1.264
12/1	1.492
38	0.342
40	0.212
8/2	1.265
14/2	0.677
18/1	0.025
19/1	0.152
32/1	0.563
11/3/1	2.047
25	0.164
6/2	0.852
6/8	1.000
15/1	0.212
20/3	0.149
11/4	1.265
11/3/2	0.253
11/11	2.000
6/1	0.843
6/7	1.200
20/2	0.149
21/1	0.063
22/1	0.405
23/1	0.772
6/4	0.852
6/6	0.900
11/8/2	0.442
15/2	0.424
20/4	0.148
28	0.506
30	0.632
11/6/2	0.291
29/1	0.266
31/6/2	0.442
11/6/1	0.291

(1)	(2)
11/10	0.868
29/2	0.265
31/6/1	0.442
6/3/1	0.427
6/5/1	0.450
11/8/1/1	0.221
20/1	0.148
21/2	0.063
22/2	0.405
11/12	1.607
73	1.202
75/3	0.681
5	2.074
1/1	0.506
6/3/2	0.426
6/5/2	0.450
11/8/1/2	0.221
11/14	0.696
7/2	1.296
11/7/1	0.411
16/1	0.658
17/1	1.171
8/1/2	1.759
11/13	0.347
165/3	1.653
26	0.620
27	0.612
35	1.189
36	0.417
37	1.063
41	0.924
31/5	0.416
31/7	1.878
31/8	1.963
31/9	2.000
31/10	1.447
31/11	2.000
23/2	0.771
23/3	0.708
24	0.468
8/1/3	1.759
13/1	0.132
13/5	0.379
13/6	0.975
14/1	0.677
18/2	0.026
19/2	0.152
32/2	0.551
75/2	1.939
7/1	0.240
7/3	1.549
11/7/2	0.411
16/2	0.658
17/2	0.171
47/3	0.957
8/1/1	1.759
7/4	0.026
12/2	0.379
15/3	0.212
11/9	0.758
13/2	0.126
13/3	0.722
13/4	0.379
13/7	1.012
31/12	2.000
47/4	1.222
योग :	76.654

ग्राम-नेशबोरदा

1/5	0.759
2/1	0.218
9/1	0.218
10/1	0.113
11/1	0.237
14/4	0.405
15	0.620
16	0.721
17	0.797
25/4	1.404
26	0.595
27	0.266
45/5	0.379
1/5	0.759
2/2/1	0.043
9/2/1	0.044
10/2/1	0.022
11/2/1	0.048

(1)	(2)
2/2/2	0.044
9/2/2	0.043
10/2/2	0.023
11/2/2	0.047
1/1/6	1.871
2/2/3	0.044
9/2/3	0.044
10/2/3	0.023
11/2/3	0.047
1/3/1	0.253
13/1	0.013
14/2	0.417
24/3	0.379
25/2	1.404
29/3	2.782
1/3/3	0.253
1/1/2	1.871
1/1/3	1.871
1/2/4	0.189
1/1/4	1.871
1/2/2	0.190
1/1/7	1.871
1/1/8	1.871
1/1/10	1.871
1/4	0.759
29/4	2.780
25/3	1.404
24/4	0.379
14/3	0.417
22/1	0.379
18	1.846
21	0.960
20	0.936
22/2	0.379
1/3	0.759
2/2/4	0.044
9/2/4	0.044
10/2/4	0.023
11/2/4	0.048
1/1/12	1.871
2/2/5	0.480
9/2/5	0.044
10/2/5	0.023
11/2/5	0.048
10/3	0.054
12	0.101
1/1/11	1.871
4	0.089
6	0.392
8	0.595
24/1/3	0.840
24/1/5	1.884
24/1/4	1.414
24/1/6	1.424
29/1	3.587
1/1/9	1.871
1/1/1	1.871
1/3/2	0.253
13/2	0.013
1/2/3	0.190
24/1/2	1.518
1/1/5	1.871
1/2/1	0.190
14/1	0.417
24/2	0.379
25/1	1.417
29/2	2.782
1/2	0.759
योग :	66.345

ग्राम-घोघड़िया जागीर

2/4	6.323
4/9	0.506
37/2	0.063
2/8	1.391
4/2/9	0.609
2/7/1/2	2.000
2/7/2	1.000
5	0.582
2/6/1	1.351
4/2/8	2.000
4/2/10	2.000
4/1/9	2.000
4/16/2	0.667
4/2/2	2.000
4/2/4	2.000
4/1/5	2.000
4/2/14	1.000
4/1/3	2.000
4/8	8.827
4/1/6	2.000
4/2/12	1.000
4/2/7	2.000

(1)	(2)
4/1/8	2.000
2/2	4.994
4/2/1	2.000
4/10	0.684
34	0.329
50	2.301
2/6/2	2.000
2/9	4.047
4/1/4	2.000
4/1/10	2.000
4/2/3	2.000
4/2/5	2.000
4/2/7	2.000
4/12	4.047
4/1/2	2.000
4/2/11	1.000
4/2/13	2.000
4/2/15	2.000
4/2/16	2.000
4/11	2.023
4/18	0.717
4/16/3	0.667
7	0.342
27/1	0.190
27/2	0.025
23	0.126
14	0.038
15	0.038
20	0.051
21	0.139
22	0.266
23	0.367
45	7.664
29	0.392
24	0.126
30	0.089
38	0.202
39	0.026
40	0.013
41	0.013
42	0.253
43	0.063
46	1.227
47	1.202
48/1	0.215
48/2	0.645
2/3	6.576
25/2	1.012
2/5	4.047
4/13	4.047
6	0.898
8	0.202
9	0.468
10	0.430
11	0.114
12	0.013
13	0.013
16	0.177
17	0.025
18	0.013
19	0.076
योग :	119.951

ग्राम-बीरमपुरा

35	0.007
46/2	0.122
47/2	0.307
54/2	0.177
68/2	0.038
69	0.013
73/2	0.022
119/2	0.042
37	0.177
38	0.076
39	0.759
50/3	1.202
51	0.506
52	0.746
53	0.885
55/3	0.291
56	0.076
57	0.063
58	0.164
59	0.013
60	0.164
61	0.025
62	0.013
63	0.013
64	0.013

(1)	(2)
73/6	0.021
74	0.013
81	0.076
119/6	0.042
46/7	0.121
47/7	0.307
54/7	0.177
68/7	0.038
73/7	0.021
79	0.063
119/7	0.042
50/1/5	0.657
123	0.116
129	0.196
50/4	0.101
55/4	0.240
50/7	2.238
77	0.455
116	0.283
115/3	0.020
50/2	1.164
55/1	0.392
50/1/1	0.657
50/1/3	0.657
65	0.013
66	0.013
72	0.051
75	0.266
76	0.405
122	0.544
130	0.367
131	0.342
132	0.228
133	0.202
134	0.091
135	0.734
136	0.013
46/5	0.121
47/5	0.307
54/5	0.177
68/5	0.038
73/5	0.022
119/5	0.042
46/6	0.121
47/6	0.307
49	0.583
54/6	0.177
68/6	0.038
50/1/4	0.657
115/1	0.425
योग :	20.295

ग्राम-समेली

15/1	0.076
17/1	0.182
19/2	0.323
19/7	0.125
105/2	0.076
171/1	0.012
210	0.139
227/5	0.050
301/5/1	1.433
321/1	0.854
335/12/2अ	1.037
239/1	0.215
13/1	0.043
19/3	0.232
19/6	0.380
20/2	0.091
235/1/2	0.316
13/4	0.088
14/2	0.082
19/4	0.502
20/1	0.073
235/1/1	0.317
45/2	0.506
13/3	0.039
14/1	0.082
19/1	0.321
19/5	0.253
19/8	0.051
235/1/4	0.316
13/5	0.015
341/1	0.177
343/2	0.835
341/2/3	0.759
149	0.076
288	0.810

(1)	(2)
242/1/1	0.253
59/1/2	0.101
227/3	0.051
308/1/3	0.628
360/4	0.377
312/3/5	0.405
301/2/5	1.011
306/2/2	0.348
308/1/1	0.627
360/1	0.377
312/3/2	0.404
301/2/1	1.012
96/3	0.090
289/5	0.254
292/2	0.835
252/5	0.171
8/1	0.493
9	0.354
10	0.291
34	0.405
35	0.202
37	0.076
39	0.126
40	0.076
41	0.379
42	0.126
43	0.860
44	0.772
49	0.291
123	0.164
124	0.392
122	0.190
158	0.076
162	0.098
226/3	0.065
252/1	0.256
248/1	0.019
250/1	0.038
255/1	1.000
240	0.506
335/12/1	0.354
105/1	0.013
242/1/2	0.044
299/2/3	0.039

(1)	(2)
335/8	0.379
179/2	0.054
230/9/4	0.110
233/2	0.174
249/3	0.008
344/2	0.302
330/10/2	0.270
179/3	0.054
230/9/3	0.080
230/10/3	0.299
233/2	0.253
233/6	0.174
249/4	0.009
344/1	0.302
179/1	0.107
233/1	0.253
230/9/1	0.569
230/10/1	0.190
249/1	0.017
344/4	0.602
233/4	0.348
230/9/2	0.759
233/3	0.506
249/2	0.017
344/3	0.602
290	0.266
201/1/1	0.177
208/1	0.177
208/3	0.177
242/3	0.149
298/1	0.241
299/2/2	0.303
360/2	0.377
59/1/1	0.102
206/2	0.136
306/2/3	0.348
308/1/4	0.627
360/2/2	0.377
382/5/4	0.354
312/3/1	0.404
301/2/4	1.012
227/2	0.051
361/1/3	0.253
382/5/2	0.177
227/4/2	0.025

(1)	(2)
308/1/2	0.313
382/5/2	0.177
360/6	0.189
312/3/6	0.203
301/2/6	0.506
211/1/2	0.027
201/2	0.177
361/1/2	0.506
59/1/3	0.101
178	0.013
211/2	0.136
227/1	0.051
262/2	0.152
263	0.354
264/2	0.165
289/1	0.379
341/2/1	0.436
182/1	0.126
280	0.253
282	0.089
350/1/2	0.632
59/4/1	1.100
207/2	0.051
220/1/3	0.015
221	0.025
231/1/2	0.059
374/2	0.586
351/1/2	0.392
301/15/1/1	1.770
207/1	0.051
220/1/1	0.036
246/1	0.013
231/1/3	0.059
374/3	0.333
306/3/1	1.517
207/3	0.051
231/1/1	0.059
220/1/2	0.038
223/2	0.025
272	0228
274	0.038
281	0.076
301/9	0.506
291	0.746
335/6	1.012
335/9	0.949
335/3	0.769
316/6	1.417
335/1	2.529

(1)	(2)
357	0.620
335/12/2 b	0.379
106	0.215
163	0.152
166	0.038
335/7/2	0.253
6/1	0.051
7	0.506
48/1	0.470
161/1	0.025
137/3	0.407
138/3	0.051
157/1	0.013
72/4	0.321
50/2	0.106
66/3	0.311
161/1	0.025
301/12	1.644
80	0.278
81	0.481
82	0.190
83	0.240
84	1.896
90	0.202
109	0.835
243	0.063
308/1/5	0.327
306/2/4	0.347
360/5	0.377
312/3/3	0.405
301/2/3	1.012
59/4/4	0.667
59/3/2	0.500
226/2	0.064
264/1	0.051
262/1	0.051
265	0.063
267/2	0.532
206/3/1	0.041
211/1/1	0.027
227/4/1	0.025
308/1/6	0.314
382/5/6	0.177
312/3/4	0.202
301/2/2	0.506
306/2/1	0.174
206/3/2	1.265
92/2	0.171

(1)	(2)
104	0.076
201/1/2	0.177
208/2	0.354
242/2	0.149
251	0.114
268/1/1/2	0.518
298/2	0.240
299/2/1	0.303
231/3	0.342
246/2	0.013
309/2	1.265
376/1	1.518
354	1.467
300/1	1.012
224/1	0.051
297	1.265
275	0.405
59/4/2	1.190
87/1	0.623
159/1	0.038
56/1	1.289
57/1	0.203
237/1	0.110
287/2	0.298
301/5/2	0.717
107/2	0.278
112	0.063
113/1	0.069
217/1	0.158
226/1	0.070
266	0.089
267/1	0.594
295	0.797
97/1	0.126
287/1/2	0.253
56/2	0.608
57/2	0.202
301/5/3	0.717
113/2	0.070
143	1.404
116	0.114
164	0.177
181	0.101
212	0.126
286	0.797

(1)	(2)
343/1	0.759
18/2	0.430
22/2	0.365
23/2	0.595
25/1	0.107
26	0.531
168/2	0.120
18/1	0.430
21/2	0.266
22/1	0.366
23/1	0.594
25/2	0.108
29	0.215
28	0.101
27	0.051
374/1/2	0.586
24	0.013
31/1/1	1.176
59/6	0.500
30/4	0.379
30/1/2	0.506
59/5	1.000
51	0.430
54	0.038
55	0.696
30/2	0.595
59/1/5	0.101
102	0.076
103	0.025
307	0.101
60	0.126
30/3	0.670
33	0.038
52/1	0.063
53/1	0.190
79	0.025
180	0.038
205	0.152
359	2.934
145	0.051
341/2/2/1	0.759
330/12	2.529
131	0.126
132	0.228

(1)	(2)
135	0.202
133	0.253
141/2	0.506
239/2	0.215
176/2	0.158
189/1	0.139
254/3	0.253
188	0.330
128	0.038
129	0.051
6/3	0.309
48/2	0.722
200/4	0.051
287/3	0.298
217/2	0.158
237/2	0.111
91	0.076
95/1	0.110
98	0.025
99	0.025
200/1	0.050
228	0.089
236/1	0.397
237/3	0.074
260	0.038
261/1	0.071
301/5/4	0.477
321/2	0.284
236/3	0.396
95/2	0.110
200/2	0.050
236/2	0.396
237/4	0.074
261/2	0.072
301/5/5	0.478
321/3	0.285
97/2	0.126
100	0.063
101	0.038
107/1	0.253
184	0.139
187	0.278
196	0.405
58	0.708
365	0.126
120	0.076
121	1.531
108	0.582
119	0.038
148	0.051
175	0.139
254/1/2	0.317
328	1.670
329	0.797
330	0.873
331	0.461
373/1	2.782
176/1	0.158
356	0.379
301/15/1/2	0.759
332	0.202
333	0.126
334	0.278
372	0.519
316/3	1.265
345/2	0.379
2	0.696
3	0.101
4	2.339
153	0.063
154	0.089
155	0.089
170	0.190
172	0.266
50/3	0.105
66/2	0.446
72/1	0.038
72/3	0.320
73/2	0.038
75/2	0.322
137/1	0.150
138/1	0.308
157/3	0.013
161/3	0.025
230/13	1.113
235/1/3	0.316
301/6/1	1.686
302/2	0.426

(1)	(2)	(1)	(2)
301/14	1.518	338/2/1	0.278
301/16	1.581	374/1/1	0.253
301/20/1	1.587	15/2	0.157
301/13	3.794	17/2	0.362
6/2	0.310	173	0.126
48/3	0.844	174	0.330
50/1	0.105	193	0.531
66/1	0.242	229	0.114
72/2	0.320	146	0.126
73/1	0.240	147	0.772
75/1	0.361	144	0.101
137/2	0.063	150	0.076
138/2	0.020	202	0.177
157/2	0.012	203	0.253
160	0.101	59/4/3	1.034
161/2	0.026	63	3.516
301/6/2	1.686	64	1.366
197	0.342	68	0.253
198	0.164	74	0.885
256	0.873	65	0.987
296	0.544	77	0.240
31	0.025	130	0.045
32	0.177	139	0.063
52/2	0.152	141/1	0.506
53/2	0.316	140	0.607
156	0.190	186	0.253
301/20/2	1.587	195	0.177
151	0.038	110	0.063
215	0.076	117	0.063
301/8	0.506	118	0.089
301/18/1	1.568	111	0.519
47/2/1	0.446	183	1.013
214/1	0.063	216	0.835
252/4	0.171	222	0.063
268/2	0.253	234	0.126
335/7/1/2	0.506	302/1	0.143
338/2/2	0.278	349	0.076
342	0.063	8/2	0.190
352	0.297	30/2	0.595
47/2/2	0.441	293	0.089
96/2	0.088	235/3	0.152
214/2	0.063	67	0.443
289/4	0.253	69	1.670
335/7/1/1	0.506	308/2	0.314

(1)	(2)
47/1	0.891
115	0.063
218	0.126
247/1	0.025
252/3	0.179
289/3	0.263
338/1	0.556
339/1	0.261
358	1.151
96/1	0.088
45/1	1.732
125	0.455
126	0.342
136	0.632
185	0.215
192	0.379
194	0.961
142/2	0.063
152	0.038
169	0.139
350/1/1	0.076
350/2	0.709
16	0.152
60	0.126
61	0.772
62	0.974
219	0.089
324	1.151
361/1/1	0.835
366/1	0.063
355	0.759
353	0.772
351/1	0.190
235/2	1.518
301/15/1/2	0.759
382/7	1.265
279	0.278
283	0.316
245	0.063
269	0.202
270	0.200
271	0.253
326	0.354
376/2	0.126

(1)	(2)
382/4	0.126
382/2	0.848
382/6	0.012
349	0.076
348	0.822
285	0.575
287/1/1	0.542
216/7	0.911
368/1	0.974
204	0.822
238	0.519
259	0.038
327	5.895
159/2	0.038
306/3/2	0.696
92/1	0.177
300/2	0.455
177	0.076
235/2	1.518
273	0.379
276	0.025
277	0.038
278	0.354
224/2	0.089
224/3	0.013
231/2	0.177
304	1.265
363	0.822
364	0.240
225	0.139
241	0.569
232	0.620
244	0.076
89	0.025
235/1/2	0.316
235/1/3	0.316
59/1/4	0.101
171/2	0.013
382/5/3	0.354
59/3/3	0.500
200/3	0.051
321/4	0.285
301/5	0.478
294	0.885

(1)	(2)
237/5	0.074
261/3	0.072
268/1/2	0.253
301/18/2	0.961
189/2	0.633
191	0.607
254/2	0.379
220/3	0.013
362/1	0.464
114	0.025
213	0.696
284	0.582
224/6	0.012
378	0.632
316/4	0.380
316/5	0.759
339/3	0.262
182/2	0.127
248/2	0.019
250/2	0.014
255/2	0.505
252/2	0.253
289/2	0.378
292/1	0.253
341/2/2/2	0.436
93	0.253
254/1/1	0.125
377/1	0.089
379/1	0.632
105	0.126
312/1/2	1.623
85	0.063
86/2	0.190
87/3	0.372
159/3	0.038
345/1	0.759
86/1	0.189
87/2	0.308
88	0.091
380	3.149
375/1	0.089
375/2	0.089
375/3	0.089
223/1	0.025
224/5	0.013
220/2	0.013
224/4	0.012
योग. .	249.732
कुल योग. .	1444.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रथम भाग के 14 ग्रामों की प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10756-भू.-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—बांसखेड़ी, कराड़िया, मांजरीखो, लक्ष्मणपुरा, राजलीबे बानपुर चौकी, नलखेड़ा एवं गोपालपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—432.347 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में.)
(1)	(2)
बांध स्थल हेतु प्रभावित भूमि	
ग्राम—बांसखेड़ी	
82	0.101
83	0.468
123	1.354
124	0.645
84	0.278
101	0.696
108	0.063
112	0.126
120	0.164

(1)	(2)
129	1.113
141	0.240
142	0.215
143	0.240
148	0.076
150	0.215
151	0.405
152	0.013
85/1	0.103
85/3	0.259
86/2	0.019
87/1	0.410
87/3	0.383
85/2	0.258
86/1	0.019
87/2	0.130
37	0.152
89	1.288
90	0.342
91/1	0.590
91/2	0.169
93	0.126
94	0.170
95/1	0.076
98/1	1.520
95/2	0.076
98/2	0.520
96	0.417
97	0.683
104	0.013
105	0.013
99	0.379
102	0.468
149	0.013
133	0.025
135	0.316
136	1.770
137	0.051
138	0.089
100	0.595
131	0.253
132	0.304
134	0.278
139	0.139
103/1	0.126
110/2	0.026
144	0.228
115/1/2क	1.367
115/1/3ख	0.388
115/1/4	0.518
119	0.051
160	0.898
126	0.101
127/1	0.216
128/1	0.189
128/3	0.300
155	0.379
111	1.025
125	0.152
130	0.595
110/1	0.050
114	0.506
140	0.316
156	0.202
113	0.455
116	0.493
118	0.557
122	1.758
127/2	0.416
128/2	0.093
103/2	0.734
योग :	30.967

ग्राम-कराड़िया

3/9	0.632
3/11	2.000
5/2/1	0.843
264/1/2/2	0.126
264/1/5	0.084
264/2/1	0.379
256/2/3	0.103
256/3/2	0.084
244/3	0.085
5/2/2	0.843
264/1/2/1	0.126
264/2/2	0.380
256/2/3	0.103
5/3	0.253

(1)	(2)	(1)	(2)
5/4/1	1.420	16/4	0.052
5/4/2	2.311	105/2	0.073
188/3	0.266	52/15	0.705
52/7	0.569	59/4	0.130
52/10	3.035	242/4	0.218
5/6/1	0.096	15/5	0.079
65/2/5	0.010	16/5	0.053
267/8	0.037	105/4	0.073
5/6/2	0.048	59/5	0.130
65/2/3	0.010	242/5	0.219
267/1	0.795	17	1.113
5/6/3	0.096	18	0.329
65/2/2	0.100	19/1	0.202
267/3	0.163	104/3	0.199
5/6/4	0.080	99/3	0.010
267/5	0.272	96/1	0.023
5/9	2.000	106/3	0.010
5/10	2.000	113/1	0.020
11	0.506	114/5	0.007
13/1	0.333	200/5	0.104
13/3	0.700	201/3	0.354
15/1	0.316	202/2	0.248
16/1	0.208	204/4	0.156
58/2	0.152	205/5	0.190
59/1	0.518	13/2	0.384
60/7	0.063	217/1	0.050
60/8	0.063	238/1	0.172
262/1	0.866	237/1	0.061
242/2	0.873	255/3	0.157
15/2	0.079	254/3	0.159
16/2	0.052	251/1	0.198
105/1	0.073	258/1	0.144
52/16	0.705	263/1	0.352
59/2	0.129	253/2	0.140
61	0.089	252/1	0.084
262/2	0.217	236/2	0.050
242/1	0.218	235/2	0.010
5/5	0.544	230/5	0.010
16/3	0.052	226/5	0.258
105/3	0.073	225/2	0.404
52/17	0.705	228/1	1.224
59/3	0.129	227/2	0.124
242/3	0.218	229/3	0.058
15/4	0.079	234/4	0.010

(1)	(2)
199/1	0.131
19/2	0.202
104/1	0.200
99/1	0.053
96/2	0.023
106/4	0.011
113/2	0.020
114/2	0.008
200/1	0.104
201/4	0.354
202/4	0.248
15/3	0.079
205/3	0.190
206/3	0.030
217/2	0.051
238/5	0.172
237/4	0.061
255/1	0.157
254/1	0.160
251/3	0.197
258/3	0.144
263/4	0.351
253/3	0.139
245/4	0.122
252/4	0.083
236/5	0.050
235/4	0.010
230/4	0.008
226/1	0.258
228/3	1.220
227/5	0.124
229/5	0.059
234/5	0.010
199/5	0.132
19/3	0.202
104/5	0.200
99/5	0.054
96/5	0.022
106/1	0.011
113/5	0.020
114/1	0.008
199/3	0.132
206/5	0.030
201/1	0.354
202/1	0.248

(1)	(2)
204/3	0.157
205/4	0.190
206/4	0.190
217/3	0.050
241/4	0.268
238/3	0.172
237/2	0.061
255/5	0.156
254/4	0.159
251/5	0.197
258/4	0.144
263/5	0.352
253/5	0.139
245/2	0.121
252/5	0.083
236/3	0.050
235/3	0.010
230/2	0.010
226/4	0.258
228/5	1.224
227/3	0.124
229/1	0.058
234/3	0.010
199/3	0.132
19/4	0.203
104/2	0.200
99/2	0.053
96/4	0.023
204/1	0.157
113/4	0.021
114/3	0.008
199/4	0.132
200/2	0.104
201/5	0.354
202/5	0.248
204/2	0.157
205/1	0.190
206/2	0.031
217/4	0.051
56/1	0.527
238/4	0.172
237/5	0.060
237/4	0.157
254/5	0.160

(1)	(2)	(1)	(2)
251/4	0.197	235/1	0.011
258/1	0.145	230/1	0.010
163/3	0.351	106/2	0.010
253/4	0.139	228/4	1.224
245/5	0.122	227/1	0.124
252/3	0.083	229/2	0.058
236/4	0.050	234/2	0.010
235/5	0.010	268/279	0.511
230/3	0.010	268/281	1.012
226/3	0.258	199/2	0.131
228/2	1.225	20/1	1.408
227/4	0.124	20/2	0.234
229/4	0.058	44/2	0.023
234/1	0.011	52/8	0.607
199/4	0.132	83	0.797
200/3	0.103	58/3	0.101
99/4	0.053	60/3	0.051
104/4	0.200	207/1	0.030
96/3	0.023	208/1	0.206
106/5	0.010	218	0.042
113/2	0.020	220/1	0.161
114/4	0.007	257/1	0.220
199/2	0.131	44/3	1.012
199/5	0.132	65/2/1	0.100
200/4	0.104	267/4	0.289
201/2	0.354	86/1/1	0.094
202/3	0.248	86/1/2	0.032
204/5	0.157	86/3	0.250
205/2	0.189	85/1	0.380
206/1	0.031	101/3	0.090
217/5	0.051	52/18	0.872
241/1	0.268	5/2/3	0.843
241/5	0.268	264/1/6	0.083
238/2	0.172	19/5	0.203
237/3	0.061	268/2/3	1.579
255/2	0.157	86/2/1	0.060
254/2	0.159	101/2/1	0.179
251/2	0.198	52/13	1.897
258/2	0.144	264/1/2/3	0.041
263/2	0.352	264/1/3	0.074
253/1	0.139	256/2/5	0.058
245/1	0.121	86/2/2	0.032
252/2	0.084	86/2/3	0.100
236/3	0.050	101/2/2	0.180

(1)	(2)
264/1/1	0.091
264/1/4	0.035
256/3/1	0.046
84	0.114
85/2	0.265
100/1/1	0.164
101/1/2	0.113
62/2/1	0.006
256/1/4	0.268
268/2/2/1	0.250
100/1/2	0.164
101/1/3	0.113
62/2/2	0.006
268/2/2/3	0.250
100/1/3	0.165
101/1/1	0.112
62/2/3	0.007
268/2/2/2	0.250
100/1/4	0.165
62/2/4	0.007
226/2	0.258
87	0.114
88	0.224
52/3	0.911
52/4	0.228
90	0.582
91	0.177
51/2	0.426
218/2	0.042
92/2	0.354
92/4	0.430
93	0.101
94	0.089
52/11	1.518
56/3	0.527
207/3	0.029
51/3	0.426
54	0.784
208/3	0.207
214	0.316
215	1.240
216	0.354
218/3	0.042
220/3	0.160

(1)	(2)
268/280	1.644
112/1	0.063
112/2	0.063
239/1	0.544
50/1	0.219
203/1	0.258
209/1	0.266
256/3/3	0.084
225/1/1	0.411
50/2	0.219
60/5	0.749
209/2	0.265
210/1	0.029
210/2	0.030
261/2	0.232
225/1/2	0.412
268/278/1/1	0.578
50/3	0.220
193	0.228
209/3	0.266
210/3	0.030
268/278/1/2	0.578
51/1	0.426
52/5	0.164
52/6	0.177
52/9	0.379
53/2	2.149
188/4	0.379
52/12	1.264
52/14	1.074
52/19	1.167
268/2/2/4	0.250
57/2/1	2.023
60/2/1	0.218
60/2/3	0.218
60/2/2	0.218
60/2/4	0.217
60/2/5	0.217
60/9	1.455
62/1	0.026
244/1	0.424
62/2	0.020
244/2	0.339
63/3	1.012
63/4	0.749
190	1.113

(1)	(2)
195	0.190
191	0.379
62/3	0.005
53/1/1	0.978
55/1	0.519
53/1/2	0.692
55/2	1.012
57/2	1.012
261/1	0.464
267/7	1.001
256/1/1	0.267
256/1/2	0.267
256/1/3	0.267
268/2	1.265
268/278/2	0.577
192	1.581
197	0.304
203/2	0.526
207/2	0.030
208/2	0.207
220/2	0.160
239/2	0.329
240	0.215
257/2	0.219
257/3	0.219
262/3	0.217
262/4	0.217
262/5	0.216
267/2	0.163
267/6	0.543
56/2	0.527
योग . .	121.914

मिट्टी खदानों हेतु प्रभावित भूमि

ग्राम—मांजरीखो

66	0.468
7/1/1	1.606
67	0.923
68/1/1	0.495
69/1/1	0.056
27	0.063
36	2.327
37	0.329
82	0.519
21	1.260
77	0.139
7/1/6	1.240
86	0.607
78	0.898
79	0.682
87/2	0.253
68/1/2	0.496
69/1/2	0.055
70	0.164
71	0.771
34/2	0.322
87/1	0.253
13/2	0.246
72	0.329
73	0.215
74	0.278
75/1	0.240
30/1	0.323
31/1	0.348
32/1	0.208
8/1	0.411
76/1	0.088
25/2	0.379
22	0.518
28	0.139
83	0.126
68/2	0.489
69/2	0.053
85	0.594
24	0.569
84	0.696
14	1.669
87/3	0.253
34/1	0.322
13/1	0.100
7/1/2	1.606
7/1/3	1.606
7/1/4	1.606
25/1	0.380
75/2	0.240

(1)	(2)
8/2	0.411
80	0.936
88	0.999
81	0.365
7/1/5	0.759
7/1/7	0.759
20	1.923
33	0.316
1/1/2	1.438
1/2	0.240
1/3	1.207
1/4	1.207
10	0.100
11	0.100
76/2	0.089
30/2	0.322
31/2	0.348
32/2	0.209
योग . .	39.685

ग्राम—लक्ष्मणपुरा

8	0.986
9	0.810
26/1	1.114
10	1.037
68	0.810
162	0.253
17/1	0.903
23	0.126
25	0.378
17/2	0.400
26/2	0.455
19	0.038
24	1.278
27	0.468
28	0.898
29	1.404
39	0.266
40	0.202
60	0.354
40/1	0.424
142/1	0.165

(1)	(2)
40/2	0.423
142/2	0.164
55/1/1	1.047
55/3	0.126
155/3/2	0.127
56	0.367
95	0.013
87/2	0.379
88	0.291
140	1.227
158	0.834
65	0.417
86	0.304
66/1	0.430
67/1	0.278
21	0.063
22	0.266
67/2	0.279
161/2	0.443
83	0.202
84	0.076
85	0.354
146	0.733
90	1.770
138	0.240
144	0.632
147	3.040
160	0.318
55/1/2	2.000
55/2	0.506
92	0.291
154	2.263
93	0.392
70	0.013
153	0.228
69	0.506
152	0.215
143	1.012
150	0.936
155/3/1	0.126
159	0.316
161/1	0.442

(1)	(2)
66/2	0.430
91/1	0.093
151/3	0.392
91/2	0.092
151/2	0.392
157/2	0.272
163/2	0.092
91/3	0.093
151/1	0.392
157/1	0.272
163/1	0.013
योग :	39.391

ग्राम-राजलीबे

68/1/1	1.502
68/1/2	1.663
267/278	0.607
योग :	3.772

ग्राम-बानपुर

14	0.316
78	0.126
90	0.126
91	0.847
15	0.291
38	0.063
39/2	0.198
40/3	0.156
74/1	0.253
75	0.519
77/2	0.156
87	0.013
97/3	0.591
16	0.013
17	0.367
74/2	0.253
62	0.126
77/3	0.155
99	0.682
97/1	0.120
46/1	0.031
47/1	0.228
49/1	0.050

(1)	(2)
50/1	0.088
51/1	0.184
65/1	0.050
109/1	0.165
123/1	0.759
46/2	0.032
47/2	0.227
92/3	0.116
83/4	0.051
92/4	0.032
84/1	0.840
83/5	0.051
92/5	0.032
84/2	0.084
83/6	0.050
92/6	0.310
84/3	0.009
93	0.696
94	0.632
95	0.632
96	0.139
98	2.061
18	0.114
19	0.354
36	0.353
37	0.455
21	0.038
22	0.038
23	0.051
27	0.051
29	0.063
30	0.076
24	0.051
31	0.253
259	0.228
25	0.013
26	0.013
28	0.063
33	0.215
86	0.089
88	0.797
89	0.126
34	0.873
35	0.139

(1)	(2)
42	0.506
43	0.215
44	0.013
45	0.518
39/1	0.198
40/2	0.156
59	0.253
77/1	0.156
97/2	0.591
49/2	0.051
50/2	0.089
51/2	0.183
65/2	0.051
109/2	0.164
123/2	0.759
52	0.266
102	0.202
60	0.063
112	0.632
126/2	0.259
53	0.380
57	0.101
116	0.177
58	0.126
54	0.038
55	0.510
18/2	0.162
56	0.063
63	0.430
79	0.038
64	0.417
80/1	0.539
82	0.291
80/2	0.425
81	0.405
80/3	0.831
83/1	0.050
92/1	0.116
85	0.760
83/2	0.050
100	0.177
101	0.114
127	0.278
103/1	0.133
103/2	0.123
107/2	0.448
104	1.833
110	0.455
111	0.455
115	0.569
119	0.202
124	0.139
125	0.519
107/1	0.069
107/3	0.379
108	0.417
117	0.215
128	0.164
119	0.253
113/1	0.331
113/2	0.480
113/3	0.150
114	0.114
118/1	0.162
118/3	0.162
118/4	0.162
118/5	0.162
126/1	0.260
92/2	0.116
83/3	0.510
40/1	0.156
39/3	0.198
योग :	38.512

ग्राम-चौकी

19/1	1.594
19/2/1	1.037
19/2/2	0.557
20	3.264
26	2.048
21	0.164
22	2.768
23	4.033
25	1.379
29	1.136
32	2.225

(1)	(2)
38	0.481
24/1	0.486
27/2	0.234
30/1	0.606
58/1	0.007
68	0.782
69	0.568
70	1.632
72/2	1.350
73/1	2.441
73/2/2	0.884
24/2	0.487
64	0.038
66	0.557
31/1/1	2.339
31/1/2	1.170
31/2	1.170
42/2	0.506
45/1	0.512
46/1	0.253
45/2	0.512
46/2	0.253
47	0.821
63	0.720
67	0.354
48	0.304
49	1.453
50	0.873
54	0.013
55	0.051
59	0.417
52/1	0.004
57/1	0.310
61/1	0.100
60/1	0.210
61/3	0.006
52/4	0.002
60/2	0.210
61/4	0.007
52/5	0.001
61/5	0.006
53	0.012
65	0.618
72/3	1.000
27/1	0.233
30/2	0.607
58/2	0.006
71	0.291
72/1	1.709
73/2/1	0.884
28	0.683
33	1.416
57/2	0.032
61/2	0.090
52/3	0.002
52/2	0.004
योग :	50.922

ग्राम–नलखेड़ा

22/1/1/2	0.095
22/1/2/1	0.157
22/1/7	0.151
22/6	0.253
129/1/1	4.689
129/1/2	1.500
120	0.139
122	0.164
129/2	0.228
22/1/2/2	1.564
22/1/4	1.333
19/2	0.190
129/12	1.215
22/1/5	0.200
20	0.481
129/4	0.696
129/10	2.529
129/18/2	0.565
129/8	0.645
21	0.291
129/7	6.968
121	0.367
129/19/2	1.412
22/1/9	3.036
129/20/2	3.635
129/5	0.746
129/9	4.047
19/5	0.940

(1)	(2)
19/3	0.063
129/11	6.070
22/1/1/5	0.950
22/1/1/3	1.330
22/1/1/4	1.333
22/7	2.605
129/13	1.518
22/1/1	4.762
22/1/8	2.000
129/3	0.949
22/4	0.051
योग :	59.867

ग्राम–गोपालपुरा

137	1.720
174/2/22	1.000
174/2/24	1.000
9/1	0.405
9/4	0.696
5	0.531
104	0.076
106	0.316
133	4.705
141	0.873
174/2/2	1.000
99	0.101
100	0.481
101	0.076
102	0.038
103	0.266
105	0.076
136/1	0.500
174/2/21	1.000
174/2/7	0.759
121/2	0.379
121/3	0.379
174/2/5	0.759
174/2/9	0.834
174/2/28	1.000
111/1/1	0.691
144	0.310
145	1.290
174/3	0.076
174/2/3	0.759
121/1	2.290
159	0.392
174/2/18	0.588
108	0.696
45	0.152
116	1.252
146	0.595
174/5	3.794
174/2/1	1.000
114	0.569
117	0.038
118	0.139
122	1.037
124	1.164
125	0.911
135/2	0.278
121/4	0.253
174/2/10	0.834
174/2/8	0.834
174/2/20	1.000
130	0.759
107	0.354
43	0.038
44	0.038
119	1.012
174/2/27	1.000
174/2/31	0.977
115	0.278
120	0.506
131	0.860
174/2/17	0.824
174/2/4	0.759
योग :	47.317
कुल योग :	432.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में बांध स्थल एवं मिट्टी खदानों हेतु प्रभावित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—मण्डला

(ग) ग्राम—कन्हार एवं बनियातारा, प.ह.न. 73

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.43 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—कन्हार	
183/1	0.85
183/3	0.17
184/1	0.48
184/2	1.14
185/1	0.16
185/2	0.24
185/4	0.41
185/5	0.41
193	0.10
201/188	0.63
191/1	0.26
191/2	0.26
189	0.50
192	0.39
190	0.58
161	0.41
162	0.16
योग . .	7.15
—	—
183/3	0.04
183/2	0.03
175	0.10
173	0.13
170	0.04
169/2	0.07
146	0.05
144	0.07
136	0.06
137/2	0.05
—	—
134/1	0.06
133	0.18
132/1, 132/2	0.14
129/1क	0.01
योग . .	1.03
ग्राम—बनियातारा	
231	0.02
230	0.08
218	0.08
198	0.04
196	0.03
योग . .	0.25
कुल योग .	.8.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कटंगी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 088-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—किशनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.334 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
284	0.130	निजी भूमि
285	0.250	निजी भूमि
291	0.070	निजी भूमि
292	0.150	निजी भूमि
293	1.600	निजी भूमि
295	0.020	निजी भूमि
296	0.340	निजी भूमि
298	0.090	निजी भूमि
300	0.010	निजी भूमि
301	0.350	निजी भूमि
302	1.900	निजी भूमि
303	2.330	निजी भूमि
304	0.520	निजी भूमि
305	0.480	निजी भूमि
306	0.120	निजी भूमि
307	0.450	निजी भूमि
308	1.750	निजी भूमि
309	0.630	निजी भूमि
314	0.600	निजी भूमि
315	0.950	निजी भूमि
316	0.200	निजी भूमि
317	1.250	निजी भूमि
319/1	0.150	निजी भूमि
319/2	0.040	निजी भूमि
320	0.400	निजी भूमि
321/1	0.490	निजी भूमि
321/2	0.010	निजी भूमि
323	1.090	निजी भूमि
325	0.670	निजी भूमि
326/1	0.330	निजी भूमि
326/2	0.150	निजी भूमि
327/1	0.160	निजी भूमि
327/2	0.010	निजी भूमि
328/1	0.540	निजी भूमि
328/2	0.340	निजी भूमि
329	0.440	निजी भूमि
332	0.050	निजी भूमि
333/1	0.300	निजी भूमि
333/2	0.140	निजी भूमि
333/3	0.100	निजी भूमि
334	0.300	निजी भूमि
338	1.650	निजी भूमि
340	0.800	निजी भूमि
341	0.500	निजी भूमि
342	0.650	निजी भूमि
343	0.320	निजी भूमि
344	0.390	निजी भूमि
346/1/ख	1.000	निजी भूमि
348	0.480	निजी भूमि
352	0.300	निजी भूमि
354	0.220	निजी भूमि
357/1	0.180	निजी भूमि
358/1	0.480	निजी भूमि
365	0.130	निजी भूमि
394	0.270	निजी भूमि
396	0.100	निजी भूमि
397	1.000	निजी भूमि
345	1.040	निजी भूमि
416	0.064	निजी भूमि
417	0.080	निजी भूमि
418	0.160	निजी भूमि
419	0.120	निजी भूमि
420	0.500	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	30.334	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 089-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—गड़रपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
147	0.100	निजी भूमि
148	0.220	निजी भूमि
151/2	0.900	निजी भूमि
151/3	2.000	निजी भूमि
151/4	2.000	निजी भूमि
151/5	1.100	निजी भूमि
151/7	0.850	निजी भूमि
151/8	1.550	निजी भूमि
151/9	2.000	निजी भूमि
152/1	0.040	निजी भूमि
152/2	0.450	निजी भूमि
152/3	0.200	निजी भूमि
153	0.310	निजी भूमि
219/151	0.600	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	12.320	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 090-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बिमतहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.96 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
183	1.50	निजी भूमि
184	5.90	निजी भूमि
187	0.46	निजी भूमि
209	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	7.96	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 091-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—नरदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1797	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.040	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 092-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—सब्दुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.650 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
27/1, 27/2	0.080	निजी भूमि
29/1, 29/2	0.150	निजी भूमि
30	0.220	निजी भूमि
31	0.490	निजी भूमि
32	0.680	निजी भूमि
57	0.030	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.650	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 093-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बरियारपुर (भूमियान)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
209	0.650	निजी भूमि
212	0.280	निजी भूमि
213	1.050	निजी भूमि
222/1, 222/2, 222/3	1.870	निजी भूमि निजी भूमि
223	0.480	निजी भूमि
238	0.360	निजी भूमि
240	0.950	निजी भूमि
241/1, 241/2	0.700	निजी भूमि
242	0.400	निजी भूमि
244	0.200	निजी भूमि
246/1, 246/2	0.480	निजी भूमि
441	0.070	निजी भूमि
442	0.200	निजी भूमि
440	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	7.790	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 101-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा

(ग) ग्राम—सटवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.500 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
720/2	0.180	निजी भूमि
722	0.670	निजी भूमि
723	1.590	निजी भूमि
724	0.530	निजी भूमि
809	0.190	निजी भूमि
811	0.220	निजी भूमि
725	0.570	निजी भूमि
796	0.250	निजी भूमि
798	0.460	निजी भूमि
800	1.080	निजी भूमि
799	0.190	निजी भूमि
801	0.020	निजी भूमि
815	0.270	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
816	0.600	निजी भूमि
808	0.470	निजी भूमि
813	0.220	निजी भूमि
810	0.300	निजी भूमि
812	0.300	निजी भूमि
814	0.390	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	8.500	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 103-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—चौपरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.67 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1396	0.14	निजी भूमि
1397	0.14	निजी भूमि
1398	0.09	निजी भूमि
1399	0.07	निजी भूमि
1431	0.08	निजी भूमि
1432	0.06	निजी भूमि
1433	0.12	निजी भूमि
1400	0.22	निजी भूमि
1401	0.22	निजी भूमि
1414	0.01	निजी भूमि
1415	0.01	निजी भूमि
1423	0.11	निजी भूमि
1424	0.11	निजी भूमि
1416	0.10	निजी भूमि
1417	0.15	निजी भूमि
1421	0.04	निजी भूमि
1422	0.21	निजी भूमि
1418	0.22	निजी भूमि
1419	0.10	निजी भूमि
1420	0.25	निजी भूमि
1425	0.11	निजी भूमि
1427/3	0.12	निजी भूमि
1428/1	0.06	निजी भूमि
1448/1	0.09	निजी भूमि
1426	0.24	निजी भूमि
1427/1	0.15	निजी भूमि
1428/3	0.06	निजी भूमि
1448/2	0.10	निजी भूमि
1427/2	0.12	निजी भूमि
1428/2	0.06	निजी भूमि
1448/3	0.10	निजी भूमि
1429	0.15	निजी भूमि
1430	0.10	निजी भूमि
1434	0.22	निजी भूमि
1436	0.11	निजी भूमि
1438/1	0.05	निजी भूमि
1441	0.10	निजी भूमि
1443	0.07	निजी भूमि
1447	0.06	निजी भूमि
1435	0.23	निजी भूमि
1437	0.15	निजी भूमि
1438/2	0.15	निजी भूमि
1439	0.08	निजी भूमि
1440	0.07	निजी भूमि
1442	0.12	निजी भूमि
1444	0.13	निजी भूमि
1446	0.06	निजी भूमि
1449	0.31	निजी भूमि
1450	0.08	निजी भूमि
1451	0.25	निजी भूमि
1453	0.10	निजी भूमि
1454	0.18	निजी भूमि
1455	0.89	निजी भूमि
1456	0.17	निजी भूमि
2008	0.12	निजी भूमि
2009	0.04	निजी भूमि
2010	0.03	निजी भूमि
2011	0.32	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
2013	0.28	निजी भूमि
1458	0.15	निजी भूमि
1459	0.13	निजी भूमि
1461	0.16	निजी भूमि
1462	0.79	निजी भूमि
1463	0.30	निजी भूमि
1922	1.42	निजी भूमि
1999	0.40	निजी भूमि
2000	0.36	निजी भूमि
2001	0.03	निजी भूमि
2002	0.17	निजी भूमि
2003	0.45	निजी भूमि
1465	0.23	निजी भूमि
1466	0.60	निजी भूमि
1467	0.17	निजी भूमि
1468	0.55	निजी भूमि
1469	0.27	निजी भूमि
1470	0.36	निजी भूमि
1849	0.12	निजी भूमि
1850	0.29	निजी भूमि
1854	0.21	निजी भूमि
1855	0.33	निजी भूमि
1856	0.30	निजी भूमि
1471/2	0.60	निजी भूमि
1476/2	0.51	निजी भूमि
1474	0.58	निजी भूमि
1476/3	0.60	निजी भूमि
1478/2	1.20	निजी भूमि
1478/3	0.61	निजी भूमि
1479	1.48	निजी भूमि
1402	0.26	निजी भूमि
1480	0.15	निजी भूमि
1481	0.51	निजी भूमि
1482	0.20	निजी भूमि
1488	1.16	निजी भूमि
1735	0.02	निजी भूमि
1736	0.21	निजी भूमि
1737	0.12	निजी भूमि
1738/2	0.08	निजी भूमि
1738/1	0.27	निजी भूमि
1740/2479	0.38	निजी भूमि
1740/2 क	0.77	निजी भूमि
1740/2ख	0.70	निजी भूमि
1743/2	0.10	निजी भूमि
1479/1	0.54	निजी भूमि
1749/2 ग	0.04	निजी भूमि
1749/2 क	0.03	निजी भूमि
1839/4 क	0.06	निजी भूमि
1845/2 क	0.12	निजी भूमि
1749/2 ख	0.03	निजी भूमि
1839/4 ख	0.07	निजी भूमि
1845/2 ख	0.12	निजी भूमि
1839/2	0.19	निजी भूमि
1839/3	0.50	निजी भूमि
1840/1	0.09	निजी भूमि
1841	1.44	निजी भूमि
1842	0.35	निजी भूमि
1858	1.00	निजी भूमि
1840/2	0.26	निजी भूमि
1845/1/1	0.40	निजी भूमि
1845/1/2	0.80	निजी भूमि
1845/1/3	0.80	निजी भूमि
1845/1/4	1.20	निजी भूमि
1845/1/5	1.20	निजी भूमि
1845/1/6	1.20	निजी भूमि
1847	0.24	निजी भूमि
1848	0.48	निजी भूमि
1857/2	0.85	निजी भूमि
1986/1/2	0.20	निजी भूमि
1986/1/3	0.20	निजी भूमि
1986/2	0.05	निजी भूमि
1986/3	0.10	निजी भूमि
2005	0.10	निजी भूमि
2012	0.02	निजी भूमि
2017	0.17	निजी भूमि
2018	0.48	निजी भूमि
2014	0.07	निजी भूमि
2015	0.10	निजी भूमि
2016	0.07	निजी भूमि
1872	0.40	निजी भूमि
1873	0.13	निजी भूमि
1875	0.54	निजी भूमि
2476/2008	0.45	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	41.67	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चौपरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 106-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के निजी पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—सारंगपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.10 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
345	0.01	निजी भूमि
346	0.01	निजी भूमि
452	0.05	निजी भूमि
453	0.02	निजी भूमि
454	0.03	निजी भूमि
455	0.03	निजी भूमि
456	0.04	निजी भूमि
474	0.01	निजी भूमि
476	0.02	निजी भूमि
478	0.01	निजी भूमि
479	0.01	निजी भूमि
480	0.02	निजी भूमि
481	0.02	निजी भूमि
517	0.04	निजी भूमि
519	0.01	निजी भूमि
520	0.09	निजी भूमि
521	0.05	निजी भूमि
522	0.05	निजी भूमि
527	0.01	निजी भूमि
528	0.01	निजी भूमि
531/1	0.01	निजी भूमि
531/2	0.01	निजी भूमि
532	0.02	निजी भूमि
533	0.10	निजी भूमि
534	0.02	निजी भूमि
535/1	0.01	निजी भूमि
535/2	0.01	निजी भूमि
536/1	0.14	निजी भूमि
536.2	0.15	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)
541	0.05	निजी भूमि
543	0.43	निजी भूमि
548	0.32	निजी भूमि
550	1.00	निजी भूमि
551	1.00	निजी भूमि
552	0.50	निजी भूमि
553	0.20	निजी भूमि
554	0.08	निजी भूमि
556/1	0.07	निजी भूमि
556/2	0.07	निजी भूमि
557	0.28	निजी भूमि
560	0.16	निजी भूमि
561	0.10	निजी भूमि
562	0.10	निजी भूमि
563	0.32	निजी भूमि
565	0.24	निजी भूमि
567	0.36	निजी भूमि
568	0.11	निजी भूमि
569	0.05	निजी भूमि
570	0.07	निजी भूमि
571	0.10	निजी भूमि
572	0.23	निजी भूमि
573	0.21	निजी भूमि
574	0.46	निजी भूमि
575	0.17	निजी भूमि
576	0.03	निजी भूमि
577	0.11	निजी भूमि
578	0.19	निजी भूमि
579	0.38	निजी भूमि
580	0.03	निजी भूमि
583	0.02	निजी भूमि
769	0.02	निजी भूमि
770	0.09	निजी भूमि
771	0.55	निजी भूमि
774	0.46	निजी भूमि
807	0.18	निजी भूमि
808	0.03	निजी भूमि
857	0.60	निजी भूमि
858	0.55	निजी भूमि
859	0.20	निजी भूमि
860	0.66	निजी भूमि
862	0.39	निजी भूमि
863	0.80	निजी भूमि
864	0.13	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
865	0.50	निजी भूमि
866	0.01	निजी भूमि
867	0.13	निजी भूमि
893/1	0.15	निजी भूमि
893/2	0.15	निजी भूमि
894	0.90	निजी भूमि
895	0.33	निजी भूमि
896	0.61	निजी भूमि
898	1.00	निजी भूमि
901	0.21	निजी भूमि
902	0.12	निजी भूमि
903	0.12	निजी भूमि
904	0.13	निजी भूमि
905	0.49	निजी भूमि
906	0.17	निजी भूमि
907	0.22	निजी भूमि
908	0.15	निजी भूमि
909	0.05	निजी भूमि
910	0.13	निजी भूमि
911	0.71	निजी भूमि
912	0.12	निजी भूमि
913	0.16	निजी भूमि
914	0.05	निजी भूमि
915	0.41	निजी भूमि
916	0.10	निजी भूमि
918	0.35	निजी भूमि
919	0.10	निजी भूमि
925	0.43	निजी भूमि
926	0.45	निजी भूमि
927	0.39	निजी भूमि
928/1	1.00	निजी भूमि
928/2	0.79	निजी भूमि
929	1.90	निजी भूमि
932	0.01	निजी भूमि
933	3.38	निजी भूमि
934	0.10	निजी भूमि
935	0.15	निजी भूमि
936	0.40	निजी भूमि
928/1156	1.12	निजी भूमि
600	0.01	निजी भूमि
602	0.02	निजी भूमि
603	0.03	निजी भूमि
518	0.01	निजी भूमि
477	0.01	निजी भूमि
1077	0.10	निजी भूमि
1078	0.65	निजी भूमि
1075	0.29	निजी भूमि
1080	0.91	निजी भूमि
1076	0.05	निजी भूमि
1087	1.43	निजी भूमि
1086	0.14	निजी भूमि
1083	1.28	निजी भूमि
1081	0.24	निजी भूमि
1088	0.13	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	36.10	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियाजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—सलैया समारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.800 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
112	0.005	निजी भूमि
113	0.024	निजी भूमि
115	0.160	निजी भूमि
116	0.161	निजी भूमि
117	0.045	निजी भूमि
118	0.020	निजी भूमि
119	0.050	निजी भूमि
121	0.056	निजी भूमि
123	0.075	निजी भूमि
125	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
147/1	0.120	निजी भूमि
147/2	0.130	निजी भूमि
150	0.240	निजी भूमि
151	0.140	निजी भूमि
152	0.150	निजी भूमि
154/1	0.070	निजी भूमि
154/2	0.060	निजी भूमि
156	0.020	निजी भूमि
157	0.040	निजी भूमि
158	0.020	निजी भूमि
160/1	0.091	निजी भूमि
161/2	0.045	निजी भूमि
161/1	0.025	निजी भूमि
202	0.054	निजी भूमि
204	0.060	निजी भूमि
205	0.114	निजी भूमि
210	0.030	निजी भूमि
211	0.010	निजी भूमि
233	0.010	निजी भूमि
235	0.030	निजी भूमि
236	0.180	निजी भूमि
237	1.210	निजी भूमि
246	0.020	निजी भूमि
247	0.472	निजी भूमि
248/1	0.400	निजी भूमि
248/2	0.200	निजी भूमि
250	0.240	निजी भूमि
251	0.130	निजी भूमि
252	0.150	निजी भूमि
253	0.330	निजी भूमि
255	0.820	निजी भूमि
256	0.540	निजी भूमि
259	1.540	निजी भूमि
262	0.260	निजी भूमि
263	0.750	निजी भूमि
265	0.360	निजी भूमि
266	0.180	निजी भूमि
267	0.083	निजी भूमि
268	0.050	निजी भूमि
269	0.131	निजी भूमि
270	0.700	निजी भूमि
272	0.380	निजी भूमि
277/1	0.350	निजी भूमि
277/2	0.036	निजी भूमि
281	0.150	निजी भूमि
283	0.363	निजी भूमि
284	0.610	निजी भूमि
285	0.570	निजी भूमि
303	0.120	निजी भूमि
304	0.210	निजी भूमि
305	0.280	निजी भूमि
308	0.600	निजी भूमि
310	0.450	निजी भूमि
311	0.440	निजी भूमि
312	0.140	निजी भूमि
317	0.100	निजी भूमि
614	0.920	निजी भूमि
212	0.010	निजी भूमि
146	0.010	निजी भूमि
176	0.010	निजी भूमि
207	0.050	निजी भूमि
238	0.150	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	16.800	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियाजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 108-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—पगरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.41 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1	0.10	निजी भूमि
2	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6	0.01	निजी भूमि	81	0.12	निजी भूमि
9	0.05	निजी भूमि	82	0.10	निजी भूमि
11	0.03	निजी भूमि	83	0.06	निजी भूमि
12	0.06	निजी भूमि	84	0.18	निजी भूमि
15	0.11	निजी भूमि	85	0.17	निजी भूमि
16	0.01	निजी भूमि	86	0.32	निजी भूमि
18	0.02	निजी भूमि	87	0.25	निजी भूमि
19	0.07	निजी भूमि	88	0.18	निजी भूमि
20	0.09	निजी भूमि	89	0.14	निजी भूमि
21	0.15	निजी भूमि	90	0.06	निजी भूमि
23	0.15	निजी भूमि	91	0.03	निजी भूमि
24	0.09	निजी भूमि	92	0.06	निजी भूमि
25	0.12	निजी भूमि	93	0.06	निजी भूमि
26	0.44	निजी भूमि	94	0.06	निजी भूमि
27	0.05	निजी भूमि	95	0.04	निजी भूमि
29	0.07	निजी भूमि	96	0.04	निजी भूमि
31	0.05	निजी भूमि	99	0.01	निजी भूमि
32	0.08	निजी भूमि	102	0.04	निजी भूमि
34	0.03	निजी भूमि	103	0.09	निजी भूमि
35	0.12	निजी भूमि	106	0.07	निजी भूमि
36	0.13	निजी भूमि	107	0.06	निजी भूमि
37	0.36	निजी भूमि	110	0.07	निजी भूमि
38	0.63	निजी भूमि	111	0.10	निजी भूमि
39	0.56	निजी भूमि	112	0.06	निजी भूमि
40	0.08	निजी भूमि	113	0.04	निजी भूमि
41	0.13	निजी भूमि	114	0.05	निजी भूमि
42	0.07	निजी भूमि	115	0.59	निजी भूमि
46	1.30	निजी भूमि	116	0.25	निजी भूमि
47	0.94	निजी भूमि	117	0.08	निजी भूमि
48	0.09	निजी भूमि	118	0.16	निजी भूमि
49	0.37	निजी भूमि	119	0.04	निजी भूमि
50	0.03	निजी भूमि	121	0.47	निजी भूमि
51	0.57	निजी भूमि	122	0.35	निजी भूमि
54/1	0.54	निजी भूमि	124	0.21	निजी भूमि
54/2	0.13	निजी भूमि	125	0.09	निजी भूमि
54/3	0.14	निजी भूमि	126	0.06	निजी भूमि
55	0.90	निजी भूमि	127	0.12	निजी भूमि
56	0.03	निजी भूमि	128	0.06	निजी भूमि
75	0.27	निजी भूमि	129	0.14	निजी भूमि
76	0.08	निजी भूमि	130	0.05	निजी भूमि
77	0.10	निजी भूमि	131	0.10	निजी भूमि
78	0.08	निजी भूमि	132	0.06	निजी भूमि
79	0.01	निजी भूमि	133	0.40	निजी भूमि
80	1.55	निजी भूमि	134	0.62	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
135	0.02	निजी भूमि
136	0.02	निजी भूमि
138	0.10	निजी भूमि
142	0.01	निजी भूमि
143	0.03	निजी भूमि
149	0.03	निजी भूमि
150	0.25	निजी भूमि
151	0.10	निजी भूमि
152	0.07	निजी भूमि
153	0.12	निजी भूमि
154	0.06	निजी भूमि
155	0.26	निजी भूमि
137	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	18.41	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—मझगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—110.05 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
667	0.45	निजी भूमि
665	0.22	निजी भूमि
661	1.25	निजी भूमि
659	1.20	निजी भूमि
664	0.60	निजी भूमि
663	0.65	निजी भूमि
662	0.70	निजी भूमि
655	1.25	निजी भूमि
666/1	0.50	निजी भूमि
666/2	0.09	निजी भूमि
666/3	0.09	निजी भूमि
672	0.02	निजी भूमि
668	0.09	निजी भूमि
671	0.16	निजी भूमि
673/1क	0.09	निजी भूमि
673/1ख	0.08	निजी भूमि
673/1ग	0.08	निजी भूमि
686	0.50	निजी भूमि
651	0.15	निजी भूमि
673/2	0.21	निजी भूमि
656	0.16	निजी भूमि
657	0.02	निजी भूमि
658	0.05	निजी भूमि
635	0.39	निजी भूमि
629	1.06	निजी भूमि
638	0.38	निजी भूमि
637	0.06	निजी भूमि
631	2.80	निजी भूमि
628	0.20	निजी भूमि
590	0.39	निजी भूमि
591	0.55	निजी भूमि
584	0.70	निजी भूमि
588	0.35	निजी भूमि
586	0.16	निजी भूमि
587	0.46	निजी भूमि
585	0.16	निजी भूमि
564/1	0.69	निजी भूमि
564/2	0.17	निजी भूमि
563	0.08	निजी भूमि
561	0.08	निजी भूमि
565	0.51	निजी भूमि
566	0.01	निजी भूमि
567	0.15	निजी भूमि
568	0.11	निजी भूमि
569	0.06	निजी भूमि
570	0.09	निजी भूमि
571	0.13	निजी भूमि
581	0.01	निजी भूमि
582	0.09	निजी भूमि
578	0.09	निजी भूमि
559	0.28	निजी भूमि
558/1	0.17	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
558/2	0.35	निजी भूमि	492	0.01	निजी भूमि
558/3	0.35	निजी भूमि	487	2.40	निजी भूमि
583	0.11	निजी भूमि	485	0.25	निजी भूमि
572	0.45	निजी भूमि	484/1	0.24	निजी भूमि
580	0.04	निजी भूमि	484/2	0.24	निजी भूमि
573/1	0.27	निजी भूमि	484/3	0.36	निजी भूमि
573/2	0.30	निजी भूमि	483	0.27	निजी भूमि
555/1	0.30	निजी भूमि	482	0.14	निजी भूमि
555/2	0.70	निजी भूमि	481	0.12	निजी भूमि
555/3	0.30	निजी भूमि	480	0.04	निजी भूमि
555/4	1.13	निजी भूमि	479	0.28	निजी भूमि
557	2.58	निजी भूमि	434	0.01	निजी भूमि
576	0.09	निजी भूमि	432	0.11	निजी भूमि
577/1	0.02	निजी भूमि	430	0.31	निजी भूमि
541	0.01	निजी भूमि	428	0.01	निजी भूमि
542	0.40	निजी भूमि	431	0.11	निजी भूमि
543/1	0.10	निजी भूमि	433	0.42	निजी भूमि
543/2	0.10	निजी भूमि	427	0.93	निजी भूमि
543/3	0.10	निजी भूमि	426/1	0.20	निजी भूमि
545	0.02	निजी भूमि	425/1	0.02	निजी भूमि
544	0.02	निजी भूमि	250/1	0.20	निजी भूमि
546	0.04	निजी भूमि	250/2	0.25	निजी भूमि
547	0.04	निजी भूमि	250/3	0.30	निजी भूमि
553	0.27	निजी भूमि	256	0.17	निजी भूमि
551	0.06	निजी भूमि	254	0.07	निजी भूमि
529	1.32	निजी भूमि	253	0.09	निजी भूमि
530	0.09	निजी भूमि	252	0.04	निजी भूमि
531/1	0.02	निजी भूमि	251	0.07	निजी भूमि
531/2	0.01	निजी भूमि	319	0.07	निजी भूमि
528	0.10	निजी भूमि	322	0.03	निजी भूमि
527	0.75	निजी भूमि	321	0.04	निजी भूमि
526/1	0.27	निजी भूमि	320	0.07	निजी भूमि
526/2	0.27	निजी भूमि	334	0.03	निजी भूमि
526/3	0.28	निजी भूमि	336	0.05	निजी भूमि
524	0.05	निजी भूमि	337	0.04	निजी भूमि
525/1	0.02	निजी भूमि	316	0.07	निजी भूमि
525/2	0.02	निजी भूमि	317	0.05	निजी भूमि
525/3	0.02	निजी भूमि	318	0.06	निजी भूमि
525/4	0.03	निजी भूमि	302	0.06	निजी भूमि
497	0.05	निजी भूमि	303	0.01	निजी भूमि
496	0.03	निजी भूमि	301	0.60	निजी भूमि
495	0.03	निजी भूमि	300	0.20	निजी भूमि
493	0.29	निजी भूमि	264	0.29	निजी भूमि
486	0.61	निजी भूमि	263	0.28	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
262	0.08	निजी भूमि
261	0.08	निजी भूमि
260	0.25	निजी भूमि
259	0.13	निजी भूमि
258	0.03	निजी भूमि
257	0.09	निजी भूमि
248/3	0.44	निजी भूमि
248/2	0.44	निजी भूमि
248/1	0.88	निजी भूमि
247	0.15	निजी भूमि
246	0.28	निजी भूमि
245	0.16	निजी भूमि
244	0.08	निजी भूमि
243	0.47	निजी भूमि
242	0.74	निजी भूमि
241	0.06	निजी भूमि
240	0.07	निजी भूमि
239	0.18	निजी भूमि
238	0.14	निजी भूमि
237/1	0.09	निजी भूमि
237/2	0.09	निजी भूमि
236	0.12	निजी भूमि
235	0.13	निजी भूमि
234	0.04	निजी भूमि
233	0.09	निजी भूमि
231/1	0.81	निजी भूमि
231/2	0.91	निजी भूमि
230	0.63	निजी भूमि
224	0.11	निजी भूमि
226	0.23	निजी भूमि
229	0.12	निजी भूमि
228	0.14	निजी भूमि
217	1.43	निजी भूमि
222	0.08	निजी भूमि
216	0.11	निजी भूमि
215	0.30	निजी भूमि
214	0.08	निजी भूमि
213	0.10	निजी भूमि
212	0.14	निजी भूमि
198	0.03	निजी भूमि
199	0.15	निजी भूमि
200	0.03	निजी भूमि
201	0.15	निजी भूमि
202	0.27	निजी भूमि
203	0.42	निजी भूमि
204	0.19	निजी भूमि
205	0.43	निजी भूमि
206	0.06	निजी भूमि
207	0.07	निजी भूमि
208	0.07	निजी भूमि
173	0.08	निजी भूमि
172	0.03	निजी भूमि
171	0.06	निजी भूमि
170	0.15	निजी भूमि
169	0.20	निजी भूमि
167	0.25	निजी भूमि
166	0.10	निजी भूमि
165	0.38	निजी भूमि
164	0.75	निजी भूमि
161	0.13	निजी भूमि
159	0.23	निजी भूमि
178	0.45	निजी भूमि
177	0.20	निजी भूमि
176	0.02	निजी भूमि
158	1.35	निजी भूमि
156/2	2.05	निजी भूमि
156/1	0.22	निजी भूमि
157/1	0.30	निजी भूमि
157/2	0.28	निजी भूमि
150	1.30	निजी भूमि
151	0.09	निजी भूमि
147	0.12	निजी भूमि
148	0.16	निजी भूमि
149	0.14	निजी भूमि
146	0.05	निजी भूमि
144	0.07	निजी भूमि
141	0.22	निजी भूमि
140	0.37	निजी भूमि
139	1.32	निजी भूमि
137	0.46	निजी भूमि
136	0.08	निजी भूमि
135	0.19	निजी भूमि
134	0.04	निजी भूमि
133	0.04	निजी भूमि
131	0.10	निजी भूमि
130	0.01	निजी भूमि
129	0.30	निजी भूमि
128	0.24	निजी भूमि
127	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
126	0.11	निजी भूमि	83	0.20	निजी भूमि
125	0.19	निजी भूमि	82	0.07	निजी भूमि
124	0.03	निजी भूमि	78	0.35	निजी भूमि
123	0.04	निजी भूमि	77	0.20	निजी भूमि
122	0.21	निजी भूमि	76	0.06	निजी भूमि
121	0.05	निजी भूमि	75	0.11	निजी भूमि
120	0.14	निजी भूमि	74	0.03	निजी भूमि
119	0.22	निजी भूमि	73	1.38	निजी भूमि
118	0.19	निजी भूमि	71	0.25	निजी भूमि
116	0.38	निजी भूमि	63	0.15	निजी भूमि
115	0.18	निजी भूमि	62/1	0.01	निजी भूमि
114	0.28	निजी भूमि	56	1.02	निजी भूमि
113	0.17	निजी भूमि	55/1	0.20	निजी भूमि
112	0.31	निजी भूमि	55/2	0.20	निजी भूमि
111	0.35	निजी भूमि	55/3	0.20	निजी भूमि
110	0.25	निजी भूमि	55/4	0.20	निजी भूमि
109	0.03	निजी भूमि	55/5	0.20	निजी भूमि
108	0.08	निजी भूमि	53	0.24	निजी भूमि
107	0.12	निजी भूमि	50	0.42	निजी भूमि
106/1	0.08	निजी भूमि	49	0.16	निजी भूमि
106/2	0.08	निजी भूमि	47	0.66	निजी भूमि
105	0.04	निजी भूमि	43	0.42	निजी भूमि
104	0.15	निजी भूमि	42	0.26	निजी भूमि
103	0.18	निजी भूमि	41	0.03	निजी भूमि
102/2	2.00	निजी भूमि	35	0.02	निजी भूमि
102/1	0.65	निजी भूमि	34	0.22	निजी भूमि
101	0.07	निजी भूमि	33	0.06	निजी भूमि
100/1	0.05	निजी भूमि	31	0.80	निजी भूमि
100/2	0.12	निजी भूमि	30	0.07	निजी भूमि
99	0.02	निजी भूमि	29	0.38	निजी भूमि
98	0.01	निजी भूमि	28	0.08	निजी भूमि
97	0.18	निजी भूमि	27	0.21	निजी भूमि
96	0.02	निजी भूमि	22	0.94	निजी भूमि
95	0.10	निजी भूमि	20	0.08	निजी भूमि
94	0.14	निजी भूमि	19	1.00	निजी भूमि
93	0.17	निजी भूमि	15/1	0.61	निजी भूमि
98	0.24	निजी भूमि	15/2	0.10	निजी भूमि
91	0.10	निजी भूमि	16	0.01	निजी भूमि
90	0.04	निजी भूमि	13/2	0.88	निजी भूमि
89	0.17	निजी भूमि	13/3	1.40	निजी भूमि
88	0.33	निजी भूमि	13/4	0.26	निजी भूमि
87	0.13	निजी भूमि	13/5	0.88	निजी भूमि
86	0.15	निजी भूमि	13/6	0.90	निजी भूमि
85	0.04	निजी भूमि	13/7	0.40	निजी भूमि
84	0.18	निजी भूमि	13/8	0.30	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
13/9	2.00	निजी भूमि
12/1	0.27	निजी भूमि
12/2	0.05	निजी भूमि
11	0.15	निजी भूमि
10/2	0.35	निजी भूमि
10/1	0.56	निजी भूमि
2/16	0.70	निजी भूमि
2/15	0.65	निजी भूमि
2/14	0.65	निजी भूमि
2/13	0.95	निजी भूमि
2/12	0.75	निजी भूमि
2/11	0.72	निजी भूमि
2/10	1.20	निजी भूमि
2/9	1.38	निजी भूमि
2/8	0.80	निजी भूमि
2/7	0.56	निजी भूमि
2/5	0.42	निजी भूमि
2/4	0.43	निजी भूमि
2/3	0.38	निजी भूमि
2/2	0.36	निजी भूमि
2/1	0.28	निजी भूमि
145	0.05	निजी भूमि
174	0.08	निजी भूमि
209	0.06	निजी भूमि
210	0.05	निजी भूमि
211	0.07	निजी भूमि
221	0.08	निजी भूमि
265/1	0.15	निजी भूमि
265/2	0.20	निजी भूमि
265/3	0.30	निजी भूमि
268	0.10	निजी भूमि
269	0.02	निजी भूमि
548	0.11	निजी भूमि
549	0.03	निजी भूमि
550/2	0.03	निजी भूमि
552	0.10	निजी भूमि
556/1	0.48	निजी भूमि
556/2	0.47	निजी भूमि
575	0.09	निजी भूमि
592/1	0.20	निजी भूमि
592/2	0.20	निजी भूमि
593	0.04	निजी भूमि
633	0.33	निजी भूमि
636	0.04	निजी भूमि
639	0.55	निजी भूमि
640	0.54	निजी भूमि
648/1	0.10	निजी भूमि
652/1	0.08	निजी भूमि
652/2	0.08	निजी भूमि
653	0.09	निजी भूमि
678	0.05	निजी भूमि
679	0.20	निजी भूमि
424	0.15	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	110.05	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 115-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—खमतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.430 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1722	0.250	निजी भूमि
1723	0.200	निजी भूमि
1724	0.040	निजी भूमि
1726	0.010	निजी भूमि
1732	0.590	निजी भूमि
1734	0.060	निजी भूमि
1735	0.060	निजी भूमि
1754	0.550	निजी भूमि
1841	0.070	निजी भूमि
1848	0.300	निजी भूमि
1849	0.130	निजी भूमि
1853	0.085	निजी भूमि
1850	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1851	0.010	निजी भूमि
1852	0.040	निजी भूमि
1854	0.050	निजी भूमि
1858	0.075	निजी भूमि
1859	0.050	निजी भूमि
1860	0.040	निजी भूमि
1861	0.040	निजी भूमि
1862	0.030	निजी भूमि
1863	0.850	निजी भूमि
1865	0.010	निजी भूमि
1867	0.070	निजी भूमि
1869	0.260	निजी भूमि
1870	0.320	निजी भूमि
1872	0.030	निजी भूमि
1874	0.020	निजी भूमि
3247	0.300	निजी भूमि
3248	0.080	निजी भूमि
3268	0.140	निजी भूमि
3269	0.200	निजी भूमि
3270	0.230	निजी भूमि
3271	0.020	निजी भूमि
3272	0.020	निजी भूमि
3273	0.025	निजी भूमि
3274	0.030	निजी भूमि
3275	0.070	निजी भूमि
3277	0.060	निजी भूमि
3219	0.060	निजी भूमि
3220	0.060	निजी भूमि
3221	0.070	निजी भूमि
3278	0.100	निजी भूमि
3279	0.160	निजी भूमि
3280	0.045	निजी भूमि
3282	0.080	निजी भूमि
3283	0.050	निजी भूमि
3284	0.060	निजी भूमि
3285	0.060	निजी भूमि
3286	0.060	निजी भूमि
3287	0.160	निजी भूमि
3288	0.240	निजी भूमि
3289	0.400	निजी भूमि
3290	0.140	निजी भूमि
3291	0.160	निजी भूमि
3292	0.200	निजी भूमि
3293	0.090	निजी भूमि
3294	0.060	निजी भूमि
3295	0.570	निजी भूमि
3296	0.260	निजी भूमि
3297/1	0.083	निजी भूमि
3297/2	0.067	निजी भूमि
3298	0.025	निजी भूमि
3301	0.150	निजी भूमि
3302	0.020	निजी भूमि
3310	0.080	निजी भूमि
3350	0.090	निजी भूमि
3351	0.070	निजी भूमि
3352	0.030	निजी भूमि
3353/1	0.320	निजी भूमि
3353/2	0.310	निजी भूमि
3354	0.010	निजी भूमि
3355	0.060	निजी भूमि
3356	0.010	निजी भूमि
3357	0.170	निजी भूमि
3358	0.020	निजी भूमि
3359	0.330	निजी भूमि
3360	0.020	निजी भूमि
3361	0.020	निजी भूमि
3362	0.040	निजी भूमि
3363	0.125	निजी भूमि
3364	0.160	निजी भूमि
3365	0.050	निजी भूमि
3366	0.040	निजी भूमि
3367	0.045	निजी भूमि
3368	0.020	निजी भूमि
3369	0.060	निजी भूमि
3372	0.020	निजी भूमि
3427/1	0.020	निजी भूमि
3427/2	0.060	निजी भूमि
3427/3	0.020	निजी भूमि
3428/1	0.030	निजी भूमि
3428/2	0.040	निजी भूमि
3431	0.530	निजी भूमि
3433	0.390	निजी भूमि
3434	0.050	निजी भूमि
3439/1	0.110	निजी भूमि
3439/2	0.500	निजी भूमि
3440	0.200	निजी भूमि
3451	0.370	निजी भूमि
3452	0.200	निजी भूमि
3453	0.060	निजी भूमि
3454	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
3455	0.060	निजी भूमि
3456	0.070	निजी भूमि
3457	0.120	निजी भूमि
3458	0.320	निजी भूमि
3459	0.210	निजी भूमि
3460	0.120	निजी भूमि
3461	0.070	निजी भूमि
3462/1	0.150	निजी भूमि
3462/2	0.160	निजी भूमि
3463	0.030	निजी भूमि
3464/1	0.060	निजी भूमि
3464/2	0.220	निजी भूमि
3464/3	0.330	निजी भूमि
3465	0.070	निजी भूमि
3466	0.910	निजी भूमि
3467	0.040	निजी भूमि
3444	0.300	निजी भूमि
3445	0.030	निजी भूमि
3446	0.060	निजी भूमि
3447	0.070	निजी भूमि
3421/1	0.120	निजी भूमि
3421/2	0.120	निजी भूमि
3420	0.050	निजी भूमि
3408	0.540	निजी भूमि
3410/1, 3410/2	0.080	निजी भूमि
3406/1, 3406/2	0.030	निजी भूमि
3405	0.800	निजी भूमि
3404	1.340	निजी भूमि
3403	0.290	निजी भूमि
3402	0.110	निजी भूमि
3401	0.220	निजी भूमि
3115	0.030	निजी भूमि
2937/1	0.010	निजी भूमि
2937/2	0.010	निजी भूमि
2938/1	0.020	निजी भूमि
2938/2	0.030	निजी भूमि
2935	0.040	निजी भूमि
2934	0.050	निजी भूमि
2933	0.045	निजी भूमि
2932/1	0.060	निजी भूमि
2932/2, 2932/3		निजी भूमि
2930/1	0.010	निजी भूमि
2930/2	0.020	निजी भूमि
2919	0.450	निजी भूमि
2918	0.160	निजी भूमि
2917	0.090	निजी भूमि
2916	0.400	निजी भूमि
2915	0.020	निजी भूमि
2912/3	0.100	निजी भूमि
2912/2	0.060	निजी भूमि
2912/1	0.160	निजी भूमि
2909	0.200	निजी भूमि
2908	0.450	निजी भूमि
2906	0.250	निजी भूमि
2905	0.020	निजी भूमि
2904	0.250	निजी भूमि
2903	0.460	निजी भूमि
2902	0.840	निजी भूमि
2897/1	0.400	निजी भूमि
2897/2	0.290	निजी भूमि
2898	0.030	निजी भूमि
2842	0.500	निजी भूमि
2843	0.560	निजी भूमि
2845	0.050	निजी भूमि
2893/1	0.050	निजी भूमि
2893/2	0.030	निजी भूमि
2892	0.010	निजी भूमि
2936	0.010	निजी भूमि
3431/3506	0.530	निजी भूमि
3437	0.010	निजी भूमि
3399	0.290	निजी भूमि
3399/3491	0.210	निजी भूमि
3399/3492	0.230	निजी भूमि
3399/3493	0.070	निजी भूमि
2894/1	0.200	निजी भूमि
2894/2	0.200	निजी भूमि
2894/4	0.390	निजी भूमि
2885	0.450	निजी भूमि
3276	0.150	निजी भूमि
2889	0.010	निजी भूमि
3414	0.020	निजी भूमि
3415	0.100	निजी भूमि
1890	0.040	निजी भूमि
18884	0.010	निजी भूमि
3246	0.010	निजी भूमि
3436	0.020	निजी भूमि
3435	0.010	निजी भूमि
3416	0.010	निजी भूमि
3299	0.010	निजी भूमि
3441	0.020	निजी भूमि
3286/3473	0.060	निजी भूमि
3408/3505	0.500	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	30.430	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. 15898-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—बदनावर
(ग) ग्राम—भैंसोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.672 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
215	0.202
305/1	0.418
303/1	0.518
304	0.075
305/2	0.253
306	0.340
268	0.101
379	0.265
380	0.050
303/2	0.450
योग . .	2.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अम्बापाडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 16-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—रामपुर बंधिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.885 हेक्टर.

सर्वे नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.213
75/1	0.491
33/1/2	0.181
योग . .	0.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह नदी) मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-19-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—चन्द्रपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—70.309 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
592/1	0.506
574	0.090
573	0.092
572	0.214
570	0.003
592/2	0.060
593	0.344
294	0.052
293	0.073
292	0.061
291	0.174
290	0.146
289	0.081
286	0.105
594	0.154
852	0.077
853	0.117
854	0.093
595	0.089
596	0.113
603	0.150
597	0.036
599	0.064
838	0.120
516	0.095
604	0.696
605	0.024
606	0.202
607	0.210
608	0.303
609	0.129
336	0.057
610	0.101
612	0.384
613	0.020
614	0.555
611	0.348
615	0.535
616	0.340
617	0.283
520	0.140
519	0.104
517	0.044
337	0.049
618	0.024
552	0.065
551	0.069
548	0.150
550	0.162
621	0.162
338	0.057
620	0.227
622	0.231
553	0.306
619	0.214
623	0.494
641	0.049
645	0.182
648	0.158
652	0.065
269	0.239
270/1	0.053

(1)	(2)
272	0.081
276	0.089
277	0.085
829	0.045
624	0.138
660	0.077
632	0.144
637	0.458
625	0.089
650	0.202
655/2	0.093
270/2	0.057
626	0.073
633	0.065
273	0.081
281	0.065
627	0.008
628	0.061
244	0.263
246	0.342
247	0.146
228	0.049
629	0.069
630	0.150
635	0.124
636	0.166
640	0.154
642	0.057
653	0.109
271	0.073
275	0.085
631	0.065
666	0.821
667	0.235
673	0.595
672	0.498
671	0.251
668	0.271
669	0.202
670	0.024
274	0.085

(1)	(2)
280	0.073
634	0.154
638	0.239
639	0.283
643	0.081
655/1	0.049
656	0.174
657	0.190
658	0.308
659	0.065
644	0.105
654	0.271
270/3	0.053
646	0.073
647	0.085
651	0.089
649	0.016
518	0.035
840	0.036
523	0.069
524	0.097
839	0.243
837	0.190
511/2	0.174
344	0.194
515	0.239
514	0.105
365/1	0.511
512	0.388
513	0.016
511/1	0.176
511/3	0.175
453/2	0.040
663	0.498
661/7	0.125
428/8	0.500
428/9	0.400
428/10	0.500
428/11	0.500
428/12	0.500
428/13	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
428/17	0.500	822	0.154
428/18	0.500	420	0.093
391	0.223	821	0.591
392	0.214	422	0.020
398	0.154	423	0.154
360	0.963	364/1/1	0.805
393	0.154	364/3	0.526
405	0.109	364/4	0.445
408	0.291	364/5	0.324
412	0.190	47/1/4	0.500
679	0.415	47/1/5	0.500
680	0.320	47/2	0.085
681	1.189	76/2	0.780
394	0.186	233	1.520
407	0.227	249	0.380
396	0.028	231	0.089
395	0.085	230	0.162
390	0.089	250	0.089
397	0.142	227	0.316
400	0.045	251	0.206
399	0.154	229	0.050
401	0.089	237	0.190
402	0.109	248	0.101
403	0.129	232	0.295
404	0.142	235	0.162
340	0.138	236	0.049
339	0.089	245	0.024
409	0.016	278	0.032
410	0.073	279	0.036
411	0.247	830	0.032
413	0.271	288	0.178
414	0.551	287	0.020
415	0.632	284	0.134
341	0.069	285	0.016
335	0.053	327	0.291
417	0.154	332	0.012
418	0.096	333	0.032
419	0.189	334	0.016
425	0.093	342	0.065
427	0.591	343	0.077
421	0.020	361	0.251

(1)	(2)
345	0.186
358	0.182
356	0.142
359	0.239
357	0.194
689	0.012
690	0.214
691	0.182
692	0.154
693/2	0.405
693/3	0.198
694	0.049
696	0.186
698	0.065
708	0.247
695	0.259
701	0.097
706	0.210
714	0.348
712	0.105
713	0.170
716	0.190
717	0.336
719	0.089
697	0.028
707	0.214
709	0.388
699	0.065
745/1	0.113
700	0.093
718	0.332
743/1/4	0.243
702	0.040
703	0.045
704	0.049

(1)	(2)
705	0.219
720	0.146
711/1	0.405
742/4/1	0.405
715	0.008
721/2	0.202
721/3	0.364
721/4	0.275
721/5	0.146
721/6	0.291
722	0.016
723	0.239
726	0.235
743/2	0.057
743/3	0.243
724	0.028
725	0.251
727	0.176
728	0.287
734	0.117
735	0.146
736	0.097
737	0.267
738	0.263
743/1	0.188
742/1/1	0.384
729	0.324
730	0.101
731	0.107
732	0.413
739	0.239
733	0.008
740/1	0.267
740/2	0.405
740/3	0.032

(1)	(2)
740/4	0.680
740/5	0.382
740/6	0.202
743/1/1	0.295
743/1/2	0.809
743/1/3	0.405
743/1/5	0.753
742/1/2	0.115
742/2	0.930
742/3	0.960
742/4/2	0.145
780/4	0.203
780/2	0.809
746/4	0.409
779/3	2.487
779/4	0.451
780/3	0.202
685/1	0.500
578	0.031
575	0.013
576	0.022
585	0.022
586	0.528
योग . .	70.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-20-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—रामगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.410 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
03	0.382
21/2	2.022
18/1	0.809
18/3	0.809
5	0.231
6	0.312
7	0.013
8	0.211
10	0.350
14/1/1	1.214
14/2	0.506
14/3	0.506
14/4	0.506
14/5	0.506
19	0.930
22/2	0.417
199/9	0.160
199/10	0.500
199/14	0.500
199/15	0.500
199/16	0.500
199/17	0.500
199/18	0.500
199/19	0.500
199/20	0.500
199/21	0.500
179/22	0.500
199/23	0.500
199/24	0.500

(1)	(2)
199/25	1.000
199/26	5.000
199/27	0.500
199/28	0.500
199/29	0.500
199/30	0.500
199/31	0.500
199/32	0.500
199/33	0.500
199/34	0.500
199/35	0.500
11	0.123
12/2	0.009
26	0.057
40	0.084
38	0.259
47	0.009
50	0.018
53	0.110
66/2	0.247
192	0.053
191	0.057
योग . .	27.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-21-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—हरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.401 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491	0.053
492	0.009
489	0.031
488	0.014
487	0.022
486	0.018
477	0.053
465	0.018
454	0.018
473	0.026
66/1	0.026
68	0.009
464	0.035
463	0.048
447	0.040
457/1	0.022
458	0.018
459	0.090
456	0.031
452	0.009
55	0.018
54	0.031
368	0.013
367	0.026
361	0.013
366	0.018
364	0.018
277	0.040
363	0.044
369	0.022
269	0.079
267	0.101
265	0.018
266	0.009
264	0.044
259	0.092
237	0.057

(1)	(2)
234	0.057
233	0.009
232	0.031
231	0.018
336	0.018
224	0.035
योग . .	1.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-22-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—जतारा
(ग) नगर/ग्राम—पठरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1137	0.026
1138	0.013
1145	0.097
1148	0.026
1146	0.038
योग . .	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-23-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—जतारा
(ग) नगर/ग्राम—हदयनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.697 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.128
75/2	0.238
75/3/5	0.114
76	0.145
77	0.002
78	0.070
योग . .	0.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 20/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **पकरिया**, पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139**, तहसील **बुढार**, जिला **शहडोल** से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला**, पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139**, तहसील **बुढार**, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	पकरिया / पकरिया 139	115	0.018

			117	0.068
			111	0.173
			11	0.042
			110	0.173
			109	0.163
			125	0.126
			126	0.003
			127	0.127
			131, 132, 133,	0.122
			129, 131, 130,	0.040
			153	0.003
			154	0.104
			96	0.024
			155/1, 155/2,	0.030
			156	0.052
			157	0.084
			158	0.105
			159, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4,	0.264
			216/1, 216/2, 218,	0.140
			214/1/क/1, 214/1/क/2, 214/1/ख/, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5/क, 214/5/ख,	0.077
			213/1, 213/2, 213/3, 213/4,	0.063
			212/1, 212/2/क, 212/2/ख, 212/2/ग,	0.070
			210/1/क, 210/1/ख, 210/1/ग, 210/1/घ, 210/2,	0.022
			211	0.099

			206/1/क, 206/1/ख, 206/1/ग, 206/1/घ, 206/1/ड़, 206/1/च, 206/1/छ, 206/1/ज, 206/1/झ, 206/2,	0.243
			205	0.003
			343/1 क, 343/1 ख, 343/2, 343/3,	0.056
			464	0.104
			436	0.000
			435	0.068
			426	0.003
			427	0.147
			422	0.036
			423	0.087
			420	0.000
			429	0.030
			419	0.053
			417	0.090
			418	0.026
			454/1, 454/2,	0.113
			400/5	0.063
			456	0.031
			453	0.071
			457	0.155
			458/1, 458/2/क, 458/2/ख,	0.100

			459/1, 459/2/क, 459/2/ख/1, 459/2/ख/2, 459/3/क, 459/3/ख, 459/3/ग, 459/4, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 459/10, 459/11/क, 459/11/ख, 459/12/क, 459/12/ख, 459/13,	0.707
			396/1, 396/2/क, 396/2/ख,	0.072
			395	0.011
			394	0.131
			391	0.144
			389	0.196
			379	0.034
			462 (378/462)	0.003
			392	0.194

			461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 461/11, 461/12, 461/13, 461/14, 461/15, 461/16, 461/17, 461/18/क/1, 461/18/क/2, 461/18/क/3, 461/18/क/4, 461/18/क/5, 461/18/ख/1, 461/18/ख/2, 461/18/ख/3, 461/18/ख/4, 461/18/ख/5, 461/18/ख/6, 461/18/ग/1, 461/18/ग/2, 461/18/घ/1, 461/18/घ/1/ख, 461/18/घ/2, 461/19, 461/20/क, 461/20/ख, 461/21, 461/22/क, 461/22/ख, 461/23, 461/24, 461/25, 461/26/क, 461/26/ख, 461/26/ग, 461/26/घ, 461/27, 461/28/क, 461/28/ख/1, 461/28/ख/2, 461/28/ख/3, 461/28/ख/3/2, 461/28/ख/3/3, 461/28/ख/3/4, 461/28/ख/4, 461/28/ग, 461/28/क/1, 461/29/क/2, 461/29/ख, 461/30/क, 461/30ख/1, 461/30/ख/2, 461/30/ग/1, 461/30/ग/2, 461/31,	0.042
			460	0.559
			459/1, 459/2/क, 459/2/ख/1, 459/2/ख/2, 459/3/क, 459/3/ख, 459/3/ग, 459/4, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 459/10, 459/11/क, 459/11/ख, 459/12/क, 459/12/ख, 459/13,	0.5694
			1/1, 1/2, 1/3,	0.015
			3	0.036
			283	0.070
			284	0.129
			285	0.011
			286	0.102

शहडोल	बुढ़ार	पकरिया / पकरिया 139	287	0.010
			281	0.087
			292	0.118
			293	0.089
			295	0.067
			309	0.012
			306	0.129
			307	0.141
			359	0.150
			369	0.143
			369	0.006
			373/1, 373/2,	0.072
			375/1 , 375/2, 375/3,	0.064
			376/1, 376/2,	0.061
			377/1	0.074
			378/463/1, 378/463/2, 378/463/3,	0.010
			462 (378/462)	0.238
			379	0.003

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 21/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **कटकोना**, पटवारी हल्का क्रमांक **कटकोना 137** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला,** पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139** तहसील **बुढार.** जिला **शहडोल** तक मध्यप्रदेश राज्य मे **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	कटकोना /कटकोना 137	15/1क	0.075
			खसरा कमाक 15/1क एंव 15/1 के बीच में	0.023

			15/1	0.412
			16	0.054
			23	0.018
			24	0.004
			22	0.095
			21	0.078
			28	0.268
			29/2	0.044
			26/6	0.033
			30/1	0.083
			30/2	0.014
			31	0.042
			32	0.096
			33/1	0.060
			33/2	0.015
			46	0.086
			34/1, 34/2	0.022
			44	0.007
			45	0.064
			46	0.003
			54	0.087
			55	0.126
			56	0.030
			78	0.004
			77	0.148
			75	0.127
			59/2	0.012
			73	0.141
			70	0.099
			71	0.067
			109	0.058
			112	0.100
			111	0.146
			301/1	0.190
			288	0.027
			287	0.027
			282	0.012
			281	0.181
			275	0.148
			274	0.028

			269	0.141
			270	0.069
			271	0.110
			272	0.012
			660	0.004
			659	0.121
			658	0.232
			657	0.011
			656/1, 656/2, 656/3	0.076
			441/1, 441/1 ख	0.159
			442	0.081
			441/4, 441/5	0.275
			443	0.021
			444	0.004
			445	0.007
			447	0.214
			449	0.085
			468	0.070
			467	0.004
			466	0.154
			465	0.135
			464	0.003
			472	0.044
			461	0.102
			460	0.106
			459	0.015
			462/1	0.069
			458	0.290
			519	0.323
			552	0.059
			562/3	0.127
			575/2	0.001
			562/2	0.095
			562/1क	0.041
			562/1 ख	0.043
			563	0.063
			565	0.069
			778	0.037
			777/1, 777/2	0.045
			776	0.079

			775	0.004
			780	0.054
			774	0.039
			781	0.225
			782	0.022
			783	0.076
			784	0.005
			768/1	0.013
			769	0.064
			751	0.078
			752/1	0.002
			770	0.078
			748/1	0.077
			747	0.004
			748/2	0.052
			734	0.030
			733	0.162
			731	0.064
			649	0.139
			641	0.098
			651	0.004
			652	0.038
			653	0.018
			639/1, 639/2, 639/3, 639/4	0.133
			656/1, 656/2, 656/3	0.294
			663/1, 663/2	0.034
			658	0.002
			662	0.144
			676/1, 676/2	0.078
			677/1, 677/2	0.073
			679	0.100
			680	0.032
			695	0.004
			694	0.030

शहडोल	बुढ़ार	कटकोना /कटकोना 137	694	0.030
			693	0.085
			696	0.037
			692	0.028
			562/3	0.081

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

कमांक . 22/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु **ग्राम साबो**, पटवारी हल्का क्रमांक **साबो–135** तहसील **बुढ़ार** जिला शहडोल से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला** पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139** तहसील **बुढार,** जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
शहडोल	बुढ़ार	साबो /साबो 135	9/2	0.046
			9/1	0.090
			11	0.040
			10	0.021
			524/1, 524/2	0.181
			525	0.185
			526	0.054
			527/1, 527/2	0.001
			982	0.112
			981	0.183
			988	0.237
			989	0.008
			991	0.028
			990	0.084
			993	0.046
			994	0.329
			996	0.087
			997/1, 997/2	0.268
			1020	0.232
			1021	0.166
			1022	0.102
			1023	0.060
			1024	0.182
			1035	0.063
			1037	0.145
			1036	0.347
			1058/1, 1058/2	0.004
			1057	0.100
			1060	0.206
			1056	0.203
			1163	0.030
			1089/2क	0.009
			1086	0.070
			1085	0.088
			1082/1/क, 1082/1/ख, 1082/2	0.001
			1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5	0.208

			1080	0.259
			1078	0.167
			1074	0.046
			1075	0.378
			1103	0.014
			1104	0.196
			1105/1/ख, 1105/2, 1105/3	0.195
			1126	0.149
			1107	0.081
			1125/1, 1125/2, 1125/3, 1125/4	0.004
			1121/1	0.140
			1124	0.092
			1114	0.529
			1115	0.124
			1116/1, 1116/2	0.192
			1117	0.077
			1118	0.068
			255	0.127
			231/1, 231/2, 231/3, 231/4	0.150
			225	0.032
			230	0.013
			226	0.032
			229	0.013
			227	0.012
			228	0.013
			222	0.075
			245	0.043
			246	0.029
			247	0.038
			248	0.064
			249	0.008
			151	0.067
			148	0.147
			147	0.047
			335	0.023
			146	0.045
			141	0.115
			140	0.037
			135	0.049
			134	0.063
			348	0.293
			347/1, 347/2	0.003
			349	0.054
			350	0.015
			389	0.022

			390	0.038
			391	0.024
			405	0.009
			404	0.054
			406	0.027
			403/1	0.004
			403/2	0.037
			394	0.009
			402	0.028
			401	0.068
			396/2	0.087
			396/1	0.019
			398	0.073
			397	0.128
			459/1, 459/2	0.022
			57	0.073
			62	0.004
			58	0.004
			59	0.012
			56/1, 56/2	0.143
			55	0.021
			54	0.088
शहडोल	बुढ़ार	सोबी / सोबी 135	24/1, 24/2	0.039
			23	0.062
			22	0.043
			21/1, 21/2	0.068
			469/1, 469/2	0.096
			470	0.072
			19/1, 19/2	0.060
			474	0.010
			475	0.099
			476	0.041
			14	0.130
			13	0.150
			517	0.017
			518	0.023
			519	0.050
			520 L	0.053
			521	0.170
			522	0.092
			10	0.014
			11	0.037
			9/1	0.004
			9/2	0.035

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 23 /बी/121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **सेमरा,** पटवारी हल्का क्रमांक **सेमरा–138** तहसील **बुढ़ार** जिला शहडोल से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला** पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139** तहसील **बुढार.** जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	6
शहडोल	बुढ़ार	सेमरा/सेमरा 138	986	0.125
			984/2	0.114
			984/3	0.148
			958/4	0.004
			964	0.267
			984/1	0.237

			1001	0.079
			1002/3	0.157
			1002/2	0.004
			982	0.011
			981	0.150
			980/1	0.019
			980/2	0.187
			980/3	0.009
			1047	0.111
			1048	0.074
			1050/1 B	0.209
			1050/2	0.094
			1051	0.106
			1091	0.027
			1052	0.084
			1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4	0.258
			1082	0.044
			1090/1, 1090/2	0.001
			1083/1	0.108
			1084/1	0.151
			1110	0.019
			1123/1	0.158
			1125	0.194
			1126	0.111
			1121	0.173
			1129	0.100
			1141	0.038
			1140	0.119
			1139/1, 1139/2,	0.086
			1138	0.216
			1136/2	0.027
			1137/1, 1137/2	0.061
			213	0.006
			212/1	0.201
			212/2	0.003
			206	0.226
			202	0.030
			201	0.639
			200/3	0.247

			200/2	0.006
			200/1	0.288
			285/1, 285/2	0.729
			296	0.005
			191	0.024
			293/1	0.178
			293/2	0.058
			292/1, 292/2	0.202
			291	0.128
			160	0.567
			159	0.011
			158	0.227
			157	0.156
			347	0.567
			349/1, 349/2	0.259
			359	0.072
			360	0.004
			357/1, 357/2	0.071
			356/1, 356/2	0.006
			428/2	0.029
			428/3	0.016
			429/3	0.012
			429/1	0.118
			429/2	0.059
			432	0.092
			434	0.007
			431	0.004
			435	0.115
			436	0.064
			104/1	0.025
			198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8/क, 198/8/ख, 198/9	0.243
			747	0.123
			749	0.244
			267	0.005
			266/1, 266/2, 266/3	0.229
			275	0.012
			265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6	0.267

			264	0.095
			263	0.090
			262	0.037
			282/1, 282/2	0.022
			261/1, 261/2	0.084
			284	0.172
			118	0.044
			117, 117/2	0.006
			95/3	0.049
			95/2	0.093
			88	0.099
			121	0.004
			87	0.154
			123	0.045
			86	0.003
			124	0.171
			637	0.116
			636	0.003
			638	0.002
			635	0.161
			634	0.004
			614	0.097
			613	0.076
			606	0.066
			608/1, 608/2	0.013
			605	0.001
			607	0.046
			604/2	0.020
			610	0.031
			598	0.023
			596	0.009
			595	0.034
			557	0.193
			593/2	0.001
			593/1	0.003
			558	0.131
			554	0.013
			344	0.004
			335	0.121
			336	0.263

शहडोल	बुढ़ार	सेमरा/सेमरा 138	335	0.121
			336	0.263
			337	0.055
			342	0.017
			341	0.180
			340	0.158
			338/1	0.008
			339	0.058
			559	0.004
			560	0.007
			561	0.165
			577	0.107
			566	0.013
			576	0.030
			574	0.076
			573	0.024
			572	0.019
			571	0.108
			404/1	0.005
			406	0.082
			405/2	0.042
			407/1, 407/2	0.021
			405/1	0.031
			410	0.167
			409	0.014
			411/2	0.084
			411/1	0.139
			412	0.009
			420/1, 420/2	0.177
			426	0.024
			427	0.137

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

कमांक 24/बी–121–2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु **ग्राम जरवाही**, पटवारी हल्का क्रमांक **जरवाही 144** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला** पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139** तहसील **बुढार.** जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवंकलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
शहडोल	बुढ़ार	जरवाही/जरवाही 144	810	0.008
			815	0.045
			811	0.010

			812	0.074
			808	0.063
			807	0.083
			805/1, 805/2	0.058
			796	0.038
			789/1, 789/2, 789/3, 789/4	0.006
			451	0.060
			435	0.230
			433/1, 433/2	0.041
			432	0.093
			431	0.048
			430	0.015
			425	0.100
			424/1, 424/2	0.055
			423	0.051
			421	0.161
			401	0.072
			400	0.069
			398/1, 398/2	0.182
			370/1, 370/2	0.020
			398/1, 398/2	0.054
			370/1, 370/2	0.146
			371	0.278
			383	0.250
			382	0.011
			384/2	0.176
			384/1	0.128
			379	0.020
			378	0.172
			304	0.144
			303	0.007
			302	0.002
			305	0.030
			312/1	0.138
			309/1	0.038

			309/2	0.032
			308	0.004
			266	0.004
			314	0.041
			262/2	0.058
			263/1, 263/2	0.102
			264/1, 264/2	0.045
			260	0.002
			267/1, 267/2	0.057
			259	0.057
			255/1/क, 255/1/ख, 255/1/ग, 255/2	0.047
			256	0.037
			249	0.010
			251	0.022
			250	0.059
			246/1	0.157
			247	0.005
			239/2	0.028
			238	0.097
			237	0.004
			216	0.004
			217	0.077
			218	0.093
			207	0.055
			206	0.226
			654	0.024
			655	0.168
			697	0.078
			696	0.032
			695/1	0.105
			722/4	0.077
			722/3	0.044
			698/4	0.002
			698/3	0.014
			722/2	0.045

			722/1	0.031
			698/2	0.055
			720/3	0.004
			708/4	0.010
			708/3	0.043
			708/2	0.015
			709	0.016
			707/4	0.012
			710	0.091
			720/1	0.035
			711	0.134
			714/2क, 714/2ख,	0.004
			716	0.009
			715	0.297
			731	0.016
			732	0.003
			730	0.094
			733/1, 733/2,	0.134
			741/1, 741/2, 741/3, 741/4,	0.140
			737	0.236
			764	0.028
			767	0.131
			766/3	0.023
			769/5	0.074
			769/4	0.076
			769/3	0.026
			765/1क	0.126
			765/2	0.036
			765/1ख	0.102
			775/2	0.041
			776/2	0.133
			776/1	0.146
			786	0.129
			787	0.339

			789/1, 789/2, 789/3, 789/4	0.875
			796	0.065
			794	0.525
			657/1, 657/2, 657/3	0.136
			652/2	0.040
			652/3	0.094
			652/4	0.006
			225	0.120
			233	0.055
			230/1	0.155
			230/2	0.001
			232	0.066
			231/1	0.027
			234	0.058
			235	0.180
			218	0.099
			207	0.021
			217	0.014
			780	0.004
				0.062
				0.183
			863/2	0.106
			850	0.115
			851	0.062
			852	0.016
			858/1	0.005
			858/2	0.171
			855/1	0.044
			855/2	0.017
			854	0.182
			842	0.046
			837	0.149
			838	0.097
			839	0.004

			818/1/क, 818/1/ख, 818/1/ग, 818/1/घ, 818/1/ङ	0.014
			818/2/क, 818/2/ख	0.106
			816/1, 816/2	0.101
			815	0.086
			88/1, 88/2, 88/3	0.001
			93/1, 93/2, 93/3	0.058
			89	0.049
			274	0.041
			273	0.003
			272	0.067
			275	0.034
			269	0.062
			268	0.011
			267/1, 267/2	0.129
			265/1, 265/2	0.004
			264/1, 264/2	0.022
			557/2	0.024
			557/1	0.004
			556/1	0.023
			558/2	0.073
			558/1	0.125
			487/1	0.139
			489	0.105
			490/3	0.003
			490/2	0.039
			490/1	0.108
			491	0.041
			483	0.004
			492	0.056
			493	0.024
			494	0.132
			461/3	0.002
			459/3	0.022
			459/2	0.035

			459/1	0.073
			452/3	0.137
			458/1, 458/2, 458/3	0.001
			453/1, 453/2, 453/3	0.020
			452/2	0.010
			454	0.128
			451	0.074
			46	0.004
			47	0.063
			49	0.021
			51/2	0.015
			51/1	0.046
			52	0.068
			72	0.081
			70	0.161
			71	0.004
			65	0.082
			66	0.009
			84	0.039
			105	0.025
			104/1	0.036
			104/2	0.008
			102	0.066
			101	0.070
			100	0.012
			99	0.190
			98	0.009
			94/1, 94/2, 94/3	0.063
			93/1, 93/2, 93/3	0.004
			88/1, 88/2, 88/3	0.057
			615	0.006
			638/4	0.118
			638/3	0.025
			638/2	0.066
			638/1	0.071
			331	0.136

शहडोल	बुढ़ार	जरवाही/जरवाही 144	329/1	0.075
			329/2	0.038
			328	0.107
			327	0.017
			326/6	0.015
			326/5	0.239
			326/4	0.086
			230/6	0.040
			230/5	0.048
			230/4	0.050
			230/3	0.058
			230/2	0.058
			230/1	0.004

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 25/बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **जल्ली टोला**, पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139**, तहसील **बुढार** जिला **शहडोल** से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला**, पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139**, तहसील **बुढार**. जिला **शहडोल** तक मध्यप्रदेश राज्य मे **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाय।

और अत,व राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय।

अत,व, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल ,एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हु,, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
शहडोल	बुढ़ार	जल्लीटोला/पकरिया 139	380	0.022
			349	0.009
			349/527/1/क, 349/527/1/ख, 359/527/2	0.104
			354/1/क, 354/1/ख, 354/2	0.254
			352/1/क, 352/1/ख, 352/2	0.016
			355	0.105
			346/1, 346/2, 346/3	0.139
			296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6/क, 296/6/ख, 296/6/ग, 296/7, 296/8, 296/9, 296/10	0.584
			186/1, 186/2, 186/3, 186/4/क, 186/4/ख, 186/4/ग, 186/4/घ, 186/4/ड़	0.059
			95/1, 95/2	0.282
			97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5	0.354
			109	0.118
			110/1, 110/2	0.191

			111	0.004
			115	0.156
			108/1, 108/2	0.195
			117	0.228
			119/1/क, 119/1/ख, 119/2	0.599
			120/1, 120/2, 120/3/क, 120/3/ख, 120/4	0.095
			79/1, 79/2/क, 79/2/ख	0.091
			76/1	0.006
			76/2	
			77, 86/2/क, 86/2/ख, 86/2/ग, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7	0.090
			84	0.021
			81	0.502
			91	0.398
			101/1, 101/2, 101/3	0.416
			108/1, 108/2	0.060
			109	0.035
			110/1, 110/2	0.104
			115	0.049
			503	0.617
			501	0.093
			507	0.007
			508	0.004
			500	0.042
			499/1, 499/2, 499/3	0.015
			494/1, 494/2, 494/3, 494/4	0.006
			478	0.268
			476	0.002
			479/1, 479/2	0.183
			482/1, 482/2, 482/3	0.192

			484	0.119
			486/1, 486/2, 486/3	0.015
			230	0.002
			486/513	0.049
			231	0.094
			229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5	0.167
			213	0.016
			214/1, 214/2,	0.098
			215/1, 215/2,	0.005
			225/1, 225/2,	0.084
			219/1, 219/2,	0.018
			222/1, 222/2,	0.056
			220/1, 220/2,	0.080
			221	0.016
			256	0.091
			255	0.113
			266	0.032
			263	0.046
			265	0.037
			264	0.049
			271	0.057
			272	0.065
			274	0.075
			276	0.070
			275/1, 275/2, 275/3,	0.003
			288	0.173
			289	0.002
			186/1, 186/2, 186/3, 186/4/क, 186/4/ख, 186/4/ग, 186/4/घ, 186/4/ड़,	0.118
			509/1/क, 509/1/ख, 509/2, 509/3/क, 509/3/ख, 509/4, 509/5,	0.518

			497	0.156
			494/1, 494/2, 494/3, 494/4,	0.025
			496	0.313
			495	0.288
			490/1, 490/2, 490/3, 490/5,	0.569
			160/1/क, 160/1/ख, 160/2,	0.301
			159/1, 159/2,	0.211
			157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9/क, 157/9/ख, 157/9/ग, 157/9/घ, 157/10/क, 157/10/ख, 157/10/ग, 157/10/घ, 157/11	0.3626
			151	0.198
			146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5,	0.364
			145/1, 145/2, 145/3	0.006
			147	0.114
			125	0.158
			124/1, 124/2,	0.227
			122	0.255
			121/1, 121/2/क, 121/2/ख, 121/2/ग	0.208
			120/1, 120/2, 120/3/क, 120/3/ख, 120/4	0.586
			78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6	0.084
			122	0.033
			32	0.694
			38	0.643
			70/1, 70/2,	0.037
			202/1/क, 202/1/ख, 202/1/ग, 202/2, 202/3,	0.003

			273	0.115
			271	0.005
			272	0.007
			449	0.198
			450	0.039
			451	0.079
			19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6/क, 19/6/ख,	0.213
			45/2, 45/3/क, 45/3/ख, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7	0.213
			41	0.060
			42/1, 42/2,	0.077
			48/1, 48/2,	0.065
			49	0.455
			38	0.033
			69/2, 70/1, 70/2,	0.033
			68	0.006
			71	0.150
			72	0.003
			3	0.251
			4/1, 4/2,	0.257
			5	0.153
			16/512	0.152
			15/1/क, 15/1/ख, 15/2,	0.023
			17/1, 17/2, 17/3,	0.026
			14/1, 14/2, 14/3, 14/4,	0.020
			19/516	0.028
			19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6/क, 19/6/ख,	0.743
			6	0.245
			5	0.195
			4/1, 4/2,	0.004
			1/1/क, 1/1/ख, 1/2,	0.039
			2	0.133
			16/512	0.101
			4/1, 4/2,	0.136

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप–ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 26 /बी–121/2013–14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम **समदा टोला** , पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139**, तहसील **बुढार**, जिला **शहडोल** से GGS11 ग्राम **जल्ली टोला**, पटवारी हल्का क्रमांक **पकरिया 139**, तहसील **बुढार**, जिला **शहडोल** तक मध्यप्रदेश राज्य मे **मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल** द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला/पकरिया 139	242/474	0.024
			176	0.003
			225	0.056

			226	0.028
			224	0.133
			223	0.018
			177/503	0.012
			177/502	0.029
			178	0.044
			179	0.163
			182/1, 182/2, 182/3,	0.006
			184/1/क, 184/1/ख, 184/1/ग, 184/2,	0.037
			183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5,	0.116
			183/501	0.082
			188	0.000
			166	0.068
			179	0.104
			190	0.097
			163	0.096
			162	0.113
			161/1/क, 161/1/ख, 161/2,	0.050
			120/1, 120/2, 120/3, 120/4,	0.015
			121	0.059
			153	0.054
			152/1, 152/2,	0.008
			122	0.058
			125	0.017
			124	0.067
			115/1, 115/2/क, 115/2/ख,	0.021
			108	0.152
			109/1, 109/2,	0.063
			102	0.126

			94	0.166
			82/1, 82/2, 82/3, 82/4/ब,	0.355
			84	0.013
			65/1	0.019
			138/1, 138/2, 138/3,	0.137
			140	0.083
			175/1, 175/2,	0.013
			172	0.260
			178	0.008
			170/1, 170/2,	0.086
			169	0.050
			168	0.013
			163	0.003
			157/1/क, 157/1/ख, 157/2,	0.111
			158/1/क, 158/1/ख, 158/2,	0.020
			156	0.014
			159	0.017
			155	0.231
			154/1/क, 154/1/ख, 154/2,	0.085
			160	0.003
			153	0.005
			152/1, 152/2,	0.010
			125	0.009
			122	0.003
			284/1/क, 284/1/ख, 284/1/ग, 284/2,	0.150
			281/1, 281/2/क, 281/2/ख, 281/3, 281/4, 281/5,	0.026
			282/1	0.473
			282/2	

			283	0.084
			281/473	0.025
			425	0.003
			426/1, 426/2, 426/3,	0.043
			421	0.122
			419/1, 419/2, 419/3,	0.147
			89	0.151
			417	0.000
			90	0.068
			91	0.068
			92	0.030
			94	0.054
			57	0.199
			56/1, 56/2,	0.044
			73	0.042
			76	0.105
			54/1/क, 54/1/ख/1, 54/1/ख/2, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5,	0.000
			78	0.003
			77	0.121
			97	0.602
			82/1, 82/2, 82/3, 82/4/ब,	0.240
			96	0.074
			95	0.114
			94	0.491
			12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14,	0.078

शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला/पकरिया 139	17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5,	0.639
			18/1, 18/2, 18/3,	0.021
			22	0.082
			24/1/क, 24/1/ख, 24/2,	0.144
			17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5,	0.371

संशोधन

क्रमांक 15/बी–121/2013–14 म0प्र0 भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा–3 की उपधारा–1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 15/बी–121/2013–14 दिनांक 11.12.2013 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13.12.2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे।

अधिसूचना दिनांक 11.12.13 में प्रकाशित पैरा	संशोधित पैरा
अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे।	अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे।

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-8235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—भदेड़मयचक
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.976 हेक्ट.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
95	0.062
93	0.112
92	0.022
91	0.232
199	0.172
204, 205	0.172
206	0.182
200	0.022
योग.	0.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भदेड़मयचक, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8236-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—मौजमखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.918 हेक्ट.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
81	0.052
76	0.313
79	0.223
78	0.192
77/2	0.064
90	0.378
89	-
91/1	0.192
87	0.172
92	0.162
135/2	0.147
135/1	0.147
136/1	0.122
137	0.100
138	0.042
139	0.015
121	0.130
120	0.160
117/2	0.040
114/1	0.040
114/2	0.040
119	0.155
118	0.032
योग.	2.918

(2) सार्वजनिक प्रनोजन जिसके लिए आवश्नकता है—उज्जैन सिंहस्थ बानपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मौजमखेड़ी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8237-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—गोन्सा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.070 हेक्ट.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
247/1	0.050
247/2	0.400
262	0.200
266/3	0.100
259	0.080
270/1	0.700
198/2	0.010
199/1	0.060
199/2	0.100
361	0.210
390	0.100
389	0.220
373	0.110
388	0.030
375	0.010
380	0.170
379	0.070
374	0.200
384/1	0.080
381	0.170
योग. .	3.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गोन्सा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8238-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—मोहनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.816 हेक्ट.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
90/2/1m1	0.170
90/2/1m2	0.030
124/1	0.410
124/2	0.410
122/1	0.270
122/2	0.270
119	0.040
120/1/1	0.060
120/1/2	0.060
120/1/3	0.060

(1)	(2)
120/1/4	0.060
120/680/2	0.050
167/1	0.040
170/2	0.010
168/2m3	0.020
168/2m1	0.300
296/2	0.040
299	0.340
297/4	0.050
298/2	0.210
302/2	0.146
288/1	0.050
289	1.170
290	0.010
366/2	0.048
366/3/1	0.016
366m	0.028
366/3	0.008
367	0.040
369/1m2 | 369/2m2	0.210
364/1	0.010
417 m1	0.104
417 m2	0.366
418	0.030
419/1	0.420
419/2	0.320
419/3	0.260
419/4	0.470
422/1/1/1	0.080
422/1/1/2 | 422/1/2	0.090
420	0.040
योग. .	6.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मोहनपुरा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8239-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—चकभीतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.174 हेक्ट.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
109	0.062
134/2	0.273
133/1	0.113
133/2	0.113
130/2	0.072
119/2	0.092
119/1	0.092
132	0.062
129/1	0.142
129/2	0.153
योग. .	1.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम चकभीतरी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.